रजिस्ट्री सं० डी०—(डी एन)—128

REGISTERED NO. D—(DN)—128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सचिवालय पुस्त... SECRETARIAT LI... GOVT. OF INDIA भारत सरकार

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1987 (अग्रहायण 14, 1909)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1987 (AGRAHAYANA 14, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचना सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications Including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

कार्मिक विभाग

प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली 110001, दिनांक 17 नवम्बर 1987

सं० 3902—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के निदेशक मण्डल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद् द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

2. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : —(i) ये विनियम ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1982, कहे जायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. विनियम 19 में संशोधन :—

(i) विनियम 19 (i) में प्रथम परन्तुक निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

"परन्तु बैंक अपने स्वनिर्णय से, इसके बाद उप विनियम (2) में की गई व्यवस्था के अनुसार, विशेष समिति/विशेष समितियों द्वारा समीक्षा किए जाने पर किसी अधिकारी पद के कर्मचारी के 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर या उसके बाद किसी भी समय अथवा अधिकारी पद के कर्मचारी के रूप में या अन्यथा कुल सेवा के 30 वर्ष पूरे कर लेने पर या उसके बाद किसी

भी समय इनमें से जो भी पहले हो, सेवा निवृत्त कर सकता है।"

(ii) विनियम 19 के उप विनियम (i) के दूसरे परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए :

"परन्तु, उप विनियम (2) में किए गए प्रावधान के अनुसार, यदि कोई अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से असंतुष्ट हो तो वह आदेश पारित होने के एक माह के भीतर समक्ष प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निदेशक मण्डल को लिखित में अभ्यावेदन दे सकता है, और संबंधित अधिकारी से ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निदेशक मण्डल 3 माह के भीतर उनके अभ्यावेदन पर विचार करके निर्णय करेगा। जहां निदेशक मण्डल यह निर्णय करे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है, वहां संबंधित अधिकारी को इस तरह बहाल कर लिया जायेगा मानो सक्षम प्राधिकारी ने आदेश पारित ही न किए हों।"

(iii) विनियम 19 में आए "समिति" या "विशेष समिति" शब्दों के बाद "/समितियां" अथवा "/विशेष समितियां" शब्दों को जोड़ कर, उक्त विनियम में संशोधन किया जाए।

विनियम 6(2) में संशोधन

6(2) "उप विनियम (1) के अन्तर्गत पदों का वर्गीकरण करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले मानदण्डों के अनुसार, बैंक द्वारा बैंक की प्रत्येक शाखा को वर्गीकृत किया जायेगा जैसे छोटी, माध्यम, बड़ी, बहुत बड़ी या असाधारण रूप से बड़ी।"

विनियम 12 में संशोधन :—

(क) विनियम 12(2) के प्रारम्भ में "उप विनियम (3) में की गई व्यवस्था को बनाए रखते हुए" शब्दों को जोड़ा जाए।

(ख) विनियम 12(2) के बाद निम्नलिखित विनियम 12(3) जोड़ा जाए :—

"जिस अधिकारी ने उप विनियम (1) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग किया है और जो उप विनियम (2) के अनुरूप नियत तिथि से तत्काल पहले बैंक की सेवा में अपनी पात्रता के अनुसार वेतन और भत्ते ले रहा है, उसे इन विनियमों के तहत 1-2-1984 को और उस दिन से लागू वेतन और भत्ते पाने के लिए विकल्प देने की अनुमति दी जयेगी।

ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर उसे सिद्धान्ततः नियत तिथि को विनियम 8 में उल्लिखित पद्धति से नए वेतनमान में फिट किया जायेगा तथा वेतनवृद्धियां, जो उन्हें 31-1-1984 तक इन विनियमों के अनुसार मिल जातीं, देने के बाद उन्हें सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार 1-2-1984 को विनियम 4(1) में नियत किए गए वेतनमान में फिट किया जायेगा।

बशर्ते कि उपर्युक्तानुसार फिटमेंन्ट किए जाने के बाद, किसी अधिकारी को इन विनियमों के तहत देय वेतन और भत्तों का जोड़, इस फिटमेंट से पहले, 31-1-1984 को उन्हें देय वेतन और भत्तों के जोड़ से कम है, तो वह अन्तर उन्हें वैयक्तिक भत्ते के रूप में दिया जायेगा जो भावी वेतनवृद्धियों में समाहित किया जायेगा, जो प्रत्येक वेतनवृद्धि के 33 1/3% अथवा ऐसी वेतनवृद्धि के परिणामतः वेतन में हुई वृद्धि के 33 1/3 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक हो।

विनियम 41(1) में संशोधन

"विनियम 41(1) में, जहां कहीं भी "2675 रुपए" और "3000 रुपए" शब्दों और अंकों में आए हों, उनके स्थान पर क्रमशः "2650 रुपए" तथा "2925 रुपए" शब्दों और अंकों में रखे जाएं।"

विनियम 41(4) में संशोधन :

"दिनांक 1-1-1987 को और इस तारीख से, नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में नियत ग्रेडों/स्केलों में कार्यरत अधिकारी, कालम 2 में दिए गए तदनुरूपी दरों पर विराम भत्ता पाने के हकदार होंगे :—

सारणी

कालम-1	कालम-2		
अधिकारियों के ग्रेड/स्केल	दैनिक भत्ता (रुपए में)		
	"क" श्रेणी के बड़े शहर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
स्केल VI/और VII	100.00	80.00	60.00
स्केल IV/और V	100.00	80.00	60.00
स्केल II और III	70.00	60.00	50.00
स्केल-I	70.00	60.00	50.00

बशर्ते कि :—

(क) जहां अनुपस्थिति कुल 8 घंटे से कम हो, परन्तु 4 घन्टे से अधिक हो, वहां विराम भत्ता उपर्युक्त दरों के आधे पर देय होगा।

(ख) विभिन्न ग्रेडों/स्केलों में अधिकारियों को भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) के होटलों में एक व्यक्ति के कक्ष के प्रभार तक होटल के

वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो नीचे दी गई सीमा के भीतर हो :—

अधिकारियों के ग्रेड/स्केल	बोर्डिंग प्रभार (रुपए में) ठहरने की पात्रता
स्केल VI/और VII	4 *होटल
स्केल IV/और V	3 *होटल
स्केल II और III	2 *होटल ((गैर बातानुकूलित)
स्केल-I	1 *होटल (गैर बातानुकूलित)

"क" श्रेणी के प्रमुख शहर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
100.00	80.00	60.00
100.00	80.00	60.00
70.00	60.00	50.00
70.00	69.00	50.00

(ग) जहां विराम स्थल पर मुफ्त लॉजिंग का प्रावधान हो, वहां विराम भत्ते का 3/4 अनुमत्य होगा।

(घ) जहां विराम स्थल पर मुफ्त बोर्डिंग का प्रावधान हो, वहां विराम भत्ते का 1/2 अनुमत्य होगा।

(ङ) जहां विराम स्थल पर मुफ्त आवास (लाजिंग) और मुफ्त भोजन (बोर्डिंग) का प्रावधान हो वहां विराम भत्ते का 1/4 अनुमत्य होगा।

(च) मुख्य कार्यालय से बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर रहने के लिए 10/- रुपए प्रति दिन पूरक दैनिक भत्ता सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को दिया जएगा।

स्पष्टीकरण :—

विराम भत्ते की गणना करने के लिए "प्रतिदिन" का अर्थ होगा—24 घंटे की प्रत्येक अवधि और उसके बाद उसका कोई अंश, जो हवाई यात्रा के मामले में रिपोर्ट करने के समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान (डिपार्चर) के समय से वापस पहुँचने के वास्तविक समय तक समझा जायेगा। जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम हो, वहां "प्रतिदिन" से तात्पर्य कम से कम 8 घंटे की अवधि होगा।

ओ० पी० महाजन
मुख्य प्रबन्धक (कार्मिक)

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

बम्बई-400 005, दिनांक 20 अक्तूबर 1987

सं० 3 डब्ल्यू० सी० ए० (4) 9/87-88—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	546	श्री डी० जे० जसावाला, मैसर्स डी० जे० जसावाला एण्ड कं०, चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार, यूको बैंक बिल्डिंग, 4था माला, 359, डॉ० डी० एन० रोड, बम्बई-400 023	1-7-87
2.	631	श्री के० एस० गाडरे, "विद्याधान", अशोक नगर, पुणे-411 007	11-5-87

दिनांक 21 अक्तूबर 1987

सं० 3 डब्ल्यू० सी० ए० (8) 7/87-88—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10(1) खण्ड (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टीस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि वे अपने प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्रम सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	12231	श्री सुरेश सी० शाह, एफसीए मैसर्स सुरेश सी० शाह, एण्ड कं० चार्टर्ड लेखाकार, "देवी हाईज" 269/270, शनिवार पेठ, पुणे-411 030	1-10-87
2.	17002	श्री एम० एन० त्रिवेदी, एफ० सी० ए० 304 विंग "बी", "आशिश" अमृतनगर के नजदीक, घाटकोपर (प०), बम्बई-400 086	28-6-85
3.	17932	श्री अरुन के० शाह, ए० सी० ए०, चार्टर्ड लेखाकार, 2ए, गोवर्धन नगर सोसायटी, टाऊन हॉल रोड, वल्लभ विध्यानगर, गुजरात-388 120	1-4-87

1	2	3	4
4.	31886	श्री एस० एन० शाह, एफ०सी०ए० "अरीहान्त" सी-202/203, गोविन्द नगर, सोडावाला लेन, बोरीवली (प०), बम्बई-400 092	17-9-87
5.	32515	श्री चिरन्जी लाल व्यास, एफ० सी० ए० बी-3/12, महेश नगर, एस० बी० रोड, गोरेगाँव (प०), बम्बई-400 062	16-9-87
6.	36071	श्री पंकज आर० टोपरानी, ए० सी० ए० हरिदास बिल्डिंग, 187-डॉ० बीगास, स्ट्रीट, बम्बई-400 002	17-9-87
7.	37938	श्री प्रतिभा एम० हुलयलकर, ए० सी०ए० 90/124-सी, इरंवावना, पुणे-411 004	24-9-87
8.	39796	श्री वरीन्द्र सिंह चढा, ए० सी० ए० 134, हसनु निवास, 28 वा रोड, टी० पी० एस०- , बान्द्रा, बम्बई-400 050	15-9-87

आर० एल० चौपड़ा
सचिव

मद्रास-600034, दिनांक 9 नवम्बर 1987

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 3-एस०सी०ए० (5)/8/87-88—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3-एस० सी०ए० (4)/3/87-88, दिनांक 7 अगस्त, 1987, 4-सी०ए० (1)/27/76-77, दिनांक 5 मार्च, 1977, 4-एस०सी०ए० (1)/14/82-83, दिनांक 31 मार्च, 1987 और 3-एस० सी०ए० (4)/13/85-86 दिनांक 31 मार्च, 1986, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान, परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	10730	श्री सी० नल्लकृष्णन, ए० सी०ए० मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, लोयल टैक्सटाइल मिल्स लि० कोविलपट्टी-627 701	28-9-87
2.	11194	श्री एन० सेकर, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, 1935, कोडोलकर गली (अपस्टेयर्स) बेलगांव-590 002	18-5-87
3.	12330	श्री बी० एच० श्रीधरा, ए० सी० ए० असिस्टेन्ट मैनेजर, आई० ए० आई० सैल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं० लि०, 5 फ्लोर, रीजनल आफिस, भारथिया विद्यापेट भवन, एल० बी० एस० मार्ग, नवपेठ, पुणे-30	24-8-87
4.	21229	श्री एस० बालासुब्रामनियन, ए० सी० ए० 54, फोर्थ स्ट्रीट, अभिरामापुरम, मद्रास-600 018	10-9-87
5.	21910	श्री आर० नरासिम्हा राव, ए० सी० ए० 1-4-880/2/10, एस० बी० एच० कालोनी, प्लाट नं० 21, गांधी नगर, न्यू बकाराम, हैदराबाद-500 380	9-9-87
6.	23706	श्री एम० सीता रामा राव, ए० सी० ए० आफिसर-मैनेजमैंट आडिट, दि एसोसिएटिड सीमेंट कंपनीज लि०, 121, एम० के० रोड, बम्बई-400 020	21-9-87
7.	24764	श्री एम० बी० सुरेश, ए० सी० ए० मैसर्स वोल्टास लि०, विलेज मंजारा, तहसील बरोस, डिस्ट्रीक्ट चन्द्रापुर पिन 442 907	28-9-87

1	2	3	4
8.	50068	श्री टी० आर० वैवासी, ए० सी० ए० एकाउन्ट्स एग्जीक्यूटिव, रेजायट कम्पनी लि०, पी० ओ० बाक्स 90, अलखोबार 31952 सऊदी अरेबिया	9-9-87

आर० एल० चोपड़ा
सचिव

क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

चण्डीगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 1987

सं० 12वी० 34/13/2/85-प्रशा०—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड पंजाब ने पटियाला क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले से ही लागू है) की स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

अध्यक्ष

विनियम 10-ए, (1) (ए) के अधीन

1. सिविल सर्जन,
   रजिन्द्रा अस्पताल,
   पटियाला।

सदस्य :

विनियम 10-ए (1) (बी) के अधीन

2. जिला, श्रम विवाद निवारण अधिकारी,
   पटियाला।

विनियम 10-ए (1) (सी) के अधीन

3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
   कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय,
   पटियाला।

विनियम 10-ए (1) (डी) के अधीन

4. श्री जगदीप सिंह, कांझपुर,
   कार्मिक प्रबन्धक,
   मैसर्ज मिल्कफूड लिमिटेड,
   बहादुरगढ़, (पटियाला)।

5. श्री जी० एस० सोढी,
   कार्मिक प्रबन्धक,
   मैसर्ज एस्कार्ट्स,
   बहादुरगढ़ (पटियाला)।

6. श्री जरनैल सिंह, डिपो प्रबन्धक,
   पी० आर० टी० सी०, डिपो 2,
   पटियाला।

7. श्री मोहन लाल भागीदार,
   मैसर्ज पटियाला टूल्स कारपोरेशन,
   सरहिन्द रोड, पटियाला।

8. श्री ज्ञानचन्द, अध्यक्ष,
   राईस मिल्स आनर्स एसोसिएशन,
   पटियाला।

9. श्री सुन्दर सिंह, कारखाना प्रबन्धक,
   मैसर्ज पटियाला फ्लोर मिल्स,
   पटियाला।

विनियम 10-ए (1) (ई) के अधीन

10. ज्ञानी तजिन्द्र सिंह, महा सचिव,
    भारतीय मजदूर संघ,
    आर्य समाज चौक, पटियाला।

11. श्री बलदेव कृष्ण, महा सचिव,
    भारतीय मजदूर संघ,
    आर्य समाज चौक पटियाला।

12. श्री आर० के० मोदगिल, विधि सलाहकार,
    आई० एन० टी० यू० सी०,
    कच्चा पटियाला,
    पटियाला।

13. श्री राम सिंह, अध्यक्ष,
    पी० आर० टी० सी० मजदूर संघ,
    (सी० आई० टी० यू०)
    पटियाला।

14. श्री कृष्ण पाल, महा सचिव,
    पी० आर० टी० सी० कर्मचारी दल,
    पटियाला।

15. श्री रोमेश मोदगिल, अध्यक्ष,
    राजकीय मुद्रणालय कर्मचारी संघ,
    पटियाला।

विनियम 10-ए (1) (एफ) के अधीन

16. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय, — सदस्य सचिव
    कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
    पटियाला।

सं० 12वी० 34/13/2/85-प्रशा०—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए० के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड, पंजाब ने मलेरकोटला क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले से ही लागू है) की स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया है : इस समिति में निम्नलिखित

सदस्य होंगे । यह समिति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

अध्यक्ष

विनियम 10-ए (1) (ए) के अधीन

1. सिविल सर्जन
   सिविल अस्पताल
   संगरूर ।

सदस्य

विनियम 10-ए (1) (बी) के अधीन

2. जिलाश्रम विवाद निवारण अधिकारी,
   संगरूर ।

विनियम 10-ए (1) (सी) के अधीन

3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
   कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय,
   मलेरकोटला ।

विनियम 10-ए (1) (डी) के अधीन

4. श्री मोहन लाल,
   मैसर्स प्रिंस इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन,
   मलेरकोटला ।

5. श्री डी०सी० भट्टी, इण्डस्ट्रीज अधिकारी,
   मैसर्स अरिहन्त स्पिनिंग मिल्स,
   मलेरकोटला ।

6. श्री अब्दुल रसीद, पाटनर,
   मैसर्स रसीद ब्रदर्स,
   लुधियाना रोड, मलेरकोटला ।

7. श्री कमल कुमार,
   मैसर्स कमल इंजीनियरिंग वर्क्स,
   मलेरकोटला ।

8. श्री आर० के० झा,
   मैसर्स सैन्चरी आईरन एण्ड स्टील्स,
   मलेरकोटला ।

9. श्री जी० एल० चौधरी, श्रम अधिकारी,
   मैसर्स स्पिनिंग मिल्ज,
   मलेरकोटला ।

विनियम 10-ए(1) (ई) के अधीन

10. श्री अलताफ रहमान, अध्यक्ष,
    डिस्पेंसरी इन्चार्ज वर्कर्स यूनियन,
    मलेरकोटला ।

11. श्री अब्दुल गफूर,
    सामान्य श्रम संघ,
    मलेरकोटला ।

12. श्री शमीम खान भग्गा,
    श्रम संघ, गवर्नमेन्ट कालेज के पास,
    मलेरकोटला ।

13. श्री लतीफ अहमद बुखर,
    द्वारा नाभा पेपर मिल्ज,
    मलेरकोटला ।

14. श्री चेत सिंह,
    द्वारा प्रिंस इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन,
    मलेरकोटला ।

15. श्री मुहम्मद हनीफ,
    द्वारा कंवल इंजीनियरिंग वर्क्स,
    मलेरकोटला ।

विनियम 10-ए (1) (एफ) के अधीन

16. प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय,
    कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
    मलेरकोटला । सदस्य-सचिव

सं० 12 बी० 34/13/2/ 85-प्रशा०—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए, के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड ने पंजाब ने फगवाड़ा क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा-अधिनियम 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले से ही लागू है) की स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया है । इस समिति में निम्न-लिखित सदस्य होंगे । यह समिति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

अध्यक्ष

विनियम 10-ए (1) (ए) के अधीन

1. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी,
   सिविल अस्पताल,
   फगवाड़ा ।

सदस्य

विनियम 10-ए (1) (बी) के अधीन

2. जिला श्रम विवाद निवारक अधिकारी,
   कपूरथला ।

विनियम 10-ए (1) (सी) के अधीन

3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
   कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय,
   फगवाड़ा ।

विनियम 10-ए (1) (डी) के अधीन

4. श्री टी० सी० ओहरी, फैक्ट्री प्रबंधक,
   मैसर्स जे० सी० टी० मिल्ज,
   फगवाड़ा ।

5. श्री जे०सी० सोढी, सह फैक्ट्री प्रबंधक,
मैसर्स जे० सी० टी० मिल्ज,
फगवाड़ा ।

6. श्री एस० एस० जिंदल, महाप्रबन्धक,
मैसर्स सुखजीत स्टार्च व केमिकल मिल्ज,
फगवाड़ा ।

7. श्री जे० के० सरदाना, कमर्शियल प्रबंधक,
मैसर्स सुखजीत स्टार्च व केमिकल मिल्ज,
फगवाड़ा ।

8. श्री ओ० पी० उप्पल, ऑकूपायर,
मैसर्स भारतीय इंजीनियरिंग कारपोरेशन,
फगवाड़ा ।

9. श्री राजीव शर्मा, श्रम अधिकारी,
मैसर्स जे० सी० टी० मिल्ज,
फगवाड़ा ।

विनियम 10-ए (I) (ई) के अधीन

10. श्री रामजी दुबे,
द्वारा मैसर्स जे०सी०टी० मिल्ज,
फगवाड़ा ।

11. श्री नन्द लाल राय,
द्वारा मैसर्स जे०सी०टी०, मिल्ज,
फगवाड़ा ।

12. श्री राम सहाय, महा सचिव,
मेटल मजदूर संघ,
फगवाड़ा ।

13. श्री विक्रम सिंह, मैकेनिकल आपरेटर,
द्वारा मैसर्स सुखजीत स्टार्च एण्ड कैमिकल्स,
फगवाड़ा ।

14. श्री माखन सिंह, पर्यवेक्षक,
मैसर्स सुखजीत स्टार्च एण्ड कैमिकल्स,
फगवाड़ा ।

15. श्री लाल बिहारी, पर्यवेक्षक,
द्वारा मैसर्स भारतीय इंजीनियरिंग कारपोरेशन,
फगवाड़ा ।

विनियम 10-ए (I) (एफ) के अधीन

16. प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
फगवाड़ा सदस्य सचिव ।

संख्या 12 बी० 34/13/2/85-प्रशा० — कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10-ए के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड पंजाब ने धारीवाल क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले से ही लागू है) की स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

अध्यक्ष

विनियम 10-ए (I) (ए) के अधीन

1. सिविल सर्जन,
सिविल अस्पताल,
गुरदासपुर ।

सदस्य

विनियम 10-ए (I) (बी) के अधीन

2. जिला, श्रम विवाद निवारण अधिकारी,
गुरदासपुर ।

विनियम 10-ए (I) (सी) के अधीन

3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय,
धारीवाल ।

विनियम 10-ए (I) (डी) के अधीन

4. श्री के० पी० मिश्रा, महा प्रबंधक,
मैसर्स न्यू इगरटन वूलेन मिल्ज,
धारीवाल ।

5. श्री जे० एम० पंडित, प्रशासनिक अधिकारी,
मैसर्स न्यू इगरटन वूलेन मिल्ज,
धारीवाल ।

6. श्री मनमोहन सिंह गिल, श्रम कल्याण अधिकारी,
मैसर्स न्यू इगरटन वूलेन मिल्स,
धारीवाल ।

7. श्री बी० एन० शाकाल, सहायक औद्योगिक सम्पर्क-अधिकारी,
मैसर्स न्यू इगरटन वूलेन मिल्ज,
धारीवाल ।

8. श्री जे० पी० शर्मा, श्रम कल्याण अधिकारी,
मैसर्स न्यू इगरटन वूलेन मिल्ज,
धारीवाल ।

विनियम 10-ए (I) (ई) के अधीन

9. श्री कुन्दन सिंह, महा सचिव,
धारीवाल कारखाना वर्कर्ज यूनियन,
धारीवाल (ए० आई० टी० यू० सी०) ।

10. श्री मेघ राज शर्मा, अध्यक्ष,
धारीवाल मिल मजदूर संघ,
धारीवाल (आई०एन०टी०यू०सी०)।

11. श्री राधा कृष्ण पुरी,
सदस्य धारीवाल मिल मजदूर संघ,
धारीवाल (आई०एन०टी०यू०सी०) ।

13. श्री कश्मीर सिंह बाग, अध्यक्ष,
धारीवाल मिल मजदूर दल,
धारीवाल (पंजाब मजदूर दल)।

13. श्री जवाहर लाल, अध्यक्ष,
भारतीय टैक्सटाईल मजदूर संघ,
धारीवाल (बी०एम०एस०)।

14. श्री नाथा सिंह, अध्यक्ष,
हिन्द मजदूर सभा,
धारीवाल (बी०एम०एस०)।

विनियम 10-ए (I) (एफ) के अधीन

15. प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
धारीवाल सदस्य सचिव।

सं० 12 बी० 34/13/2/85-प्रशा०—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड, पंजाब ने गोबिन्दगढ़ क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले से ही लागू है) की स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी :—

अध्यक्ष

विनियम 10-ए(1) (ए) के अधीन

1. सिविल सर्जन,
राजिन्द्रा अस्पताल,
पटियाला।

सदस्य

विनियम 10-ए (1) (बी) के अधीन

2. जिला श्रम विवाद निवारण अधिकारी
पटियाला।

विनियम 10-ए (1) (सी) के अधीन

3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय,
गोबिन्दगढ़।

विनियम 10-ए (1) (डी) के अधीन

4. श्री बलराम सूरज,
मेसर्स गुरूनानक स्टील वर्कर्स,
मण्डी गोबिन्दगढ़।

5. श्री स्वरजीत सिंह,
मेसर्ज कृष्णा आइरन एंड स्टील रोलिंग मिल्स,
मण्डी गोबिंदगढ़।

6. श्री अमरजीत सिंह,
मेसर्ज करम स्टील कारपोरेशन
मण्डी गोबिन्दगढ़।

7. श्री अमरजीत गोयल, प्रबन्ध निदेशक,
मेसर्स माडर्न स्टील,
मण्डी गोबिन्दगढ़।

8. श्री हुकम चन्द,
मेसर्ज जे० इण्डस्ट्रीज,
जी० टी० रोड, मण्डी गोबिन्दगढ़।

9. श्री पवन शारदा,
मेसर्ज दी आइरन फैक्टरी,
मण्डी गोबिंदगढ़।

विनियम 10-ए (1) (ई) के अधीन

10. श्री लक्ष्मन सिंह, महासचिव,
श्रमिक संघ रजि०,
मण्डी गोबिंदगढ़।

11. श्री सतीश वालिया, महा सचिव,
श्रमिक संघ रजि०,
मण्डी गोबिन्दगढ़।

12. श्री सोमपाल सिंह, महा सचिव,
भारतीय मजदूर संघ रजि०,
मण्डी गोबिन्दगढ़।

13. श्री चरनजीत सिंह, महा सचिव,
स्टील इण्डस्ट्रीज ट्रेड यूनियन रजि०,
मण्डी गोबिन्दगढ़।

14. श्री जी० एस० कटारिया, महा सचिव,
स्टील श्रमिक संघ रजि०,
मण्डी गोबिन्दगढ़।

15. श्री करमैल सिंह, महा सचिव,
पंजाब मजदूर,
मण्डी गोबिन्दगढ़।

विनियम 10-ए(1) (एफ) के अधीन

16. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
मण्डी गोबिन्दगढ़ सदस्य-सचिव।

आज्ञा से

एस० एस० अबरौल,
क्षेत्रीय निदेशक

गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अहमदाबाद-380014, दिनांक 13 नवम्बर 1987

क्रमांक : 37-बी०/237 (गठन)/87—स्थापना—अधिसूचित किया जाता है कि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10-अ के अन्तर्गत इस कार्यालय की दिनांक 8-5-1984 की सम-संख्यक अधिसूचना द्वारा

बड़ौदा क्षेत्र अंचल–1 के लिए गठित स्थानीय समिति का इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :—

1. जिलाधीश बड़ौदा जिला, बड़ौदा : अध्यक्ष क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10–अ के अन्तर्गत ।
2. वरिष्ठ फैक्टरी निरीक्षक बड़ौदा : गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 1950 के विनियम 10–अ 1(ब) के अन्तर्गत ।
3. सहायक निदेशक, चिकित्सा सेवाएं, क० रा० बी० योजना बड़ौदा क्षेत्र, क० रा० बी० योजना, बड़ौदा : निदेशक चिकित्सा सेवाएं, क० रा०बी० योजना, अहमदाबाद–14 द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम–1950 के विनियम 10–अ 1 (क) के अंतर्गत ।
4. श्री आर० आर० त्रिवेदी उप कर्मशाला प्रबन्धक, द्वारा चन्दन मेटल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, गोरवा, बड़ौदा । : नियोजकों के प्रतिनिधि
5. कु० महा लक्ष्मी पोपट, औद्योगिक संपर्क अधिकारी, द्वारा एलम्बिक केमिकल्स वर्क्स कं० लि०, एलेम्बिक रोड, बड़ौदा । : नियोजकों के प्रतिनिधि
6. श्री बचू भाई गढ़वी सचिव, द्वारा गुजरात इंजीनियरिंग एवं जनरल कामदार संघ, बड़ौदा । : श्रमिकों के प्रतिनिधि
7. श्री जितेन्द्र आर० सुखड़िया सामान्य सचिव, द्वारा एलेम्बिक कर्मचारी संघ, बड़ौदा । : श्रमिकों के प्रतिनिधि
8. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय, गोरवा, क० रा० बी० निगम, बड़ौदा । : सदस्य–सचिव

क्रमांक : 37–बी०/251 (गठन)/87–स्था०—अधिसूचित किया जाता है कि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10–अ के अन्तर्गत इस कार्यालय की दिनांक 8–5–1984 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा बड़ौदा क्षेत्र अंचल–2 के लिए गठित स्थानीय समिति का इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :—

1. जिलाधीश बड़ौदा जिला, बड़ौदा : अध्यक्ष, क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10–अ (1) (अ) के अन्तर्गत ।
2. वरिष्ठ फैक्टरी निरीक्षक, बड़ौदा : गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, क०रा०बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10–अ (1) (ब) के अन्तर्गत :
3. सहायक निदेशक, चिकित्सा सेवाएं, क० रा० बी० योजना (बड़ौदा क्षेत्र) क० रा० बी० योजना, बड़ौदा : निदेशक, चिकित्सा सेवाएं, क० रा० बी० योजना, अहमदाबाद–14 द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम–1950 के विनियम 10–अ (1)(क) के अन्तर्गत ।
4. श्री विपिन भाई पी० पटेल अध्यक्ष, द्वारा, बड़ौदा चेम्बर ऑफ कामर्स, बड़ौदा । : नियोजकों के प्रतिनिधि ।
5. श्री पी० जे० माठे, मंत्री, द्वारा, फैडरेशन ऑफ गुजरात, स्मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, अलकापुरी, बड़ौदा । : नियोजकों के प्रतिनिधि
6. श्री भालचन्द्र त्रिवेदी सामान्य मंत्री, द्वारा, गुजरात इंजीनियरिंग एवं जनरल कामदार संघ, बड़ौदा । : श्रमिकों के प्रतिनिधि
7. श्री जयन्ती भाई प्रजापति मंत्री द्वारा, बड़ौदा जिला जनरल कामदार संघ, जहांगीरपुरा, बड़ौदा । : श्रमिकों के प्रतिनिधि
8. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय पानीगेट, बड़ौदा । : सदस्य-सचिव

क्रमांक : 37-बी०/241(गठन)/87-स्था०—अधिसूचित किया जाता है कि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10-(अ) के अन्तर्गत इस कार्यालय की दिनांक 30-8-1982 की सममंख्यक अधिसूचना द्वारा अहमदाबाद-अंचल-1 के लिए गठित स्थानीय समिति का इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :—

1. श्रम आयुक्त गुजरात राज्य, अहमदाबाद	:	अध्यक्ष, क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-अ 1(अ) के अन्तर्गत ।
2. वरिष्ठ फैक्टरी निरीक्षक अहमदाबाद	:	गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-अ/1(ब) के अन्तर्गत
3. सहायक निदेशक, चिकित्सा सेवाएं, क० रा० बी० योजना, अहमदाबाद क्षेत्र, तीसरी मंजिल, एसिक भवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-14 ।	:	निदेशक, चिकित्सा सेवाएं, क० रा० बी० योजना, अहमदाबाद-14 द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-अ 1 (क) के अन्तर्गत
4. श्री दिलीप आर०, पारेख द्वारा गुजरात चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, रणछोड़ लाल मार्ग, अहमदाबाद ।	:	नियोजकों के प्रतिनिधि
5. (बाद में अधिसूचित किया जाएगा) द्वारा, गुजरात चेम्बर ऑफ कामर्स एवं इण्डस्ट्रीज, रणछोड़ लाल मार्ग, अहमदाबाद ।	:	नियोजकों के प्रतिनिधि
6. श्री हरीश यू० शाह, द्वारा अहमदाबाद टैक्स-टाइल्स मिल्स एसोसिएशन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद ।	:	नियोजकों के प्रतिनिधि
7. श्री के० सी० शाह, द्वारा, अहमदाबाद टैक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद ।	:	नियोजकों के प्रतिनिधि
8. श्री महेश भाई भट्ट, द्वारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अहमदाबाद ।	:	श्रमिकों के प्रतिनिधि
9 श्री जे० एम० राठौड़ द्वारा, हिन्द मजदूर सभा, अहमदाबाद ।	:	श्रमिकों के प्रतिनिधि
10. श्री भाईलाल भाई पटेल, नेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन, अहमदाबाद ।	:	श्रमिकों के प्रतिनिधि
11. श्री रामसागर सिंह बलवन्त सिंह परिहार, द्वारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अहमदाबाद ।	:	श्रमिकों के प्रतिनिधि
12. उप/सहायक क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क० रा० बी० निगम, "एसिक भवन" आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-14 ।	:	सदस्य-सचिव

क्रमांक 37-बी/242(गठन) 87-स्थापना—अधिसूचित किया जाता है कि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-अ के अन्तर्गत इस कार्यालय के दिनांक 30-8-82 के सममंख्यक अधिसूचना द्वारा अहमदाबाद अंचल-2 के लिए गठित स्थानीय समिति का इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :—

1. श्रम आयुक्त गुजरात राज्य अहमदाबाद	:	अध्यक्ष क० रा०बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-अ 1 (अ) के अन्तर्गत ।
2. वरिष्ठ फैक्टरी निरीक्षक अहमदाबाद	:	गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10-अ 1(ब) के अन्तर्गत ।
3. सहायक निदेशक चिकित्सा सेवाएं क० रा० बी० योजना, अहमदाबाद क्षेत्र, तीसरी मंजिल, एसिक भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद-14	:	निदेशक, चिकित्सा सेवाएं, क० रा०बी० योजना, अहमदाबाद-14 द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-अ 1(क) के अंतर्गत ।

4. श्री रमेशचन्द्र नन्दलाल परीख, द्वारा गुजरात चेम्बर आफ कामर्स एवं इण्डस्ट्रीज, रणछोड़लाल मार्ग, अहमदाबाद—14 । : नियोजकों के प्रतिनिधि

5. चन्द्रकान्त पी० मेहता द्वारा गुजरात चैम्बर ऑफ कोमर्स एवं इण्डस्ट्रीज, रणछोड़लाल मार्ग अहमदाबाद—14 : नियोजकों के प्रतिनिधि

6. श्री राजीव चिनूभाई द्वारा अहमदाबाद टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद । : नियोजकों के प्रतिनिधि

7. श्री देवीप्रसाद लिम्बेखाला द्वारा अहमदाबाद टैक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन अहमदाबाद । : नियोजकों के प्रतिनिधि

8. श्री भीखुभाई एल० हेदियल द्वारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अहमदाबाद । : श्रमिकों के प्रतिनिधि

9. श्री श्यामुराव द्वारा हिन्द मजदूर सभा अहमदाबाद । : श्रमिकों के प्रतिनिधि

10. श्री अमथाभाई देसाई द्वारा नेशनल लेबर ओर्गेनाइजेशन अहमदाबाद । : श्रमिकों के प्रतिनिधि

11. श्री राममूर्ति जयराम तिवारी द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अहमदाबाद । : श्रमिकों के प्रतिनिधि

12. सहायक क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय क० रा० बी० निगम एमिक भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद । : सदस्य सचिव

क्रमांक : 37—बी०/243 (गठन)/87—स्थापना—अधि०—सूचित किया जाता है कि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10—अ के अन्तर्गत इस कार्यालय की दिनांक 30—8—1982 की सम-संख्यक अधिसूचना द्वारा अहमदाबाद—विभाग—3 के लिए गठित स्थानीय समिति का इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :—

1. श्रम आयुक्त गुजरात राज्य, अहमदाबाद : अध्यक्ष क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10—अ 1(अ) के अन्तर्गत ।

2. वरिष्ठ फैक्टरी निरीक्षक अहमदाबाद : गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10—अ 1(ब) के अन्तर्गत ।

3. सहायक निदेशक चिकित्सा सेवाएं, क० रा० बी० योजना, अहमदाबाद क्षेत्र, तीसरी मंजिल, एसिक भवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद—14 : निदेशक, चिकित्सा सेवाएं, क० रा० बी० योजना, अहमदाबाद द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10-अ 1(क) के अन्तर्गत ।

4. श्री चन्द्रकान्त टी० परीख द्वारा गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इण्डस्ट्रीज, अहमदाबाद । : नियोजकों के प्रतिनिधि

5. श्री गौरांग ठाकोर द्वारा, गुजरात चेम्बर ऑफ कामर्स एवं इण्डस्ट्रीज, अहमदाबाद । : नियोजकों के प्रतिनिधि

6. श्री रमणलाल आर० सुथार द्वारा अहमदाबाद टैक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद । : नियोजकों के प्रतिनिधि

7. श्री मोहन लाल सी० अग्रवाल, द्वारा अहमदाबाद टैक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद । : नियोजकों के प्रतिनिधि

8. श्री कोदर भाई पटेल, द्वारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अहमदाबाद । : श्रमिकों के प्रतिनिधि

9. श्री खुशाल भाई क्रिस्ती द्वारा हिन्द मजदूर सभा, अहमदाबाद । : श्रमिकों के प्रतिनिधि

10. श्री पंकज भाई पटेल द्वारा नेशनल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद । : श्रमिकों के प्रतिनिधि

11. श्री टी० आर० मिश्रा, : श्रमिकों के प्रतिनिधि
द्वारा गुजरात मजदूर
पंचायत,
अहमदाबाद ।

12. उप/सहायक क्षेत्रीय : सदस्य-सचिव
निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,
एमिक भवन,
क० रा० बी० निगम,
आश्रम मार्ग,
अहमदाबाद ।

क्रमांक : 37-बी०/244 (गठन)/87-स्थापना--अधिसूचित किया जाता है कि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10-अ के अन्तर्गत इस कार्यालय की दिनांक 30-8-1982 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा अहमदाबाद अंचल-4 के लिए गठित स्थानीय समिति का इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :—

1. श्रम आयुक्त : अध्यक्ष
गुजरात राज्य, क० रा० बी० निगम (सामान्य)
अहमदाबाद विनियम, 1950 के विनियम
10-अ के 1 (अ) के अंतर्गत ।

2. वरिष्ठ फैक्टरी निरीक्षक, : गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत
अहमदाबाद प्रतिनिधि क० रा० बी० निगम
(सामान्य) विनियम, 1950
के विनियम 10(अ) के 1 (ब)
के अन्तर्गत ।

3. सहायक निदेशक : निदेशक, चिकित्सा सेवाएं,
चिकित्सा सेवाएं, क० रा० बी० योजना द्वारा
क० रा० बी० योजना मनोनीत प्रतिनिधि, क० रा०
अहमदाबाद क्षेत्र, बी० निगम (सामान्य)
तीसरी मंजिल, एमिक विनियम, 1950 के विनियम
भवन, आश्रम मार्ग, 10-अ 1(क) के अंतर्गत ।
अहमदाबाद-14

4. (बाद में अधिसूचित : नियोजकों के प्रतिनिधि
किया जाएगा) द्वारा
गुजरात चेम्बर ऑफ
कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज,
अहमदाबाद ।

5. श्री दीपक आर० बाबरिया : नियोजकों के प्रतिनिधि
द्वारा गुजरात चेम्बर
ऑफ कॉमर्स एवं इंड-
स्ट्रीज, अहमदाबाद ।

6. श्री लव कुमार कांतिलाल : नियोजकों के प्रतिनिधि
द्वारा अहमदाबाद
टैक्सटाइल्स मिल्स
एसोसिएशन,
अहमदाबाद ।

7. श्री किरीट कुमार बी० : नियोजकों के प्रतिनिधि
पटेल, द्वारा अहमदाबाद
टैक्सटाइल्स मिल्स
एसोसिएशन,
अहमदाबाद ।

8. श्री भरत भाई शाह, : श्रमिकों के प्रतिनिधि
द्वारा इंडियन नेशनल
ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
अहमदाबाद ।

9. श्री ए० एम० रामानी : श्रमिकों के प्रतिनिधि
द्वारा हिन्द मजदूर सभा,
अहमदाबाद ।

10. श्री हरजीवन भाई पटेल : श्रमिकों के प्रतिनिधि
द्वारा नेशनल लेबर आर्गे-
नाइजेशन, अहमदाबाद ।

11. श्री रघुनन्दन सीताराम : श्रमिकों के प्रतिनिधि
द्वारा आल इंडिया ट्रेड
यूनियन कांग्रेस,
अहमदाबाद ।

12. उप/सहायक क्षेत्रीय : सदस्य-सचिव
निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,
क० रा० बी० निगम,
आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-14 ।

क्रमांक 37 बी/231 (गठन)/87-स्था०—अधिसूचित किया जाता है कि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-अ के अन्तर्गत इस कार्यालय की दिनांक 26-11-82 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा नड़ियाद क्षेत्र के लिए गठित स्थानीय समिति का इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :—

1. उप जिलाधीश : अध्यक्ष
नड़ियाद क० रा० बी० निगम (सामान्य)
विनियम 1950 के विनियम
10-अ 1(अ) के अंतर्गत ।

2. वरिष्ठ फैक्टरी निरीक्षक : गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत
अहमदाबाद प्रतिनिधि क० रा० बी० निगम
(सामान्य) विनियम 1950 के
विनियम 10अ 1(ब) के
अन्तर्गत ।

3. प्रभारी, बीमा चिकित्सा अधिकारी क० रा० बी० योजना डी–1 डिस्पेंसरी नडियाद । : निदेशक चिकित्सा सेवाएं क० रा० बी० योजना–अहमदाबाद–14 द्वारा मनोनीत–प्रतिनिधि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10–अ 1(क) के अन्तर्गत ।

4. श्री अरविन्दभाई पटेल सामान्य प्रबन्धक, न्यू गोरोक मिल्स लिमिटेड, नड़ियाद । : नियोजकों के प्रतिनिधि

5. श्री बिपिनभाई आर० पटेल सामान्य सचिव द्वारा गुजरात इण्डस्ट्रियल एवं मल्टी ओनर्स एसोसिएशन, नड़ियाद । : नियोजकों के प्रतिनिधि

6. श्री मंगलदास पटेल– सामान्य सचिव द्वारा मजदूर महाजन संघ श्रमिक सेवा सदन, सरदार नगररोड, नडियाद । : श्रमिकों के प्रतिनिधि

7. श्री भास्कर भाई पटेल सामान्य सचिव द्वारा खेड़ा जिला जनरल मजदूर मंडल, मील रोड, नडियाद । : श्रमिकों के प्रतिनिधि

8. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय नडियाद नडियाद । : सदस्य सचिव

क्रमांक 37-बी/249(गठन)/87 स्थापना––अधिसूचित किया जाता है कि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10 अ के अन्तर्गत इस कार्यालय की दिनांक 10–4–84 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा वापी क्षेत्र के लिए गठित स्थानीय समिति का इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :––

1. जिलाधीश वलसाड : अध्यक्ष क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10अ 1(अ) के अन्तर्गत ।

2. वरिष्ठ फैक्टरी निरीक्षक : गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10अ 1(ब) के अन्तर्गत ।

3. सहायक निदेशक चिकित्सा सेवाएं (बड़ौदा क्षेत्र), क० रा० बी० योजना डी–1 डिस्पेंसरी काणी विश्वनाथ, बड़ौदा : निदेशक चिकित्सा सेवाएं, क० रा० बी० योजना, अहमदाबाद-14 द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, क०रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10अ 1(क) के अन्तर्गत ।

4. श्री हर्षदभाई जे० मेहता "रीया बंगले" के सामने जी० आई० डी० सी०–वापी द्वारा गुजरात प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज सी–1, बी०–45, जी० आई० डी० सी०, वापी । : नियोजकों के प्रतिनिधि

5. श्री मुकेश एस० नगरशेठ आनन्द नगर निर्मल एपार्टमेंट रूम सं० 3/4, वापी द्वारा सत्यम क्लोरीन इण्डस्ट्रीज प्लोट सं० 789/3, जी० आई० डी० सी० वापी । : नियोजकों के प्रतिनिधि

6. श्री रमजीभाई जीवाभाई पटेल सचिव, वेद रोड, विजय-नगर, प्लोट सं० 46, सूरत–4 : श्रमिकों के प्रतिनिधि

7. श्री धनसुखभाई एन० वुड पेपर मिल्स के सामने अन्तालिया, वापी (बिलीमोरा) । : श्रमिकों के प्रतिनिधि

8. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय वापी, वापी । : सदस्य सचिव

क्रमांक 37 बी/227 (गठन)/87/स्थापना––अधिसूचित किया जाता है कि क० रा० बी० योजना (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10–अ के अन्तर्गत इस कार्यालय को दिनांक 28–2–83 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा पेटलाद क्षेत्र के लिए गठित स्थानीय समिति का इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :––

1. जिलाधीश जिला खेड़ा : अध्यक्ष क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10अ 1(अ) के अन्तर्गत ।

2. वरिष्ठ फैक्टरी निरीक्षक नड़ियाद	:	गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-अ 1(ब) के अन्तर्गत ।
3. प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, क० रा० बी० योजना डी-1 डिस्पेंसरी पेटलाद	:	निदेशक, चिकित्सा सेवाएं, क० रा० बी० योजना अहमदाबाद-14 द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि क० रा० बी० निगम (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10अ 1 (क) के अंतर्गत ।
4. श्री महेन्द्रभाई एम० पटेल	:	नियोजकों के प्रतिनिधि द्वारा इंडियन ब्लूम पाइप फैक्टरी, पेटलाद ।
5. श्री अश्विनभाई शाह	:	नियोजकों के प्रतिनिधि द्वारा व्रजेश टैक्सटाइल्स मिल्स, पेटलाद ।
6. श्री कान्तिभाई ए० पटेल सचिव एग्रिकल्चर एण्ड रूरल एसोसिएशन, पेटलाद ।	:	श्रमिकों के प्रतिनिधि
7. श्री पूजाभाई परमार सचिव गुजरात जनरल कामदार संघ पेटलाद ।	:	श्रमिकों के प्रतिनिधि
8. प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय पेटलाद पेटलाद ।	:	सदस्य सचिव

आदेश से

सर्वेश्वर प्रसाद पाडेय
क्षेत्रीय निदेशक एवं सदस्य सचिव
गुजरात रीजनल बोर्ड
क० रा० बी० निगम, अहमदाबाद-14

पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़

क्रमांक 2-87/जी०आर०—केन्द्रीय सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने अपने पत्रांक एफ० 15-1/87-डेस्क (यू), दिनांकित 17-6-1987 के अनुसार निम्नलिखित विनियमों को मंजूरी दे दी है :

1. कैलेन्डर, भाग 1, 1984 के पृष्ठ 175 पर अध्याय VII (ई) "युवक कल्याण" के नाम और विनियमों का संशोधन निम्नानुसार होगा ।

युवक कल्याण कार्यकलाप विभाग

1. विभाग का नाम "युवक कल्याण कार्यकलाप विभाग होगा ।
2. यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कालेजों और यूनिवर्सिटी अध्यापन विभागों में दाखिल सभी विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के अन्त में, समय समय पर यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित वार्षिक चंदा युवक कल्याण फीस के रूप में यूनिवर्सिटी को देंगे और तब ही वे विभाग के कार्यकलापों में भाग ले सकेंगे ।
3. विभाग का उद्देश्य होगा :—
   (1) विभिन्न कार्यक्लापों में विद्यार्थियों को शामिल कर उनकी सृजनात्मक प्रतिभा का पता लगाना और उसे विकसित करना ;
   (2) विद्यार्थियों के युवा उत्साह और शक्ति को सृजनात्मक और सार्थक कार्यकलापों में लगाना ;
   (3) उनमें साहस और सही विचारों की भावना भरना और उच्च मूल्यों, मानवीय नेकी और सदाचरण के लिए आदर पैदा करना, और
   (4) उनमें देश के लिए अपनेपन और प्रतिबद्धता की भावना पैदा करना और उनको राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सार्थक दिशा प्रदान करना ।
4. युवक कल्याण समिति

निम्नलिखित सदस्यों की एक युवक कल्याण समिति होगी :

1. कुलपति	(अध्यक्ष)
2. डीन आफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन्ज	पदानुसार
3. डीन आफ स्टूडैंट वैलफेयर	पदानुसार
4. रजिस्ट्रार	पदानुसार
5. डीन, कालेज डिवेलपमेंट काउंसिल	पदानुसार
6. फाईनांस एंड डिवैलपमेंट आफिसर	पदानुसार

7. सीनेट के दो सदस्य, जिनमें से एक सिंडीकेट का सदस्य होगा ।
8. सम्बद्ध कालेजों के चार प्रिंसिपल, जिनमें से एक महिला कालेज की प्रिंसिपल होगी ।
9. दो लैक्चरार—एक सम्बद्ध कालेज में से और दूसरा पंजाब यूनिवर्सिटी अध्यावन विभागों में से
10. प्रैजीडैंट, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडैंट काऊंसिल . . . पदानुसार
11. सम्बद्ध कालेजों के दो विद्यार्थी
12. डायरैक्टर, युवक कल्याण (मंबर सचिव)

यह समिति कुलपति की सिफारिशों पर सिंडीकेट द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए बनाई जायेगी ।

5. समिति के कार्य

1. यह समिति विभाग के कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशासनिक मामलों को छोड़कर, शेष सभी मामलों पर विचार करेगी ।
2. समिति साल में कम-से-कम दो बार एकत्र होगी । इनमें से एक एकत्रता अन्य मामलों के

साथ वार्षिक बजट तैयार करने के लिए होगी ।

3. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह समिति आवश्यकता अनुसार उप-समितियां भी बना सकती है ।

6. पूर्णकाली युवक कल्याण डायरैक्टर नियुक्त किया जाएगा जो कुलपति द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों की पालना करेगा ।

×

2. कैलेन्डर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 26 पर अध्याय तृतीय "प्रश्नपत्रों और परीक्षाओं के परिणामों की मार्डरेशन" में विनियम 27.3 की वृद्धि निम्नानुसार होगी :

27.1 (क) जो परीक्षार्थी परीक्षा के सभी विषयों में बैठता है और जो एक या अधिक विषयों (लिखित, प्रयोगिक, सैशनल अथवा मौखिक) और/या कुल जोड़ (यदि कुल जोड़ में पास होने की अलग शर्त हो) में फेल हो जाता है, उसे कुल जोड़ के अंकों का अधिक से अधिक 1 प्रतिशत रियायती अंक (आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को निकाल कर) दिये जायेंगे ताकि वह उस कमी को पूरा कर सके जिससे परीक्षार्थी पास हो सके । रियायती अंक देते हुए 1/2 या इससे अधिक आंशिक अंक को एक अंक मान लिया जाएगा ।

बशर्ते कि उस परीक्षार्थी को भी रियायती अंक दिये जाएं जिनसे वह विषय/विषयों और भाग/भागों में एगजैम्पशन या कम्पार्टमेंट प्राप्त कर सके ।

(ख) से (ग) ××× ××× ×××

27.2 परीक्षा के कुल अंकों के एक प्रतिशत रियायती अंक जिस में, यदि कोई हों, भाग भी शामिल होगा/होंगे, उच्च दर्जा (न कि डिस्टिंक्शन/आनर्ज) देने के लिए उस परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों में जोड़ दिये जायेंगे, पर शर्त यह है कि परीक्षा पास करने के लिए कोई रियायती अंक पहले ही प्राप्त न किया गया हो ।

*27.3 वह परीक्षार्थी जो एम० ए०/एम० एस० सी० एम० काम/ एम० लिब० सी०/एम० ऐड०/ एम० पी० एड० परीक्षा देता है, उसको कुल 55% अंक बनाने के लिए कुल अंकों के 1% तक रियायती अंक दिये जा सकते हैं ।

बशर्ते कि उस परीक्षार्थी ने परीक्षा पास करने के लिए रियायती अंक पहले ही न ले लिए हों ।

27.4 जो परीक्षार्थी अपनी डिवीजन में सुधार करने के लिए एम० ए०, एम० काम, एम० ए० (शारीरिक शिक्षा) अथवा एम० लिब० सी० की पुनः परीक्षा देता है, उसको निम्नानुसार कुल अंकों के 1 प्रतिशत के हिसाब से रियायती अंक दिये जाएं :—

(1) जो परीक्षार्थी केवल एक भाग की परीक्षा देता है।	उस भाग के अंकों का 1 प्रतिशत जिस में वह पुनः परीक्षा देता है ।
(2) जो परीक्षार्थी दोनों भागों में पुनः परीक्षा देता है	दोनों भागों के कुल अंकों के 1 प्रतिशत अंक

बशर्ते कि किसी परीक्षार्थी को अपनी डिवीजन सुधारने के लिए कम-से-कम निर्धारित किये गए अंकों से अधिक अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे ।

3. कैलेन्डर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 70–71 पर बी० ए० (पास और आनर्ज) और बी० एस० सी० (पास और आनर्ज) परीक्षाओं के लिए विनियम 8.3 निम्नानुसार होगा :

8.3 बी० ए० भाग II परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को, 8.1 में दिए गए विषयों के अतिरिक्त, एक निम्नलिखित विषय को भी अतिरिक्त विषय के रूप में लेना पड़ेगा :—

(i) से (xix) ××× ××× ×

(xx) संगीत

××× ××× ×××

4. कैलेन्डर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 75 पर बी० ए० (पास और आनर्ज) और बी० एस० सी० (पास और आनर्ज) परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित विनियम 16.4 को हटाना ।

*16.4 जो परीक्षार्थी अपनी भाग III के उत्तर-पत्र/ पत्रों का पुनर्मूल्यांकन करवाता है, तो वह अपने अंक बढ़ाने के उद्देश्य से भाग II अथवा भाग III की परीक्षा में अलग अलग या एक साथ बैठने के योग्य नहीं होगा ।

××× ××× ××× ×××

5. कैलेन्डर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 93–94 पर बी० एस० सी० (आनर्ज स्कूल) के लिए विनियम 6.2 निम्नानुसार होगा :

6.2 विभिन्न आनर्ज स्कूलों के पूरक कोर्सों की नीचे सूची दी जाती है जिसे बोर्ड आफ कंट्रोल की मंजूरी से कोई विद्यार्थी ले सकता है ।

*1986 की परीक्षाओं से लागू ।

*1985 की परीक्षाओं से लागू ।

प्रत्येक बोर्ड आफ कंट्रोल पूरक विषयों की गिनती और प्रकार का निर्णय ले सकता है परन्तु इसके लिए अकादमिक कौंसिल की मंजूरी अनिवार्य होगी ।

आनर्ज स्कूल	पूरक विषय

× × ×

गणित, भौतिकी, रसायनिकी, भूविज्ञान, भूगोलशास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, दर्शन, कम्प्यूटेशनल तकनीक और जैव विज्ञान ।

× × × × × × × × ×

6. कैलेन्डर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 109–110 पर मास्टर आफ आर्टस परीक्षा के लिए विनियम 2.1 और 8.1 निम्नानुसार होंगे :—

2.1 मास्टर आफ आर्टस की डिग्री की परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी और परीक्षार्थी इनमें से एक विषय ले सकेगा :

(i) एक भाषा, अर्थात् अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, अर्बी हिन्दी, पंजाबी, उर्दू, फ्रांसीसी, बंगाली, तमिल,

(ii) (से) (xiii) × × × × × ×

8.1 परीक्षा का माध्यम निम्नानुसार होगा :

संस्कृत के लिए	परीक्षार्थी की इच्छा अनुसार संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी अथवा अंग्रेजी । परीक्षार्थी को ऊपर दिए गए माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा अपने पेपरों के उत्तर देने की छूट होगी ।
फारसी के लिए	परीक्षार्थी की इच्छा अनुसार फारसी, उर्दू या अंग्रेजी ।
अरबी के लिए	परीक्षार्थी की इच्छा अनुसार उर्दू या अंग्रेजी ।
हिन्दी के लिए	हिन्दी,
पंजाबी के लिए	पंजाबी
उर्दू के लिए	उर्दू
संगीत के लिए	अंग्रेजी या हिन्दी या पंजाबी या उर्दू
तमिल के लिए	तमिल
अन्य विषयों के लिए	अंग्रेजी

× × × × × × × × ×

7. कैलेन्डर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 110–112 पर मास्टर आफ आर्ट्स परीक्षा के लिए विनियम 3.1 और विनियम 3.1 (एफ) को हटाना निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

(1986 के दाखिलों से लागू)

3.1 जिस व्यक्ति ने नीचे दी गई परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा इस यूनिवर्सिटी, 1948 से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से, जिसकी परीक्षा को इस यूनिवर्सिटी की अनुसारी परीक्षा के बराबर मान्यता दी गई हो, पास की है, वह एम० ए० कोर्स के प्रथम वर्ष (भाग 1) में दाखिला लेने के योग्य होगा—

(i) से (viii) × × × × × ×

(ix) हिस्टरी आफ आर्ट के लिए, जिस व्यक्ति ने नीचे दी गई परीक्षाओं में से एक परीक्षा पास की हो, वह योग्य होगा :—

(1) नीचे दिये गए विषयों में से किसी एक विषय में 45% अंकों से बी० ए० (पास) परीक्षा :—

(क) कला (ख) संगीत (ग) मनोविज्ञान (घ) दर्शन (ङ) समाजशास्त्र (च) संस्कृत (छ) इतिहास (ज) अंग्रेजी (झ) प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति (ट) गृह विज्ञान (ठ) आधुनिक भारती भाषाओं/कलासिकी भाषाओं में से कोई एक ;

(2) दूजे दर्जे में कुल अंकों के कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी० ए० (पास)/बी० एस० सी० (गृह विज्ञान) परीक्षा ;

(3) कुल अंकों के कम-से-कम 45 प्रतिशत अंकों से बी० एफ० ए०/बैचुलर आफ आर्किटेक्चर परीक्षा :

(4) किसी विषय में मास्टर की परीक्षा ।

बशर्ते कि उसने सम्बन्धित बोर्ड आफ कंट्रोल द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार ललित कला विभाग द्वारा ली जाने वाली योग्यता परीक्षा पास की हो ।

8. कैलेन्डर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 145 पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ड्रैस डिजाइनिंग के लिए विनियम 2 निम्नानुसार होगा :—

2. नीचे दी गई योग्यताओं वाला व्यक्ति कोर्स में दाखिल होने के योग्य होगा :—

(1) पंजाब यूनिवर्सिटी से बी० एस० सी० गृह-विज्ञान जिसने कुल अंकों में से 50% अंक प्राप्त किए हों ।

(2) सिंडीकेट द्वारा (1) के समान मानी गई कोई अन्य परीक्षा जिसमें क्लोथिंग एंड

टैक्सटाइलस (प्रेक्टिकल) एक विषय के रूप में हो।

(3) बी० ए० होम साइंस क्लोदिंग एण्ड टैक्स-टाइलस (प्रेक्टिकल) विषय के साथ।

9. कैलेन्डर भाग II 1984 के पृष्ठ 291 पर बैचुलर आफ कामर्स परीक्षा के लिए विनियम, 2.5 की वृद्धि :

2.3 जिस व्यक्ति ने निचे दी गई परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की हो, वह बैचुलर आफ कामर्स की दूसरे वर्ष की क्लास में दाखिला लने के योग्य हो सकता है :—

(क) इस यूनिवर्सिटी से बैचुलर आफ कामर्स भाग I की परीक्षा।

(ख) कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी, अथवा पंजाबी यूनि-वर्सिटी अथवा गुरुनानक देव युनिवर्सिटी अथवा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अथवा महाऋषि दयानन्द यूनिवर्सिटी से बैचुलर आफ कामर्स का भाग I, परन्तु पास किये विषय कोर्स वहीं हों जो इस यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धा-रित किये गए हैं। यदि विषय कोर्सों में कोई कमी है, तो उसे न्यून विषयों कोर्सों, यदि कोई हों, को आगामी दो लगातार परीक्षाओं में पास करना होगा। यदि वह न्यून विषयों/कोर्सों में पास नहीं होता/होती तो उसका काम भाग II का परिणाम रद्द कर दिया जाएगा।

(ग) सिंडीकट द्वारा (इस यूनिवर्सिटी के बी० काम० भाग I के समान मानी कोई अन्य परीक्षा, परन्तु पास किये विषय कोर्स इस यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित विषयों/कोर्सों के समान होने चाहिए। यदि विषयों/कोर्सों में कुछ कमी हो तो उसे न्यून विषयों/कोर्सों, यदि कोई हों, को आगामी दो लगातार परीक्षाओं में पास करना होगा। यदि वह इन विषयों/कोर्सों में पास नहीं होता/होती, उसका बी०काम० भाग I का परिणाम रद्द माना जाएगा।

2.4 जिस व्यक्ति ने नीचे दी गई परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की है, वह बैचुलर आफ कामर्स के तीसरे वर्ष की क्लास में दाखिला ले सकता है :

(क) इस यूनिवर्सिटी से बैचुलर आफ कामर्स भाग II की परीक्षा।

(ख) कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अथवा पंजाबी यूनिवर्सिटी अथवा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अथवा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अथवा महाऋषि दयानन्द यूनिवर्सिटी से बैचुलर आफ कामर्स का भाग 2 परीक्षा, यदि पास किये विषय/कोर्स इस यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित विषयों कोर्सों के समान हों। यदि (बी० काम० भाग I और II के) विषयों/कोर्सों में कोई कमी है, तो उसे न्यून विषयों/कोर्सों यदि कोई हों, को आगामी दो लगातार परीक्षाओं में पास करना होगा। यदि वह इन न्यून विषयों/कोर्सों में फेल हो जाता/जाती है, तो उसका बी० काम० भाग 3 का परिणाम रद्द माना जाएगा।

2.5 यदि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, अथवा महाऋषि दयानंद यूनिवर्सिटी अथवा पंजाबी यूनिवर्सिटी, अथवा गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी अथवा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के किसी परीक्षार्थी की बी० काम० भाग 1/2 कम्पार्टमेंट रि-अपियर आई हो उस को केस की नौईयल के अनुसार यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कालेज में अस्थायी तौर पर उच्च क्लास में इस शर्त पर दाखिला दिया जा सकता है कि यदि वह कम्पार्टमेंट/रि-अपीयर वाली परीक्षा के बाद की दो लगातार परीक्षाओं में अपनी मूल यूनिवर्सिटी से कम्पार्टमेंट/रि-अपीयर पास नहीं कर लेता, तो उच्च क्लास में उसका अस्थायी दाखिला और उसकी उच्च परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया जाएगा।

पर शर्त यह है कि उस विद्यार्थी ने वही विषय लिए हों जो इस यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं। यदि विषयों/कोर्सों में कोई न्यूनता हो, तो उन न्यून विषयों/कोर्सों, यदि कोई हों, तो यूनिवर्सिटी की आगामी दो लगातार परीक्षाओं में पास करना होगा। यदि वह न्यून विषयों/कोर्सों को पास नहीं कर सकता तो उसका उच्च परीक्षा का परिणाम रद्द समझा जाएगा।

*1985 के दाखिलों से लागू।

10. कैलन्डर, भाग 2, 1984 के पृष्ठ 386—87 पर मास्टर आफ इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए विनियम, 3.3 निम्नानुसार होगा :—

*3.3 जिस परीक्षार्थी ने डिप्लोमा परीक्षा पास करने के बाद कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ ए एण्ड बी सकशन आफ इन्स्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्ज (इन्डिया) कलकत्ता परीक्षा अथवा आई० ई० टी० ई० ग्रेजुएट परीक्षा जो (इन्स्टीट्यूशन आफ इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टैलिकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स, नई दिल्ली द्वारा ली जाती है) पास की हो तो जिसका कम-से-कम पांच वर्ष का शोध अथवा विवसायक अनुभव हो, उसे मास्टर आफ इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिल किया जा सकता है। बशर्ते कि उसने सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित लिखित और मौखिक परीक्षा पास कर ली हो।

अथवा*

जिस परीक्षार्थी ने 60 प्रतिशत अंकों से बी० आर्क० की परीक्षा पास करने के बाद कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों से ए० एण्ड बी० सैक्शन आफ इन्स्टिट्यूशन आफ इंजीनियरिंग (इण्डिया) कलकत्ता की परीक्षा पास की हो अथवा जिसे 5 वर्ष का शोध अथवा अध्यापन अथवा विवसायक अनुभव हो, उसे मास्टर आफ इंजीनियरिंग (सिविल स्ट्रक्चर) कोर्स में दाखिल किया जा सकता है बशर्ते कि उसने संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित लिखित व मौखिक टैस्ट पास कर लिया हो।

*1986 के दाखिलों से लागू।

11. कैलेन्डर, भाग 2, 1984 के पृष्ठ 416 पर विनियम, 4.2 के अधीन ग्रुप "बी" (मूल विषय) में एम एड० (फिजिओलोजी परीक्षा के लिए चार) थियूरी पेपरों का नाम निम्नानुसार होगा :—

पेपर 1 : फीजिओलोजी और हिस्ट्री आफ फीजिओलोजी से सम्बन्धित विषय

पेपर 2 : सिस्टेमैटिक फीजिओलोजी।

1. नर्व,
2. मसल,
3. न्यूरोफीजिओलोजी,
4. स्पैशल सैनिसिज
5. ऐन्डोक्रिनालोजी
6. रीप्रोडक्शन

पेपर 3 : हिस्टैमैटिक फीजिओलोजी 2

1. ब्लड जिसमें इम्यूनालोजी सम्मिलित है
2. कार्डिवेस्क्लूयर सिस्टम
3. रैस्पिरेटरि सिस्टम
4. रीनल सिस्टम
5. गैस्टोइन्टैरिटनल सिस्टम
6. मैटाबोलिज्म
7. न्यूट्रिशन और
8. ऐन्वायरनमेंटल फीजिओलोजी

पेपर 4 : अप्लाइड फीजिओलोजी अथवा क्लिनिकल फीजिओलोजी

× ×

12. कैलेन्डर, भाग 2, 1984 के पृष्ठ 493—95 पर बैचुलर आफ फार्मेसी परीक्षा के लिए विनियम, निम्नानुसार होंगे :—

(1986 के दाखिलों से लागू)

1.1 बैचुलर आफ फार्मेसी की डिग्री के लिए शिक्षण कोर्स की अवधि चार वर्ष होगी।

1.2 चार परीक्षाएं होंगी, अर्थात पहली (पार्ट 1), दूसरी (पार्ट 2) तीसरी (पार्ट 3) और अन्तिम (पार्ट 4) जो क्रमानुसार पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अकादमिक सैशन के अन्त में होंगी। ये सभी परीक्षाएं साधारणतया वर्ष में दो बार अप्रैल (वार्षिक) और सितम्बर (अनुपूरक) के महीनों में सिंडीकेट द्वारा निर्धारित तिथियों पर होंगी।

2. सिंडीकेट द्वारा निर्धारित की गई परीक्षाओं के शुरू होने की तिथियां और 5 रुपये की देरी फीस के बिना और सहित परीक्षा के दाखिला फार्मों और फीस लेने की अन्तिम तिथियों रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित की जायेंगी।

3.1 जिस व्यक्ति ने नीचे दी गई परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास कर ली है, कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने के योग्य होगा :

(क) पंजाब यूनिवर्सिटी की प्री-मैडिकल परीक्षा।

(ख) किसी अन्य यूनिवर्सिटी / बोर्ड की परीक्षा जिसे सिंडीकेट (क) के समान मानती हो।

3.2 जिस विद्यार्थी ने पहली बी० फार्म, परीक्षा पास कर ली है, वह दूसरे वर्ष की क्लास में दाखिल होने के योग्य होगा।

3.3 जिस व्यक्ति ने दूसरी बी० फार्म परीक्षा पास कर ली है, वह तीसरे वर्ष की क्लास में दाखिल होने के योग्य होगा।

3.4 जिस व्यक्ति ने तीसरे बी० फार्म परीक्षा पास कर ली है, वह चौथे (अन्तिम) वर्ष की क्लास में दाखिल होने के योग्य होगा।

4.1 जिस विद्यार्थी की विनियमों 3.1/3.2/3.3/3.4 में निर्धारित की गई योग्यताएं हैं, और जो यूनिवर्सिटी के फार्मेस्यूटिकल साइंसिज विभाग/इस परीक्षा के लिए सम्बद्ध कालेज में दाखिल रहा हो और जो विभागाध्यक्ष/कालेज के प्रिंसीपल द्वारा हस्ताक्षरित नीचे दिए गए प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करे, वह आवश्यकता अनुसार पहली/दूसरी/तीसरी/अन्तिम परीक्षा देने के योग्य होगा।

(क) सदाचरण का,

(ख) प्रत्येक कोर्स में पूरे कोर्स के 75 प्रतिशत लैक्चर और प्रैक्टिकल पूरा करने का।

4.2 लैक्चरों और प्रैक्टिकलों की आवश्यक गिनती में न्यूनता को विभागाध्यक्ष कालेज/का प्रिंसीपल 10 प्रतिशत लैक्चरों और 5 प्रतिशत प्रैक्टिकलों की न्यूनता तक माफ कर सकता है।

4.3 जो विद्यार्थी निश्चित गिनती के लैक्चर और प्रैक्टिकल पूरा कर लेने के बाद किसी एक या सभी कोर्सों

में परीक्षा नही देता अथवा अप्रैल में हुई परीक्षा में परीक्षा देकर सभी या किसी एक विषय में फेल हो जाता है, वह इन कोर्सों में आगामी तीन लगातार परीक्षाओं में बैठ सकता है ।

4.4 जिस परीक्षार्थी के वर्ष में अप्रैल में होने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक लैक्चरों और प्रैक्टिकलों में हाजरियों में कमी हो, वह इस कमी को पूरा करके आगामी परीक्षा में बैठ सकता है और विनियम 4.3 में दिये गये अवसरों का लाभ उठा सकता है ।

4.5 जो विद्यार्थी फेल हो जाता है अथवा पहली/दूसरी/तीसरी बी० फार्म परीक्षा के कुल अंकों में कम से कम 200 अंकों के कोर्स/कोर्सों में परीक्षा नहीं देता, वह विनियम 4.1 में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार, इन कोर्स/कोर्सों में और दूसरी/तीसरी अन्तिम परीक्षा में देने के योग्य होगा । उच्च परीक्षा का परिणाम उतनी देर घोषित नहीं किया जाएगा जितनी देर उसने निम्न परीक्षा के सारे कोर्स पास न कर लिए हों ।

4.6 जो विद्यार्थी सम्बन्धित वर्ष के अप्रैल में हुई पहली परीक्षा और तीन आगामी परीक्षाओं के सभी अथवा किसी एक कोर्स में नही बैठता या फेल हो जाता है उसे बैचुलर आफ फार्मेसी की डिग्री के लिए पढ़ाई जारी रखने से रोक दिया जाएगा ।

4.7 जो विद्यार्थी सम्बन्धित वर्ष के अप्रैल में हुई दूसरी/तीसरी/अन्तिम बी० फार्म परीक्षा और उसके बाद की तीन आगामी परीक्षाओं के सभी अथवा किसी एक कोर्स में नहीं बैठता या फेल हो जाता है, उसे उस शिक्षा कोर्स की पढ़ाई फिर से करनी पड़ेगी और सम्बन्धित परीक्षा के सभी कोर्सों में फिर से बैठना पड़ेगा ।

5. परीक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली परीक्षा फीस प्रत्येक परीक्षा के लिए 45/- रुपये होगी ।

रि-अपीयरिंग के लिए परीक्षार्थी प्रत्येक परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिए 25/- रुपये दाखिला फीस देगा जो सम्बन्धित परीक्षा के लिए अधिक से अधिक 45/- रुपये होगी और रि-अपीयरिंग के लिए दाखिला फीस दूसरी परीक्षा, यदि कोई हो, के लिए वसूल की गई दाखिला फीस के अतिरिक्त होगी जिस में वह बैठ रहा हो ।

6.1 परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा ।

6.2 परीक्षा सीनेट द्वारा निर्धारित किये पाठ्यक्रम के अनुसार होगी ।

6.3 पहली/दूसरी/तीसरी और अन्तिम परीक्षाओं के प्रत्येक पेपर में दस प्रतिशत अंक, लिखित और प्रैक्टिकल दोनों के लिए अलग-अलग निश्चित होंगे । दिये गए अंकों को विभागाध्यक्ष/कालेज के प्रिंसीपल, जैसा भी केस हो, द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे और अप्रैल/सितम्बर परीक्षा, जैसा भी केस हो, के लिए सम्बन्धित पेपर के लिए निश्चित अंकों में गिने जायेंगे ।

7. परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक कोर्स के लिए 50 प्रतिशत अंक चाहिए होंगे ।

8.1 जो परीक्षार्थी किसी कोर्स (कोर्सों) में फेल हो जाता जाता है, उसे अस्थायी रूप में अगली उच्च क्लास में दाखिला दिया जा सकता है ।

बशर्ते कि परीक्षार्थी को तीसरे/चौथे वर्ष की क्लास में तभी दाखिल होने की आज्ञा दी जायेगी यदि उसने क्रमानुसार पहले/दूसरे वर्ष की परीक्षा (सभी कोर्स) पास कर ली हो ।

8.2 जिस विद्यार्थी ने पहली/दूसरी/तीसरी अनुपूरक परीक्षा पास कर ली हो, वह आगामी वर्ष के अप्रैल में, जैसा भी केस हो, दूसरी/तीसरी/अन्तिम परीक्षा में बैठने के योग्य होगा । जो परीक्षार्थी पहली/दूसरी/तीसरी वार्षिक परीक्षा, पास कर लेता है, वह उसी वर्ष के सितम्बर में, जैसा भी केस हो, दूसरी/तीसरी/अन्तिम परीक्षा में बैठ सकता है यदि वह विनियम 4.1 में दी गई शर्तों को पूरा करता हो ।

9.1 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सफल परीक्षार्थी को उस कोर्स/कोर्सों में "वैशिष्टय" सहित पास किया गया माना जाएगा ।

9.2 रजिस्ट्रार परीक्षा के बाद जितना शीघ्र हो सके परिणाम की घोषणा करेंगे ।

9.3 पहली/दूसरी/तीसरी परीक्षा के सफल परीक्षार्थी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा ।

8.4 बी० फार्म की डिग्री के लिए सफल परीक्षार्थी को डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा ।

× × ×

13. कैलेन्डर, भाग 2, 1984 के पृष्ठ 529 पर कोरसपोंडेंस कोर्सिज के लिए विनियम 6.1 निम्नानुसार होगा :—

6.1 कोरसपोंडेंस कोर्सिज निदेशालय का प्रबन्ध स्थायी समिति करेगी जो आगे सिंडीकेट की निगरानी और सीनेट के सामान्य नियन्त्रण में काम करेगी : सिंडीकेट द्वारा नियुक्त स्थायी समिति में शामिल होंगे :—

1. कुलपति ..... (अध्यक्ष) ..... पदानुसार
2. डी० यू० आई० (पदानुसार)
3. सिंडीकेट के दो नामजद व्यक्ति जिनमें से एक निदेशालय के अध्ययन विषयों से सम्बन्धित फैकलटी का डीन होगा ।
4. एक प्रोफेसर, एक रीडर और एक लेक्चरार कोरसपोंडेंटस निदेशालय में से जिसे कुलपति प्रवरता के आधार पर नामजद करेगा ।

5. कुलपति द्वारा यूनिवर्सिटी के बाहर से दूर शिक्षा के क्षेत्र में से दो विशेषज्ञ ।

6. कोर्सपोंडेंस कोर्सिज का निदेशक (पदानुसार, सदस्य, सचिव)

पदानुसार सदस्यों के इलावा स्थायी समिति के सदस्य दो वर्ष के लिए पद संभालेंगे । स्थायी समिति की एकत्रता के लिए कोरम चार सदस्यों का होगा।

× × ×

14. कैलेन्डर, भाग 2, 1984 के फैकलटी आफ फार्मेस्यूटिकल साइंसिज में पी० एच० डी० डिग्री प्रदान करने के लिए विनियम निम्नानुसार होंगे :—

1.1 फैकलटी आफ फार्मेस्यूटिकल साइंसिज में डाक्टर आफ फ़िलास्फी की डिग्री के लिए परीक्षार्थी को फार्मेस्यूटिक्स, फार्मेस्यूटिकल, साइंसिज, फार्मेकागनोजी अथवा फार्मेकालोजी में मास्टर आफ फार्मेसी होना चाहिए ।

1.2 फैकलटी उस व्यक्ति को भी पी० एच० डी० करने के लिए आज्ञा दे सकती है, यदि उसने

(क) फार्मेसी में ग्रैजुएशन की हो, और

(ख) किसी अन्य यूनिवर्सिटी/संस्था से विनियम 2.1 में वर्णित विषयों से सम्बन्धित विषय में मास्टर्ज डिग्री प्राप्त की है ।

2.1 जो व्यक्ति पी० एच० डी० शोध के लिए स्वीकार्य होना चाहता है, शोध कार्य शुरु करने से पहले चैयरमैन की मार्फत निश्चित पंजीयन फार्म पर 50/- रुपये की फीस, जो वापिस नहीं की जाएगी, के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

2.2 पंजीयत परीक्षार्थी 25/- रुपये प्रति महीना की फीस अदा करेगा ।

बशर्ते कि पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन और अन्य समान संस्थाओं द्वारा वजीफा/फैलोशिप प्राप्त कर्ताओं और अध्यापकों को यह फीस देने से छूट होगी ।

3. परीक्षार्थी अपना शोध–कार्य यूनिवर्सिटी में फार्मेस्यूटिकल साइंसिज के विभाग अथवा फैकल्टी द्वारा इस कार्य के लिए स्वीकृत केन्द्र पर करेगा ।

3.1 पंजीयन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर परीक्षार्थी अध्यक्ष की मार्फत पंजीकरण के लिए निश्चित फार्म पर दरखास्त करेगा और निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा—

(क) अपने थीसिस का विषय और

(ख) शोध-प्राजैक्ट की रूपरेखा ।

बशर्ते कि बोर्ड पंजीकरण के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर सकता है ।

3.2 आवेदन पत्र को आगे भेजते समय, अध्यक्ष शोध-कार्य में आवेदक का मार्ग-निर्देशन करने के लिए शोध-निरीक्षक/संयुक्त शोध निरीक्षकों की भी सिफारिश करेगा ।

3.3 शीर्षक इत्यादि के पंजीकरण और स्वीकृति के लिए आवेदन पत्रों (विनियम 4.1) को रजिस्ट्रार दफ्तर द्वारा छानबीन करने के बाद, इन्हें विचारने के लिए बोर्ड को भेज दिया जायेगा ।

3.4 बोर्ड प्रत्येक आवेदन-पत्र पर विचार करेगा और सिफारिश करेगा कि;

(क) शोध के लिए प्रस्तावित विषय और

(ख) सिफारिश किया गया/किए गए शोध-निरीक्षक, सही हैं और यदि सही है तो इसको मंजूरी देगा । यदि बोर्ड यह महसूस करे कि विषय और/अथवा शोध निरीक्षक सही नहीं है, तो यह या तो आवेदन-पत्र को रद्द कर सकता है या कारण बताकर उचित परिवर्तन करने का सुझाव दे सकता है ।

3.5 थीसिस का विषय और बोर्ड द्वारा सिफारिश किये शोध निरीक्षक/निरीक्षकों को फैकल्टी द्वारा विचारा जाएगा । उसे इस प्रयोजन के लिए बुलाई विशेष एकत्रता में किसी विशेषज्ञ को नामांकित करने का अधिकार होगा ।

3.6 फैकलटी यह फैसला करेगी कि आवेदन का पंजीकरण करना है या नहीं ।

3.7 परीक्षार्थी अपने थीसिस का शीर्षक बदलने के लिए अपने निरीक्षक की मार्फत अध्यक्ष की आज्ञा के लिए आवेदन-पत्र दे सकता है । ऐसे आवेदन-पत्रों पर पहले बोर्ड द्वारा और फिर फैकलटी द्वारा विचार किया जाएगा ।

4.1 परीक्षार्थी अपना शोध-कार्य तीन साल जारी रखेगा । यदि वह इस समय में अपना शोध-कार्य और थीसिस पूरा नहीं कर सकता, वह अपने निरीक्षक और अध्यक्ष की मार्फत समय-वृद्धि के लिए आवेदन-पत्र दे सकता है ।

फैकल्टी अधिक से अधिक दो वर्ष की समय-वृद्धि की अनुमति दे सकती है ।
बशर्ते कि :—

(1) समय-वृद्धि एक बार में एक साल से अधिक नहीं दी जाएगी, और

(2) समय-वृद्धि के लिए आवेदन-पत्र के साथ 25/– रुपये की फीस भी देनी पड़ेगी ।

4.2 एक वर्ष का शोध-कार्य समाप्त होने पर, परीक्षार्थी को अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य मान्य

केन्द्र पर अपना शोध-कार्य जारी रखने की आज्ञा दी जा सकती है यदि :—

(क) विभाग में आगे काम करने की सुविधाएं प्राप्त न हों,

अथवा

(ख) अध्यक्ष की यह सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे केन्द्र पर शोध-कार्य करना परीक्षार्थी के हित में होगा । बशर्ते कि निरीक्षक, परीक्षार्थी से प्राप्त अर्ध वार्षिक रिपोर्टों की छानबीन करके उसके शोध-कार्य में परीक्षार्थी द्वारा वृद्धि का मूल्यांकन करने के लिए, यदि आवश्यकता पड़े, उसे बुला सकता है ।

4.3 परीक्षार्थी और निरीक्षक बोर्ड के विचार के लिए समय-समय पर शोध-कार्य के बारे में अध्यक्ष को रिपोर्ट करते रहेंगे । ऐसी रिपोर्ट साल में कम से कम एक बार अवश्य प्रस्तुत की जाएगी ।

4.4 यदि निरीक्षक परीक्षार्थी के काम के बारे में विपरीत रिपोर्ट देता है तो इस बात का फैसला करने के लिए कि परीक्षार्थी को पी० एच० डी० डिग्री के लिए अपनी शोध जारी रखने की आज्ञा देनी है या नहीं, यह मामला बोर्ड के सामने रखा जायेगा ।

4.5 परीक्षार्थी और निरीक्षक/निरीक्षकों में मतभेद/झगड़ा उत्पन्न होने की हालत में, फैसले के लिए यह मामला बोर्ड के सामने रखा जायेगा । यदि उचित समझें तो बोर्ड इस मामले में विशेषज्ञ को नामजद कर सकता है अथवा उसकी सलाह ले सकता है ।

5.1 विनियम 5.1 के अधीन बढ़ाए गए समय के समाप्त होने के 30 दिन के अन्दर परीक्षार्थी अपना थीसिस प्रस्तुत करेगा ।

बशर्ते कि फैकल्टी बोर्ड की सिफारिश पर, उचित कारण बताकर अच्छे काम वाले परीक्षार्थी को, जिसने पहले ही काफी उपयोगी मान्यता प्राप्त कार्य किया है, अधिक से अधिक एक साल तक छूट दे सकती है और अपना थीसिस पंजीयन और शोध के दो साल बाद प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकती है ।

आगे बशर्ते कि परीक्षार्थी अपना थीसिस पंजीकरण की तिथी से एक साल से पहले प्रस्तुत नहीं कर सकेगा ।

फैकल्टी इन शर्तों को जहां तक चाहे माफ कर सकती है ।

5.2 यदि कोई परीक्षार्थी विनियम 5.1 और 6.1 के अन्तर्गत समय समाप्त होने के बाद अपना थीसिस प्रस्तुत करता है, फैकल्टी का डीन तीन महीने तक की देरी को माफ कर सकता है । कुलपति प्रत्येक केस के गुणों के आधार पर और फैकल्टी की सिफारिश पर जहां तक चाहे देरी को माफ कर सकता है ।

5.3 शोध-कार्य समाप्त होने पर और इन विनियमों में अनुमत समय के अनुसार, परीक्षार्थी अपने थीसिसकी चार छपी हुई, टाईप की हुई अथवा रिप्रोग्राफड प्रतियां प्रस्तुत करेगा और नीचे दी गई शर्तों को पूरा करेगा :—

(1) थीसिस के साथ

(क) 300/– रुपये की फीस

(ख) अपने शोध-निरीक्षक का प्रमाणपत्र (जो सिंडीकेट द्वारा निर्धारित किया हो) जिसमें उस समय का जिक्र किया गया हो जिसमें परीक्षार्थी ने शोध की है और यह कि थीसिस पी० एच० डी० की डिग्री प्रदान करने के लिए योग्य है ।

(2) थीसिस मौलिक शोध-कार्य का साक्षी होना चाहिए जिसमें या तो नए तथ्यों की खोज की गई हो या परिचित तथ्यों अथवा सिद्धान्तों की नई व्याख्या की गई हो; किसी भी हालत में यह मौलिक शोध, आलोचनात्मक परीक्षण और निर्णय के लिए परीक्षार्थी के सामर्थ्य का साक्षी होना चाहिए ।

(3) साहित्यिक पेशकारी में थीसिस सन्तोषजनक होगा ।

(4) थीसिस संकेत करेगा कि यह परीक्षार्थी की अपनी शोध अथवा निरीक्षण के परिणामों और उन आधारों को जिनके अनुसार परीक्षार्थी की खोज ने अपने विषय के अध्ययन को आगे बढ़ाया है, कैसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है ।

बशर्ते कि :—

(क) परीक्षार्थी अपने थीसिस में अपने किसी भी काम के सारतत्व को निहित कर सकता है जो उसने इस विषय पर प्रकाशित किया हो, परन्तु उसको अपने थीसिस के रूप में कोई ऐसा शोध-कार्य प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जिसके लिए इस या किसी अन्य यूनिवर्सिटी संस्था ने डिग्री प्रदान की हो ।

(ख) अपने शोध-निरीक्षक के साथ मिलकर किसी भी संयुक्त शोध को थीसिस के विषय के तौर पर नहीं माना जाएगा । थीसिस में तो परीक्षार्थी का अपना काम निहित होना चाहिए, जो उसकी व्यक्तिगत प्राप्ति

होनी चाहिए । आगे अशर्ते कि परीक्षार्थी अपने थीसिस की पुष्टि के लिए सहायक सामग्री के रूप में अपने विषय को आगे बढ़ाने के लिए स्वतन्त्र रूप में या संयुक्त रूप में प्रकाशित कार्य को प्रस्तुत कर सकता है । जहां यह सहायक सामग्री पेश की जाए, परीक्षार्थी ऐसे संयुक्त काम में अपने व्यक्तिगत योगदान को विशेष रूप में वर्णन करेगा । और इसको शोध-निरीक्षक से उचित रूप में प्रमाणित करवायेगा ।

(ग) परीक्षार्थी अपने निरीक्षक और अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित, लिखित घोषणा करेगा कि यह थीसिस मूल रूप में वही नहीं है जो उसने पहले किसी अन्य यूनिवर्सिटी/संस्था को प्रस्तुत किया था ।

(घ) थीसिस को शोध-कार्य का अधिकांश भाग विनियम 2.1/2.2 में निर्धारित मूल योग्यता प्राप्त करने के बाद होना चाहिए ।

6.1 थीसिस फैकल्टी द्वारा अनुमोदित सूची में से सिंडीकेट/कुलपति द्वारा नियुक्त दो परीक्षकों के पास भेजा जाएगा । परीक्षक सिफारिश करेंगे :—

कि थीसिस पी०एच०डी०
स्वीकार कर लिया जाए : डिग्री प्रदान करने के लिए

अथवा

थीसिस रद्द कर दिया जाए

अथवा

थीसिस आवश्यक संशोधन करने के बाद पुर्न प्रस्तुत किया जाए और इस उद्देश्य के लिए जो वे उचित समझते हों सुझाव दे सकते हैं । अशर्ते कि यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षक/परीक्षकों की टिप्पणियां प्रदान करने के एक साल के अन्दर परीक्षार्थी साधारणतया संशोधित थीसिस को पुर्न प्रस्तुत करेगा । फैकल्टी का डीन अधिक से अधिक एक साल तक की विशेष समय वृद्धि कर सकता है ।

6.2 यदि परीक्षकों ने थीसिस की पुर्न प्रस्तुति के लिए सिफारिश की है तो यह केवल एक बार ही पुर्नप्रस्तुत किया जा सकता है । और इसका मूल्यांकन वही परीक्षक करेंगे जिन्होंने इसका मल्यांकन पहले किया था, जब तक उनमें से कोई एक या वे दोनों ऐसा करने के लिए अयोग्य या सहमत न हों ।

6.3 जिस परीक्षार्थी को थीसिस पुर्न प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है उसको इसके साथ विनियम 6.3 में निर्धारित फीस की आधी राशि थीसिस के साथ जमा करवानी पड़ेगी ।

6.4 यदि थीसिस की स्वीकृति के बारे में दो परीक्षकों में मतभेद हो, तो कुलपति थीसिस को किसी तीसरे परीक्षक के पास भेज सकता है जो साधारणतया अनुमोदित सूची से अलग होगा ।

6.5 रद्द किये गए थीसिस के अलावा, अन्य में मौखिक परीक्षा होगी । थीसिस के परीक्षक, यदि वे चाहें, अपनी रिपोर्टों के साथ कुछ प्रश्न भी भेज सकते हैं जिनका प्रयोग मौखिक परीक्षा के लिए निर्मित बोर्ड कर सकता है । इस बोर्ड में कुलपति द्वारा नियुक्त तीन परीक्षक शामिल होंगे जिनमें विभागाध्यक्ष और परीक्षार्थी का निरीक्षक भी शामिल होंगे । यदि बोर्ड तीन में से दो सदस्य उपस्थित हैं, तो मौखिक परीक्षा होगी, पर शर्त यह है कि इनमें से एक बाहरी परीक्षक होगा ।

6.6 थीसिस के परीक्षकों और मौखिक परीक्षा लेने वाले बोर्ड की रिपोर्ट सिंडीकेट द्वारा विचारी जायेगी । सिंडीकेट फैसला कर सकती है :—

(1) क्या डाक्टर आफ फिलासफी की डिग्री प्रदान की जाए,

(2) क्या परीक्षार्थी को अपना थीसिस संशोधन करने और पुर्नमूल्यांकन के लिए पुर्नप्रस्तुत करने को कहा जाए,

(3) क्या थीसिस रद्द कर दिया जाए ।

6.7 रजिस्ट्रार सिंडीकेट के फैसले के अनुसार परिणाम अधिसूचित करेगा ।

7.1 यदि कोई परीक्षार्थी इन विनियमों के अधीन दिए समय में अपना थीसिस प्रस्तुत नहीं कर पाता, उसका पंजीयन/पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, परन्तु उसको किसी अन्य विषय पर दुबारा रजिस्टर करवाने की आज्ञा दी जा सकती है— केवल उन अपवादात्मक हालातों को छोड़कर जब वह काफी दीर्घ समय के लिए बीमार पड़ गया हो अथवा सैनिक सेवा की संकटकालीन व्यवस्था ने उसे ऐसा न करने दिया हो, वह उसी विषय पर रजिस्टर हो सकता है ।

7.2 यदि परीक्षार्थी का निरीक्षक, जो किसी अन्य यूनिवर्सिटी की पी० एच० डी० डिग्री के लिए शोध कार्य का निरीक्षण कर रहा हो, विभाग में काम कर रहा हो, तो परीक्षार्थी को इस यूनिवर्सिटी की पी० एच० डी० डिग्री के लिए अपना पंजीयन उसी निरीक्षक के अधीन करवाने की आज्ञा दी जा सकती है, परन्तु शर्त यह है कि वह इन विनियमों को पूरा करता हो । ऐसा परीक्षार्थी पंजीयन से एक साल के बाद ही अपना थीसिस प्रस्तुत कर सकेगा ।

7.3 इन विनियमों के लागू होने से पहले जो व्यक्ति पी० एच० डी० डिग्री के लिए पहले रजिस्टर्ड हुआ है, वह यदि चाहे तो पुराने विनियमों के अनुसार अपना काम जारी रख सकता है ।

× × ×

15. कैलेन्डर, भाग 2, 1984 के फारसी में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नए विनियम निम्नानुसार होंगे :—

(1986 की परीक्षाओं से लागू)

1.1 फारसी में सर्टीफिकेट कोर्स की अवधि एक अकादमिक वर्ष होगी ।

1.2 परीक्षा सिंडीकेट द्वारा निश्चित की गई तिथियों पर वर्ष में एक बार साधारणतया मई के महीने में होगी ।

1.3 सिंडीकेट द्वारा निश्चित की गई परीक्षा की तिथि और 5 रुपये की देरी फीस सहित और इसके बिना दाखिला फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को रजिस्ट्रार अधिसूचित करेगा ।

2. जिस व्यक्ति ने नीचे दी गई परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की हो, वह इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए योग्य होगा ।

(क) पंजाब यूनिवर्सिटी से 1970 से पहले, अथवा पंजाब/ हरियाना के स्कूल शिक्षा बोर्ड अथवा सैकेन्डरी शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड, दिल्ली (केवल संघ क्षेत्र चंडीगढ़ के विद्यार्थी) से हायर सैकेन्डरी की परीक्षा ।

(ख) पंजाब यूनिवर्सिटी की प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा,

(ग) सिंडीकेट द्वारा (क) और (ख) के समान मान्य किसी अन्य यूनिवर्सिटी/बोर्ड की परीक्षा ।

3.1 जो व्यक्ति विनियम 2 में दी गई योग्यताएं पूरा करता है, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के उर्दू/फारसी विभाग के अध्यक्ष द्वारा नीचे दिया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, वही परीक्षा देने के योग्य होगा :—

(क) सदाचरण का,

(ख) परीक्षा से पहले के अकादमिक वर्ष में विभाग में दाखिल होने का, और

(ग) क्लास को दिये लैक्चरों में से 75 % लैक्चरों में हाजिर रहने का ।

3.2 निश्चित गिनती के लैक्चरों में कमी की जा सकती है :—

(क) विभागाध्यक्ष द्वारा—15 लैक्चर

(ख) विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर डीन आफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन द्वारा—25 लैक्चर ।

3.3 जो विद्यार्थी निर्धारित गिनती के लैक्चर पूरा करने के बाद परीक्षा नहीं देता, या परीक्षा में फेल हो जाता है, उसे विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर विभाग कोर्स पूरा करने के तीन साल के अन्दर विभाग के लेट विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने की आज्ञा दी जा सकती है ।

4. परीक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली दाखिला फीस 50/- रुपये होगी ।

5.1 परीक्षा सीनेट द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी ।

6.2 परीक्षा का माध्यम फारसी होगा : प्रश्न पत्र भी फारसी में होंगे ,

6. परीक्षा पास करने के लिए कम से कम अंक निम्नानुसार होंगे :—

(क) प्रत्येक पेपर में 33%

(ख) कुल अंकों में 40%

(ग) मौखिक परीक्षा में 50%

7.1 सफल परीक्षार्थियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :—

(क) जो कुल अंकों के 60% या अधिक अंक प्राप्त करते हैं — प्रथम दर्जा (फर्स्ट डिवीजन)

(ख) जो कुल अंकों के 50 % से अधिक परन्तु 60 % से कम अंक प्राप्त करते हैं — द्वितीय दर्जा (सैकेन्ड डिवीजन)

(ग) जो कुल अंकों के 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं — तीसरा दर्जा (थर्ड डिवीजन)

7.2 रजिस्ट्रार परीक्षा समाप्त होने के चार सप्ताह बाद या जितनी जल्दी हो सके, परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करेगा ।

7.3 प्रत्येक सफल परीक्षार्थी को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा जिसमें प्राप्त अंक और डिवीजन जिसमें उसने परीक्षा पास की है, को दर्ज किया जाएगा ।

× × ×

16. कैलेन्डर, भाग 2, 1984 के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन बायोकैमिस्ट्री के लिए नए विनियम निम्नानुसार होंगे :—

1.1 डिप्लोमा इन बायोकैमिस्ट्री के कोर्स की अवधि एक अकादमिक वर्ष होगी ।

1.2 इस कोर्स की परीक्षा साल में दो बार साधारणतया दिसम्बर और मई के महीनों में या सिंडीकेट द्वारा निश्चित की गई तिथियों पर होगी ।

1.3 सिंडीकेट द्वारा निश्चित परीक्षा की तिथि और आवश्यक फीस के साथ दाखिला फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।

1.4 परीक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली परीक्षा फीस 100/- रुपये या जितनी सिंडीकेट निश्चित करे, होगी ।

2. इस कोर्स के लिए कम से कम योग्यता होगी:—

(क) नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक में एम० एस० सी० द्वितीय दर्जे (50%) में कैमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोफिजिक्स, बाटनी, जुआलोजी माइक्रोबायालोजी, ऐन्थ्रोपॉलोजी (बी० एस० सी० साईंस विषयों सहित), जैनिटिक्स, बायोलोजी और सम्बन्धित विषय

(ख) पंजाब यूनिवर्सिटी या सिंडिकेट द्वारा (क) के समान मान्य किसी अन्य यूनिवर्सिटी के उपर्युक्त विषयों में एम० एस० सी० आनर्ज स्कूल डिग्री ।

3. जिस व्यक्ति की विनियम 2 में निर्धारित योग्यताएं हैं, वह परीक्षा देने के योग्य होगा, बशर्ते कि वह बायोकैमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष/चेयरमैन द्वारा हस्ताक्षरित नीचे दिये प्रमाणपत्र पेश करे :—

(क) सदाचरण का,

(ख) परीक्षा से पहले के अकादमिक वर्ष में बायोकैमिस्ट्री विभाग में दाखिल रहने का, और

(ग) क्लास को क्रमानुसार (थिऊरी, प्रैक्टिकलों और शिक्षण कार्यक्रमों में दिये गये लैक्चरों में 66% में हाजिर रहने का :

4.1 लैक्चरों की आवश्यक गिनती में कमी माफ की जा सकती है :—

(क) बायोकैमिस्ट्री के बोर्ड आफ कंट्रोल द्वारा 10% तक

(ख) बायोकैमिस्ट्री के बोर्ड आफ कंट्रोल की सिफारिश पर डीन आफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन द्वारा 15% तक ।

4.2 डीन आफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन के अनुमोदन के अधीन, बायोकैमिस्ट्री में बोर्ड आफ कंट्रोल को इस द्वारा निर्णित सीटों पर विद्यार्थियों को दाखिल करने का अधिकार होगा और इसे अकादमिक काउंसिल द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कोर्स या क्लास से विद्यार्थियों को निकालने का अधिकार होगा ।

4.3 प्रत्येक विद्यार्थी बोर्ड आफ कंट्रोल के नियन्त्रण और अनुशासन में होगा । बोर्ड आफ कंट्रोल को किसी विद्यार्थी को दुराचरण की हालत में कोर्स में से निकालने का अधिकार होगा ।

4.4 डीन आफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन के अनुमोदन के अधीन बोर्ड आफ कंट्रोल को इन विनियमों के अन्तर्गत न आए किसी मामले पर निर्णय लेने का अधिकार होगा ।

5. परीक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी ।

6. परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा ।

7. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षार्थी के प्रैक्टिकल क्लासों में दैनिक निष्पत्ति के रिकार्ड पर आधारित होगा ।

8. थिऊरी पेपरों और प्रैक्टिकलों की गिनती अर्थात् थिऊरी पेपरों, प्रैक्टिकलों और मौखिक परीक्षा में अंकों का विभाजन पाठ्यक्रम के अनुसार होगा ।

8.1 परीक्षा पास करने के लिए

(क) प्रत्येक थिऊरी पेपर

(ख) प्रत्येक प्रैक्टिकल में कमसे कम 50% अंकों की आवश्यकता होगी ।

8.2 पेपर को आंतरिक और बाहरी परीक्षक मिलकर तैयार करेंगे (आंतरिक परीक्षक वह होगा जिसने वास्तव में कोर्स पढ़ाया हो) प्रैक्टिकलों की परीक्षा बोर्ड आफ कंट्रोल द्वारा लिए निर्णय के अनुसार होगी । बोर्ड सम्बन्धित प्रैक्टिकल पेपरों में सम्बन्धित बाहरी परीक्षार्थी और आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति करेगा जिसमें सम्बन्धित पेपर (पेपरों) में मौखिक परीक्षा भी शामिल होगी ।

8.3 उत्तर पत्रों का मूल्यांकन आंतरिक और बाहरी परीक्षक स्वतन्त्र रूप में करेंगे । यदि दोनों परीक्षकों द्वारा दिये गए अंकों का अन्तर 15 प्रतिशत से अधिक न हो, तो दोनों अंकों की औसत को अन्तिम माना जायेगा । यदि अंकों का यह अन्तर 15 प्रतिशत से अधिक हो तो, उत्तर पत्र मूल्यांकन के लिए तीसरे परीक्षक के पास भेजे जायेंगे और वो अधिकतम अंकों की औसत को अन्तिम अंक मान लिया जायेगा ।

8.4 जो परीक्षार्थी पहली परीक्षा में फेल हो जाता है, उसको आगामी वर्ष में परीक्षा देने की आज्ञा दी जा सकती है, पर उसे दो अवसरों से अधिक अवसर नहीं दिये जायेंगे ।

8.5 जो परीक्षार्थी एक या अधिक थिऊरी पेपरों में अथवा एक या अधिक प्रैक्टिकलों में फेल हो जाता है, उसे आगामी परीक्षा में सम्बन्धित थिऊरी और/या प्रैक्टिकलों पेपर (पेपरों) में रि-अपीयर होने की आज्ञा दी जा सकती है ।

8.6 जितनी देर परीक्षार्थी इस पेपर में पास नहीं हो जाता, उतनी देर तक वह ट्यूशन फीस देगा ।

9. कुल अंकों का 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को "मैरिट ग्रेड" में रखा जायेगा और मैरिट अनुसार उसका स्थान

और उस द्वारा प्राप्त किये गये अंकों की प्रतिशतता को डिप्लोमे में दर्ज किया जाएगा। कुल अंकों में से 60 प्रतिशत या अधिक और 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को "वेरी गुड ग्रेड" में रखा जाएगा जिसे उस द्वारा प्राप्त किये अंकों की प्रतिशतता सहित उसके डिप्लोमा में दर्ज किया जायेगा। जो परीक्षार्थी कुल अंकों का 50 प्रतिशत या अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं, उनको "गुड ग्रेड" में रखा जाएगा जिसे परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त किये अंकों सहित उसके डिप्लोमा में दर्ज किया जाएगा।

10. प्रत्येक सफल परीक्षार्थी डिप्लोमा प्राप्त करेगा जिस में परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त किए अंकों की प्रतिशतता और ग्रेड अर्थात उसके शोध-निबन्ध का विषय/सारातत्व दिया जाएगा। यह डिप्लोमा परीक्षार्थी को यूनिवर्सिटी की वार्षिक कान्वोकेशन में प्रदान किया जायेगा।

11. प्रत्येक सिमैस्टर परीक्षा के कुल अंक और क्रैडिट निम्नानुसार होंगे :—

सिमैस्टर 1	सिमैस्टर 2
500 अंक	500 अंक
20 क्रैडिट	20 क्रैडिट

प्रत्येक पेपर को नियत किये सही अंकों और क्रैडिटों (100 अंकों के पेपर को चार क्रैडिट नियत किये जायेंगे) का निर्णय बोर्ड आफ कंट्रोल करेगा जो प्रत्येक पेपर में दिए लैक्चरों/प्रैक्टिकलों की गिनती को भी ध्यान में रखेगा।

× × ×

17. कैलेन्डर, भाग 2, 1984 के बैचुलर आफ फिजीकल एजुकेशन (सिमैस्टर सिस्टम) के लिए नए विनियम निम्नानुसार होंगे —

बैचुलर आफ फिजीकल ऐजुकेशन
(सिमैस्टर सिस्टम)

1.1 बैचुलर आफ फिजीकल ऐजुकेशन की डिग्री के लिए कोर्स की अवधि एक अकादमिक वर्ष होगी जिस के दो सिमैस्टर होंगे। प्रत्येक सिमैस्टर निम्नानुसार 17 सप्ताह का होगा :

पहला सिमैस्टर : जुलाई . . . से नवम्बर . . . तक
दूसरा सिमैस्टर : जनवरी . . . से मई . . . तक

1.2 पहले सिमैस्टर के लिए परीक्षा दिसम्बर के महीने में और दूसरे सिमैस्टर की मई के महीने में या उन तिथियों पर होगी जो सिंडीकेट द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाएं।

1.3 जिन तिथियों तक निश्चित दाखिला फार्म और फीस रजिस्ट्रार के पास पहुंच जानी चाहिए, निम्नानुसार होंगी —

देरी फीस के बिना	51 रुपये की देरी फीस के साथ
दिसम्बर परीक्षा के लिए	रजिस्ट्रार द्वारा निश्चित की जायेगी।
देरी फीस के बिना	51 रुपये की देरी फीस के साथ
मई परीक्षा के लिए	रजिस्ट्रार द्वारा निश्चित की जायेगी।

बिना देरी फीस अन्तिम तिथि के बाद दाखिला फार्म और फीस प्राप्त करने के लिए तीन रियायती दिन दिये जायेंगे।

2.1 जिस व्यक्ति के पास नीचे दी गई योग्यताओं में कोई योग्यता है, वह कोर्स में दाखिला ले सकता है :—

(क) पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी विषय में 45 प्रतिशत अंकों के साथ बैचुलर/पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री।

(ख) सिंडीकेट द्वारा (क) के समान मान्य किसी अन्य यूनिवर्सिटी के किसी विषय में 45 प्रतिशत अंकों के साथ बैचुलर/पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री।

बशर्ते कि धारा (क) या (ख) के अधीन दाखिल किया परीक्षार्थी, इस कोर्स के दाखिले के समय, सिंडीकेट द्वारा परिभाषित मानक शारीरिक कुशलता परीक्षण पास कर सके।

2.2 प्रत्येक सिमैस्टर की परीक्षा उस परीक्षार्थी के लिए खुली होगी जो विनियम 2.1 में निर्धारित शर्तें पूरा करता है और यूनिवर्सिटी विभाग के चेयरमैन अध्यक्ष से नीचे दिए प्रमाण पत्र पेश करता है :—

(क) सदाचरण का,

(ख) सिमैस्टर के दौरान प्रत्येक कोर्स में कम से कम 66 प्रतिशत लेक्चरों में हाजिर रहने का,

(ग) परीक्षा से पहले सिमैस्टर में विभाग में दाखिल रहने का।

2.3 थिऊरी/प्रैक्टिकल/सेमिनारों/ट्यूटोरिअलों इत्यादि में निश्चित गिनती के लेक्चरों में 10 प्रतिशत तक की कमी को यूनिवर्सिटी विभाग का चेयरमैन/अध्यक्ष माफ कर सकता है।

3.1 परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक सिमैस्टर के लिए दी जाने वाली दाखिला फीस की राशि 50/- रुपये होगी।

3.2 प्रत्येक सिमैस्टर परीक्षा के लिए परीक्षार्थी विभागाध्यक्ष से उचित रूप में प्रतिहस्ताक्षरित निर्धारित फार्म पर अपना दाखिला आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसके साथ आवश्यक प्रमाण पत्र और निर्धारित परीक्षा फीस भी पेश की जायेगी।

3.3 परीक्षार्थी विभिन्न सिमैस्टरों के लिए अलग-अलग दाखिला फार्म प्रस्तुत करेगा जिनमें प्रत्येक सिमैस्टर

परीक्षा के लिए पेश किये कोर्स/कोर्सों का उल्लेख किया जायेगा ।

3.4 परीक्षार्थी रि-अपीयर समय प्रत्येक सिमैस्टर परीक्षा में प्रति कोर्स के लिए 25 रुपये दाखिला फीस देगा जो अधिक से अधिक 50 रुपये होगी और रिअपीयर के लिए परीक्षा फीस दूसरी सिमैस्टर परीक्षाओं, यदि कोई हों, वह देने जा रहा है, के लिए वसूल की गई परीक्षा फीस के अतिरिक्त होगी ।

4.1 प्रत्येक सिमैस्टर के लिए पाठ्यक्रम और पठन-कोर्स समय-समय पर सिंडीकेट द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

4.2 जो परीक्षार्थी कोर्स/कोर्सों में हाजिरी की शर्त को पूरा नहीं करता, उसे अगली बार इस कोर्स/कोर्सों को प्रस्तुत करते समय इनके शिक्षा कोर्स को दुहराना पड़ेगा ।

5. परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा ।

6. प्रत्येक सिमैस्टर के विभिन्न कोर्सों के लिए परीक्षा में लिखित परीक्षा या ऐसे अन्य परीक्षण सम्मिलित होंगे जिनका समय-समय पर सिंडीकेट फैसला करती है ।

7.1 प्रत्येक सिमैस्टर में परीक्षा पास होने के लिए प्रत्येक थिऊरी कोर्स में कम से कम 35 प्रतिशत, प्रत्येक प्रैक्टिकल में 40 प्रतिशत और प्रत्येक सिमैस्टर में कुल अंकों के 40 प्रतिशत की आवश्यकता होगी ।

7.2 जो परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने के योग्य है परन्तु परीक्षा नहीं देता, या परीक्षा देकर किसी कोर्स/कोर्सों में फेल हो जाता है, वह अगले सिमैस्टर की क्लासों में दाखिल होने और उस सिमैस्टर की परीक्षा में बैठने के योग्य होगा ।

7.3 जो परीक्षार्थी पहले सिमैस्टर की परीक्षा में फेल हो जाता है परन्तु किसी कोर्स/कोर्सों में पास अंक प्राप्त कर लेता है, उसे उस कोर्स/कोर्सों में रि-अपीयर होने से छूट दी जायेगी । ऐसे परीक्षार्थी को अगले साल की मई परीक्षा में दूसरी सिमैस्टर परीक्षा के साथ पहले सिमैस्टर के पास न किए गए कोर्स/कोर्सों में बैठने की आज्ञा दी जाएगी ।

7.4 जो परीक्षार्थी पहले या दूसरे सिमैस्टर के किसी भी कोस/कोर्सों में पास नहीं होता, उसको लेट कालिज विद्यार्थी के रूप में दो साल लगातार उन कोर्स/कोर्सों में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है, जिनमें वह फेल हुआ है । दो साल की अवधि उस समय से गिनी जायेगी जब वह दूसरे सिमैस्टर में बैठने के योग्य होगा । यदि वह अब भी इस समय के दौरान इन पेपरों को पास करने में अयोग्य रहता है, तो इसका पहले और दूसरे सिमैस्टर का परिणाम रद्द माना जायेगा । ऐसे परीक्षार्थी को नियमित विद्यार्थी के तौर पर प्रत्येक सिमैस्टर का पूरा कोर्स दुहराए बगैर बैचुलर आफ फ़िजीकल एजूकेशन की परीक्षा में बैठने की आज्ञा नहीं दी जाएगी ।

7.5 कुल 12 कोर्स होंगे : छः कोर्स पहले सिमैस्टर में प्रस्तुत किये जायेंगे और शेष छः कोर्स दूसरे सिमैस्टर में पेश किये जायेंगे । प्रत्येक कोर्स के 50 अंक होंगे । थिऊरी विषयों के पहले सिमैस्टर में 300 अंकों और दूसरे सिमैस्टर में 300 अंक होंगे । प्रत्येक सिमैस्टर में प्रैक्टिकल परीक्षा होगी जिसके लिए पहले सिमैस्टर में 175 अंक और दूसरे सिमैस्टर में 125 अंक होंगे । प्रैक्टिकल पाठ और सिमैस्टर 1 और सिमैस्टर 2 में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :—

पहला सिमैस्टर :

(क) सामान्य पाठ 65+10=75 अंक
(ख) खेलों पर पाठ 45+5=50 अंक
(ग) खेल कूद पर पाठ 45+5=50 अंक

दूसरा सिमैस्टर

(क) खेलों और आफिस एटिंग पर पाठ 45+5=50 अंक
(ख) खेलकूद और आफिस एटिंग पर पाठ 45+5=50 अंक
(ग) योग और गतिशील शिक्षा पर पाठ 25 अंक

7.6 प्रत्येक पेपर को बाहरी परीक्षक तैयार करेगा । थिऊरी और प्रैक्टिकल दोनों में आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा ।

8.1 रजिस्ट्रार परीक्षा समाप्त होने से चार सप्ताह बाद या जितनी जल्दी हो सके परिणाम घोषित करेगा ।

8.2 सफल परीक्षार्थियों को, जिन्होंने दोनों सिमैस्टरों के निर्धारित पेपर पास कर लिए हैं, बैचुलर आफ

फिजीकल ऐजुकेशन की डिग्री प्रदान की जायेगी। इन परीक्षार्थियों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा :—

1. जो कुल अंकों में से 75 प्रतिशत वैशिष्ट्य सहित अंक प्राप्त करते हैं — प्रथम दर्जा
2. जो कुल अंकों के 60 प्रतिशत कम या अधिक परन्तु 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं — प्रथम दर्जा
3. जो कुल अंकों के 50 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत कम अंक प्राप्त करते हैं — द्वितीय दर्जा
4. जो कुल अंकों के 50 प्रतिशत कम अंक प्राप्त करते हैं — तृतीय दर्जा

8.3 प्रत्येक सफल परीक्षार्थी को डिग्री प्रदान की जाएगी जिसमें भाग 1 (थिऊरी) और भाग 2 (अध्यापन अभ्यास) में डिवीजन दर्ज की जाएगी।

18. कैलेन्डर, भाग 2, 1984 के पृष्ठ 66 पर बी० ए० (पास और आनर्ज) और बी० एस० सी० (पास और आनर्ज) परीक्षकों के लिए विनियम 3.7 में निम्नानुसार होगा :—

*3.7 जिस विद्यार्थी ने सम्बद्ध कालेज में भाग 1/2/3 परीक्षा के लिए शिक्षण का निर्धारित कोर्स पूरा कर लिया है, परन्तु इस परीक्षा में नहीं बैठता, या यदि बैठता है तो फेल हो जाता है, उसे सम्बद्ध कालेज के प्रिंसीपल की सिफारिश पर, लेट कालेज विद्यार्थी के तौर पर, नया शिक्षण, कोर्स किये बगैर, परीक्षा देने की निम्नानुसार आज्ञा दी जा सकती है।

(क) भाग 1 . . . आगामी दो लगातार वर्षों में

(ख) भाग 2 . . . आगामी दो लगातार वर्षों में भाग 3 . . . आगामी तीन लगातार वर्षों में ।

---

*1986 की परीक्षाओं से लागू

× × ×

19. कैलेन्डर, भाग 2, 1984 के पृष्ठ 70–71 पर बी० ए० (पास और आनर्ज) और बी० एस० सी० (पास और आनर्ज) परीक्षाओं के लिए विनियम 8.3 निम्नानुसार होगा :

8.3 बी० ए० भाग 2 परीक्षा का परीक्षार्थी 8.1 में दिए विषयों के अतिरिक्त, नीचे दिए विषयों में से एक विषय अतिरिक्त विषय के तौर पर लेगा, अर्थात—

(i) से (xxi) ××× ×××

बशर्ते कि —

1. कोई परीक्षार्थी उस विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में नहीं लेगा जो उसने वैकल्पिक विषय के तौर पर लिया है, केवल उस विद्यार्थी को छोड़कर जिसने डिफेंस स्टडीज को वैकल्पिक विषय के तौर पर लिया है वह अतिरिक्त विषय के रूप में मिलिटरी ट्रेनिंग का विषय ले सकता है।
2. मिलिटरी ट्रेनिंग को नेशनल कैडिट कोर या एन० सी० सी० राइफल्स के सदस्य ले सकते हैं। एक नियमित विद्यार्थी जिसने कम से कम दो साल के एन० सी० सी० का शिक्षण पहले ही पूरा कर लिया है, वह भी मिलिटरी ट्रेनिंग ले सकता है अगर उसकी एन० सी० सी० में इनरोलमेंट नहीं है।

20. कैलेन्डर, भाग 2, 1984 के पृष्ठ 105–108 पर बैचुलर आफ लाइब्रेरी साइंस के नाम और विनियम 1.1, 7.3 और 9.2 अर्थात मास्टर आफ लाइब्रेरी साइंस के विनियम 1,3.1.3 (i), 3.2, 3.2 (बी), 3.3, 3.3 (ए) और 11 में परिवर्तन निम्नानुसार होगा :—

बैचुलर आफ लाइब्रेरी एंड इन्फरमेशन साइंस
(सिमैस्टर सिस्टम)

1.1 बैचुलर आफ लाइब्रेरी एंड इन्फरमेशन साइंस की डिग्री के लिए कोर्स की अवधि एक अकादमिक वर्ष होगी जिसके दो सिमैस्टर होंगे। प्रत्येक सिमैस्टर नीचे दिए अनुसार 17 सप्ताह का होगा
पहला सिमैस्टर : जुलाई 21 नवम्बर 30 तक
दूसरा सिमैस्टर : जनवरी 5 से मई 15 तक।

7.3 यदि कोई परीक्षार्थी पहले और दूसरे सिमैस्टर के किसी पेपर/पेपरों में फेल हो जाता है, उसे उस पेपर/पेपरों को पास करने के लिए परीक्षा देने के वास्ते लेट कालेज विद्यार्थी के रूप में आगामी दो लगातार वर्षों में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है। दो वर्ष की अवधि उस समय से गिनी जाएगी जब वह दूसरे सिमैस्टर की परीक्षा देने के योग्य होगा। यदि वह इस समय में भी इन पेपरों को पास करने में असफल रहता है, उसका पहले और दूसरे सिमैस्टरों का परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी को प्रत्येक सिमैस्टर के सारे कोर्स को नियमित-विद्यार्थी के तौर पर दुहराए बगैर बैचुलर आफ लाइब्रेरी इन्फोरमेशन साइंस परीक्षा में बैठने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

9.2 जिन सफल परीक्षार्थियों ने दोनों सिमैस्टरों के सभी निर्धारित पेपर पास कर लिए हैं, ऐसे बैचुलर आफ लाइब्रेरी एंड इन्फरमेशन साइंस की डिग्री प्रदान की जाएगी। इन परीक्षार्थियों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा :—

××× ××× ×××

मास्टर आफ लाइब्रेरी एंड इन्फरमेशन साइंस

1. मास्टर आफ लाइब्रेरी एंड इन्फो मेशन साइंस की डिग्री के लिये कोर्स की अवधि एक अकादिमक वर्ष होगी। और परीक्षा को दो

भागों में बांटा जाएगा—अर्थात पहले सिमैस्टर के अन्त पर भाग 1 और दूसरे सिमैस्टर के अन्त पर भाग 2 । भाग 1 की परीक्षा नवम्बर/दिसम्बर में होगी और फिर भाग 2 के साथ अगले वर्ष में अप्रैल/मई में होगी । जो परीक्षार्थी अप्रैल/मई में हुई भाग 2 की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उनके लिए अनुपूरक परीक्षा उसी साल नवम्बर में होगी ।

3.1 मास्टर आफ लाइब्रेरी एंड इन्फारमेशन साइंस की डिग्री के लिए कोर्स में दाखिले की कम से कम योग्यता होगी :—

1. कुल अंकों के कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस (एक वर्ष का कोर्स) अथवा पंजाब यूनिवर्सिटी बैचुलर आफ लाइब्रेरी साइंस/बैचुलर आफ लाइब्रेरी एंड इन्फारमेशन साइंस डिग्री :

(2) ××× ××× ×××

3.2 पहले सिमैस्टर की परीक्षा नियमित विद्यार्थी के लिए खुली होगी जिसे लाइब्रेरी एंड इन्फारमेशन साइंस विभाग के अध्यक्ष ने प्रमाणित किया हो—

(क) सदाचरण का धारणी,

(ख) यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड इन्फारमेशन साइंस विभाग में परीक्षा से पहले के एक सिमैस्टर में दाखिल ,

(ग) ××× ××× ×××

3.3 दूसरे सिमैस्टर की परीक्षा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी एंड इन्फारमेशन साइंस विभाग के उस नियमित विद्यार्थी के लिए खुली होगी जिसने पहले सिमैस्टर की परीक्षा पास की हो या अथवा विनियम 8 के अधीन योग्य हो और लाइब्रेरी एंड इन्फारमेशन साइंस विभाग के अध्यक्ष ने प्रमाणित किया हो—

(क) परीक्षा पहले सिमैस्टर में यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी एंड इन्फारमेशन साइंस विभाग में दाखिला ।

11 प्रत्येक सफल विद्यार्थी डिप्लोमा प्राप्त करेगा जिसमें वह डिवीजन दर्ज की जाएगी जिसमें उसने मास्टर आफ लाइब्रेरी एंड इन्फारमेशन साइंस की डिग्री के लिए पास की है ।

× × ×

21. कैलेण्डर, भाग 2, 1984 के पृष्ठ 10 पर अस्थाई विनियम निम्नानुसार होगा :—

21. फेल हुए/कम्पार्टमेंट परीक्षार्थियों और उन विद्यार्थियों को छोड़कर जिन्होंने सम्बद्ध कालेज में पहले ही शिक्षण कोर्स पूरा कर लिया है, परन्तु उस अवधि में परीक्षा नहीं दी जिसकी इस परीक्षा से सम्बन्धित विनियमों के अधीन व्यवस्था की गई है, प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा 1986 की वार्षिक परीक्षा के बाद नहीं होगी ।

××× ××× ×××

चण्डीगढ़—160014

दिनांक नवम्बर, 17, 1987

एस० सी० धवन
डिप्टी रजिस्ट्रार (जनरल)

मेरी उपस्थिति में पंजाब यूनिवर्सिटी की साधारण मुहर से आज दिनांक नवम्बर, 17, 1987 को मोहरबन्द किया गया ।

एच० एल० शर्मा,
रजिस्ट्रार

क्रमांक 3-87/जी० आर०:—केन्द्रीय सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने अपने पत्रांक एफ० 15-1/87-डेस्क (यू०), दिनांकित 17-6-1987 द्वारा निम्नलिखित विनियमों को मंजूरी दे दी है :—

1. कैलेन्डर भाग 1, 1984 के पृष्ठ 164 पर अध्याय VI "यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की सेवा शर्तें" का विनियम 17.9 निम्नानुसार होगा :

*17.9 वह कर्मचारी, जो अपनी इच्छा से सेवा निवृत्त होता है, उसे नियमों और विनियमों के अधीन ग्रेच्यूटी, फरलो और/अर्जित छुट्टी के रोकीकरण का लाभ प्राप्त होगा, जैसा कि उन कर्मचारियों की हालत में होता है जो अपनी सेवावधि समाप्त होने पर सेवा निवृत होते हैं ।

*30-9-1977 से लागू

2. कैलेन्डर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 2-6 पर "प्राईवेट परीक्षार्थियों" के संबंध में विनियम 3.1 (एच) निम्नानुसार होगा :

3.1 विनियम 2 और 8 के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को, यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किसी कालेज अथवा यूनिवर्सिटी के अध्यापन विभाग में शिक्षा का निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा किए बगैर प्री-यूनिवर्सिटी (ह्यूमनिटीज अथवा फाईन आर्टस ग्रुप) बी० ए० और एम० ए० परीक्षाएं देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे न्यूनतम योग्यताएं पूरा करते हों और संबंधित परीक्षा के लिए विनियमों में निर्धारित अन्य शर्तें को पूरा करते हों ।

××× ××× ×××

(एच) (क) स्थायी स्थल, वायु अथवा जल सेवाएं,

(ख) मर्चेन्ट नेवी, अथवा

(ग) टैरिटोरियल सेना (केवल स्थायी कर्मचारी) का सदस्य ।

यदि वह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ के संघ क्षेत्र में नौकरी कर रहा हो, अथवा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ के संघ क्षेत्र का स्थायी निवासी हो, बशर्ते कि वह दाखिला फार्म और परीक्षा के लिए फीस प्राप्ति की तिथि तक इस स्थिति में हो। यदि ऐसा व्यक्ति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है अथवा सेनाधिकारियों द्वारा सेवा मुक्त कर दिया जाता है, तो भी उसे सेवा मुक्ति के तीन साल के अन्दर आज्ञा दी जा सकती है यदि वह इन राज्यों में से किसी भी राज्य का स्थायी निवासी हो।

××× ××× ×××

3. कैलेन्डर, भाग II 1984 में पृष्ठ 40–41 पर " परीक्षा संचालन से संबंधित विनियम 8.2 की वृद्धि निम्नानुसार होगी :

8. किसी अन्य विनियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी सिंडीकेट को शारीरिक तौर पर स्थायी अपंग व्यक्ति के बारे में यह अधिकार होगा :—

(1) प्राईवेट परीक्षार्थी के रुप में अर्थात् किसी सम्बद्ध कालेज/यूनिवर्सिटी का स्थायी विद्यार्थी होने के बगैर उसे प्री० यूनिवर्सिटी (ह्यूमेनटीस अथवा फाईन आर्टस ग्रुप) बी० ए० अथवा एम० ए० परीक्षा में दाखिल करने का;

(2) (क) परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए योग्य लिपिक की मुफ्त सेवाएं प्रदान करने का, और

(ख) तीन घटे की अवधि के पेपर में एक घंटा अतिरिक्त समय देने का;

(3) परीक्षार्थी द्वारा अपने आप उत्तर टाइप करने की आज्ञा देने का, यदि परीक्षार्थी ऐसा करना चाहे :

(4) यदि परीक्षार्थी बोल न सकता हो, या वह अपनी बात स्पष्टतापूर्ण परीक्षक तक न पहुंचा सकता हो या उसे मौखिक परीक्षा की बजाए लिखित परीक्षा की आज्ञा देने का भले ही पाठ्यक्रम में मौखिक परीक्षा लेने का व्यवधान किया गया हो;

(5) परीक्षार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए किसी अन्य विधि को निर्धारित करने और उसका परिणाम घोषित करने का;

(6) किसी कोर्स में दाखिले के लिए योग्यता—निर्धारण की दृष्टि से, उस द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए वास्तविक अंकों के अतिरिक्त पांच प्रतिशत अंक अधिक प्रदान करने का बशर्ते कि परीक्षार्थी सम्बन्धित कोर्स के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार वैसे योग्य हो, और उसे जिला के सिविल सर्जन, यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किसी मेडिकल कालेज या राष्ट्रीय महत्व की किसी संस्था के निदेशक/ प्रिंसिपल या प्रोफेसर द्वारा शारीरिक तौर पर स्थायी अपंग व्यक्ति प्रमाणित किया गया हो;

(7) विनियमों में निर्धारित की गई साधारण सीमा से अधिक दस प्रतिशत हाजिरियों की न्यूनता को माफ करने का।

बशर्ते की प्रत्येक अवस्था में परीक्षार्थी रजिस्ट्रार की सन्तुष्टि के लिए ऐसा प्रमाण पेश करेगा जिसे वह इस बात के लिए अनिवार्य समझता हो कि उसकी स्थायी अयोग्यता ऐसी है कि वह इन सुविधाओं के लिए विचारे जाने का अधिकारी है :

व्याख्या :

इस विनियम के लिए, शारीरिक तौर पर अपंग व्यक्ति का मतलब होगा :

(क) वह व्यक्ति जिसका काम करने वाला हाथ, दायां या बांया, लिख न सकता हो;

(ख) वह व्यक्ति जो ऐसे रोग से ग्रस्त हो जैसे पक्षाघात, रीढ़ की हड्डी की अन्य अयोग्यकारी अपंगविकृति, अथवा अन्य विकलांग विकृति, हृदय रोग अथवा कोई अन्य हालतें जिनकी वजह से वह शरीर की साधारण हरकत करने के अयोग्य हो; और

(ग) नेत्रहीन व्यक्ति :

*8.2 नेत्रहीन परीक्षार्थियों को सब परीक्षाओं के लिए शिक्षण फीस और दाखिला फीस देने से रियायत दी जाएगी।

*सेशन 1986–87 से लागू।

4. कैलेण्डर, भाग द्वितीय, 1984 के पृष्ठ 61.62 पर बी० ए० और बी० एस–सी० (पास और आनर्ज) परीक्षाओं के लिए विनियम 2.1 निम्नानुसार होगा :—

2.1 : वह व्यक्ति जिसने नीचे दी गयी परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की हो, वह बी० ए०/ बी० एस० सी० कोर्स की पहले वर्ष (पार्ट–1) की कलास में दाखिला लेने के योग्य होगा :

(क) पंजाब यूनिवर्सिटी की प्री०–यूनिवर्सिटी परीक्षा;

(ख) पंजाब यूनिवर्सिटी की किसी ग्रुप में हायर सेकेण्डरी परीक्षा जिसमें हायर इंगलिश एक विषय के रूप में लिया गया हो। बशर्ते कि जिस विद्यार्थी

ने 1961 या 1962 में पंजाब यूनिवर्सिटी की हायर सेकेण्डरी परीक्षा बिना हायर इंगलिश के पास की हो, उसे इस शर्त के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर दाखिल होने की अनुमति दी जा सकती है कि वह इस इंगलिश को अनुपूरक हायर सेकेण्डरी /प्री–यूनिवर्सिटी परीक्षा में पास कर लें; और यदि वह इस परीक्षा में बैठने या पास करने में अयोग्य रहता है, तो उसे अनुवर्ती हायर सेकेण्ड्री/प्री–यूनिवर्सिटी वार्षिक परीक्षा में इंगलिश का पेपर देने की आज्ञा दी जा सकती है।

बशर्ते कि ऐसे परीक्षार्थी का बी० ए०/बी० एस० सी०–भाग-1 परीक्षा का परिणाम, रद्द माना जाएगा, यदि वह हायर सेकेण्डरी/प्री०–यूनिवर्सिटी कोर्स की इंगलिश में अनुपूरक या वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाता है ।

(ग) कोई अन्य परीक्षा जिसको सिंडीकेट ने (क) और (ख) के समान मान्यता दी हो ।

5. कैलण्डर, भाग–द्वितीय, 1984 के पृष्ठ 265–66 पर काउंसलिंग और गाइडेंस में पोस्ट–एम० ए० डिप्लोमा कोर्स के लिए विनियमों को हटा दिया जाए, क्योंकि इस डिप्लोमा का नाम बदल कर पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऐजूकेशन टैक्नालोजी कर दिया गया है और इस डिप्लोमा के लिए विनियम कैलण्डर, भाग II, 1984 में अलग तौर पर उपलब्ध हैं ।

6. कैलेण्डर, भाग–II, 1964 के पृष्ठ 295 पर बी० काम० परीक्षा के लिए निम्नलिखित विनियम 11.7 को हटाना :

*"11.7 :जो परीक्षार्थी भाग 3 परीक्षा के उत्तर–पत्रों का पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहता है, वह भाग–2 या भाग–3 की परीक्षाओं में सुधार करने के लिए अलग-अलग तौर पर या एक साथ बैठने के योग्य नहीं होगा ।

*1985 की परीक्षाओं से लागू ।

7. कैलेण्डर, भाग–II, 1984 के पृष्ठ 436–437 पर मास्टर आफ डैन्टल सरजीं परीक्षा के लिए विनियम 5.3 निम्नानुसार होगा :

*5.3(क) (1) मास्टर आफ डैन्टल सरजीं के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी अपनी आवेदन पत्र दाखिला लेने की तिथि के छः महीने के अन्दर-अन्दर शिक्षा संस्था में विभाग के अध्यक्ष और शोध–निरीक्षक की मार्फत, अपने थीसिस के विषय की बोर्ड आफ स्टडीज-इन-डैन्टिस्ट्री की मंजूरी के लिए रजिस्ट्रार को भेजेगा ।

(2) यह थीसिस डैन्टिस्ट्री के विज्ञान और व्यवसाय के विषय के बारे में होगा ।

(3) शोध निरीक्षक और विभागाध्यक्ष यह प्रमाणित करेंगे कि वे उचित शोध के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे और परीक्षार्थी के शोध–कार्य का निरीक्षण करेंगे ।

(4) प्रत्येक परीक्षार्थी अपने थीसिस की तीन प्रतियां और 115/– रुपए फीस डैन्टल संस्था के प्रिंसीपल की मार्फत रजिस्ट्रार को भेजेगा । इसके साथ शोध-निरीक्षक और विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र भी भेजा जाएगा जिस के अधीन परीक्षार्थी ने शोध-कार्य सम्पन्न किया था और जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि थीसिस में वर्णित शोध-विधि और आंकड़ों पर काम परीक्षार्थी ने खुद किया है ।

(5) थीसिस भाग–II की परीक्षा शुरू होने की तिथि से चार महीने पहले प्रस्तुत किया जाएगा । यह अवधि विशेष परिस्थितियों में :—

रजिस्ट्रार ‥ एक महीने तक ‥ द्वारा ‥

कुलपति द्वारा ‥‥‥ एक महीने से लेकर दो महीने तक बढ़ाई जा सकेगी ।

थीसिस टाइप करवाया हुआ होगा और यह उच्च स्तर का साक्षी होगा और साहित्यिक प्रस्तुति और अन्य बातों में संतोषकारी होगा । इसके अन्त में परीक्षार्थी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष दिए जायेंगे ।

(ख) यदि कोई परीक्षार्थी बाद में अपने थीसिस का विषय बदलना चाहे, तो वह इसकी आज्ञा के लिए बोर्ड आफ स्टडीज इन डैन्टिस्ट्री को प्रार्थना-पत्र देगा ।

(ग) थीसिस में परीक्षार्थी की मौलिक शोध का अनुभव प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें उद्धरित प्रकाशनों की सही सूची भी दी जाएगी । अपने थीसिस में परीक्षार्थी यह भी बताएगा कि उस द्वारा की गयी शोध डैन्टिस्ट्री व्यवसाय के ज्ञान को किस तरह आगे बढ़ाती है ।

*29–9–1986 से लागू ।

चण्डीगढ़—160014 हस्ताक्षरित

दिनांक नवम्बर 17, 1987 एस० पी० धवन

डिप्टी रजिस्ट्रार (जनरल)

मेरी उपस्थिति में पंजाब यूनिवर्सिटी की साधारण मोहर से आज दिनांक नवम्बर 17, 1987 को मोहरबन्द किया गया ।

एच० एल० शर्मा

रजिस्ट्रार

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

PERSONNEL DEPARTMENT

HEAD OFFICE

New Delhi-110 001, the 17th November 1987

No. 3902.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Oriental Bank of Commerce (Officers') Service Regulations, 1982.

2. Short title and commencement :—(1) These regulations may be called the Oriental Bank of Commerce (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. *Amendment to Regulation* 19

(i) The first proviso to Regulation 19(1) may be amended as under :

"Provided that the Bank may, at its discretion, on review by the Special Committee/Special Committee as provided hereinafter in sub-Regulation (2) retire an officer employee on or at any time after the completion of 55 years of age or on or at any time after the completion of 30 years of total service as on officer employee or otherwise, whichever is earlier."

(ii) The following proviso may be added after the second proviso to sub-Regulation (1) of Regulation 19 :

"Provided further that an Officer aggrieved by the order of the Competent Authority, as provided in Sub-Regulation (2), may, within *one month* of the passing of the order, give in writing a representation to the Board of Directors against the decision of the Competent Authority, and on receipt of such representation from the concerned officer, the Board of Directors shall consider his representation and take a decision within a period of three *months*. Where the Board of Directors decided that the order passed by the Competent Authority is not justified, the concerned officer shall be reinstated as though the Competent Authority has not passed the order."

(iii) Amendment to Regulation 19 may be carried out by inserting ", Committees" or "/Special Committees" after the words "Committee" or "Special Committee" wherever appearing in the said Regulation.

Amendment to Regulation 6(2)

6(2) "For the purpose of categorisation of posts under sub-Regulation (1), every branch of the Bank shall be classified by the Bank, in accordance with the criteria to be approved by the Government, as small medium, large, very large or exceptionally large category."

Amendment to Regulation 12

(a) At the beginning of Regulation 12(2), add the words "save as provided in sub-regulation (3)".

(b) After Regulation 12(2), add the following Regulation 12(3) :

"Any officer who has exercised option referred to in sub-regulation (i) and continues to draw pay and allowances according to his entitlement in the service of the Bank immediately prior to the appointed date, in terms of sub-regulation (2) shall be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these regulations on and from 1-2-1984. On exercising such option, he will be fitted notionally on the appointed date into the new scale of pay in the manner referred to in Regulation 8 and after granting him the increments he would have received in terms of these regulations upto 31-1-1984, he shall be fitted in the scale of pay set out in Regulation 4(1) as on 1-2-1984 in accordance with the guidelines of Government issued thereunder.

Provided that if the aggregate of pay and allowances payable under these regulations to the officer after fitment as above is lower than the aggregate of pay and allowances that were payable to him as on 31-1-1984 before such fitment, the difference shall be paid to him as a Personal Allowance which shall be absorbed in the future increments to the extent of 33-1/3 per cent of each such increment or 33-1/3 per cent of the increase in the salary as a consequence of such increment, whichever is lower.

Amendment to Regulation 41 (1)

"In Regulation 41 (1), the words and figures Rs. 2675/-" and "Rs. 3000/-" wherever appearing therein may be substituted by the words and figures "Rs. 2650/-" and "Rs. 2925/-" respectively.

Amendment to Regulation 41 (4)

"On and from 1-1-1987, an officer in the Grades/Scales set out in column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof :—

Grades/scales of officers	Daily Allowance (Rupees)		
	Major 'A' class cities	Area I	Other places
1	2	3	4
Scales VI & VII .	100·00	80·00	60·00
Scales IV & V .	100·00	80·00	60·00
Scales II & III . .	70·00	60·00	50·00
Scale I . . .	70·00	60·00	50·00

Provided that

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours, but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

(b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses restricting to single room accommodation hareges in ITDC hotels, subject to the limits as given below :—

Grades/scale of Officers	Eligibility to stay	Boarding Charges (Rs)		
		Major 'A' class cities	Area I	Others places
1	2	3	4	5
Scale VI & VII	4* Hotel	100·00	80·00	60·00
Scales IV & V	3* Hotel	100·00	80·00	60·00
Scales II & III	2* Hotel (Non A.C.)	70·00	60·00	50·00
Scale I	1* Hotel (Non A.C.)	70·0	60·00	50·00

(c) Where free lodging is provided at the place of halt, ¼th of the Halting Allowance will be admissible.

(d) Where free boarding is provided at the place of halt, ½ of the Halting Allowance will be admissible.

(e) Where free lodging and free boarding are provided at the place of halt, ¼th of the Halting Allowance will be admissible.

(f) A supplementary Diem Allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing Halting Allowance "per diem" shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other

cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, "per diem" shall mean a period of not less than 8 hours.

O. P. MAHAJAN
Chief Manager (Per.)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Bombay-400005, the 20th October 1987

3 WCA(4)/9/87-88—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (i) of section 20 of the Chartered Accountants Act 1949 the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the date mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sr No.	M.No.	Name & Address	Dates
1.	546	Shri D. J. Jasavala, M/s. D. J. Jasavala & Co. Chartered Accountants UCO Bank Building, 4th Floor, 359 Dr. D. Naoroji Road Bombay-400023	1-7-87
2.	631	Shri K.S. Gadre, 'Vidyadhan' Ashoknagar, PUNE-7	11-5-87

The 21st October 1987

3 WCA(8)/7/87-88—In pursuance of clause (iii) of Regulation 10(i) of the chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following Members shall stand cancelled from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold their certificate of practice :—

S. No.	M. No.	Name & address	Dates
1.	12231	Shri Suresh C. Shah, FCA M/s Suresh C. Shah & Co. Chartered Accountants, 'Devi Height,' 269/270 Shaniwar Peth, PUNE-411030	1-10-87
2.	17002	Shri M. N. Trivedi, FCA 304, Wing (B) AASHISH, Near Amrutnagar, Ghatkopar-(W), BOMBAY-400086	28-6-85
3.	17932	Arun K. Shah, ACA Chartred Accountant 2A, Govardhan Nagar, Society, Town Hall Road, Vallabh Vidyanagar, Gujarat-388120	1-4-87
4.	31886	Shri S. N. Shah, FCA Arihant C-202/203, Gobind Nagar, Sodawala Lane, Borivali-(W), BOMBAY-400092	17-9-87
5.	32515	Shri Chiranjilal Vyas, FCA B-3/12, Mahesh Nagar, S.V. Road, Goregaon(W), BOMBAY-400062	16-9-87
6.	36071	Shri Pankaj R. Toprani, ACA, Haridas Building, 187, Dr. Viegas Street, Bombay-400002	17-9-87
7.	37938	Mrs. Pratibha M. Hulyalkar, ACA 90/124-c Erandawana, Pune-411004	24-9-87
8.	39796	Shri Varinder Singh Chadha, ACA 134, Hashnu Niwas, 28th Road, T. P. S. III Bandra, Bombay-400050	15-9-87

R. L. CHOPRA
Secretary

Madras-600034, the 9th November 1987

(CHARTERED ACCOUNTANT)

3SCA (5)/8/87-88—With reference to this Institute's Notification Nos. 3SCA(4)/3/87-88 dated 7th August 1987, 4CA(1)/27/76-77 dated 5th March 1977, 4 SCA(1)/4/82-83 dated 21st March, 1983, 3SCA (4)/10/87-87 dated 27th February 1987 and 3SCA(4)/13/85-86 dated 31st March 1986, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964 that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulation the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has resorted to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S. No	M. No.	Name & address	Date of Restoration
1.	10730	Shri C. Nallakrishnan, ACA, Manager-Administration Loyal Textile Mills Ltd. Kovilpatti-627701	28-9-87
2.	11194	Shri N. Sekar, ACA Chartered Accountants 1935, Kadolkar Galli (Upstairs) Belgaum-590002	18-5-87
3.	12330	Shri B. H. Sridhara, ACA, Assistant Manager, I. A. I. Coll, United India Insurance Co. Ltd. 5 th Floor, Regional Office Bharathiya Vidyapet Bhawan L. B.S. Marg. Navpeth Pune-30	24-8-87
4.	21229	Shri S. Balasubramanian, ACA, 54 Fourth Street Abhiramapuram Madras-600018	10-9-87

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
5.	21910	Shri R. Narasimha Rao ACA 1-4-880/2/10, SBH colony Plot 21, Gandhi Nagar, New Bakaram Hyderabad 500380	9-9-87
6.	23706	Shr M. Sita Rama Rao, ACA Officer—Management Audit, The Associated Cement Cos. Ltd. 121, M. K. Road, Bombay-400020	21-9-87
7.	24764	Shri M. V. Suresh, ACA M/s Voltas Ltd. Village-Majara Tehsil-Warora Distt. Chandrapur Pin 442907	28-9-87
	50353	Shri T. R. Devassy, ACA Accounts Executive Rezayat Company Ltd. P. O. Box 90 Alkhobar 31852 Saudi Arabia	9-9-87

R. L. CHOPRA
Secretary

REGIONAL OFFICE

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Chandigarh, the 12th November 1987

No. 12.V.34/13/2/85-Adm.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Chairman, Regional Board, Punjab has re-constituted the Local Committee consisting of the following members for Patiala area (where Chapter IV and V of the E.S.I. Act, 1948 are already in force) with effect from the date of notification.

CHAIRMAN

Under Regulation 10-*A* (1) (*a*)

1. Civil Surgeon,
   Rajindra Hospital,
   Patiala.

MEMBERS

Under Regulation 10-*A* (1) (*b*)

2. Distt. Labour Re-Conciliation Officer,
   Patiala.

Under Regulation 10-*A* (1) (*c*)

3. Medical Officer Incharge,
   E.S.I. Dispensary,
   Patiala.

Under Regulation 10-*A* (1) (*d*)

4. Sh. Jagdip Singh Khandpur,
   Personnel Manager,
   M/S. Milkfood Ltd.,
   Bahadurgarh (Patiala).

5. Shri J. S. Sodhi,
   Personnel Manager,
   M/S. Escorts.
   Bahadurgarh (Patiala).

6. Shri Jarnail Singh,
   Depot Manager,
   PRTC, Depot 2.
   Patiala.

7. Shri Mohan Lal,
   Partner,
   M/S. Patiala Tools Corporation,
   Sirhind Road,
   Patiala.

8. Shri Gian Chand,
   President,
   Rice Mills Owners Association,
   Patiala.

9. Shri Sunder Singh,
   Factory Manager,
   M/s. Patiala Flour Mills,
   Patiala.

Under Regulation 10-*A* (1) (*e*)

10. Giani Teiinder Singh,
    General Secretary,
    Bhartiya Mazdoor Sangh,
    Arya Samaj Chowk,
    Patiala.

11. Shri Baldev Krishan,
    General Secretary,
    Bhartiya Mazdoor Sangh,
    Arya Samaj Chowk,
    Patiala.

12. Shri R. K. Modgill,
    Legal Advisor INTUC,
    Kacha Patiala,
    Patiala.

13. Shri Ram Singh,
    President,
    PRTC Mazdoor Union, (CITU),
    Patiala.

14. Shri Krishan Pal,
    General Secretary,
    PRTC Karamchari Dal,
    Patiala.

15. Shri Romesh Modgill,
    President,
    Govt. Press Workers Union,
    Patiala.

Under Regulation 10-*A* (1) (*f*)

16. The Manager, Member-Secretary
    Local Office,
    ESI Corporation,
    Patiala.

No. 12.V.34/13/2/85-Adm.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 the Chairman, Regional Board, Punjab has constituted the Local Committee consisting of the following members for Malerkotla area (where chapter IV and V of the E.S.I. Act, 1948 are already in force) with effect from the date of notification.

CHAIRMAN

Under Regulation 10-*A* (1) (*a*)

1. Civil Surgeon,
   Civil Hospital,
   Sangrur.

MEMBERS

Under Regulation 10-*A* (1) (*b*)

2. Distt. Labour Re-Conciliation Officer,
   Sangrur.

Under Regulation 10-*A* (1) (*c*)

3. Medical Officer Incharge,
   E.S.I. Dispensary,
   Malerkotla.

Under Regulation 10-*A* (1) (*d*)

4. Shri Mohan Lal,
   M/S. Prince Inds. Corporation,
   Malerkotla.

5. Shri D. C. Bhatti,
   Industries Officer,
   M/S. Arhint Spinning Mills,
   Malerkotla.

6. Shri Abdul Rasid,
Partner,
M/S Rasid Brothers,
Ludhiana Road,
Malerkotla.

7. Shri Kamal Kumar,
M/s. Kamal Engineering Works
Malerkotla.

8. Shri R. K. Jha,
M/S. Century Iron & Steels,
Malerkotla.

9. Shri G. L. Choudhary,
Labour Officer,
M/S. Spinning Mills,
Malerkotla.

Under Regulation 10-*A* (1) (*e*)

10. Shri Altahf Rehman,
President,
Dispensary Incharge Workers Union,
Malerkotla.

11. Shri Abdul Gafoor,
General Labour Union,
Malerkotla.

12. Shri Shahmim Khan Bhagga,
Labour Union,
Near Govt. College,
Malerkotla.

13. Shri Latehf Aehmet Bukhar,
O/O Nabha Paper Mills,
Malerkotla.

14. Shri Chet Singh,
S/O Prince Inds. Corporation,
Malerkotla.

15. Shri Mohamad Hanif,
C/O Kanwal Engg. Works,
Malerkotla.

Under Regulation 10-*A* (1) (*f*)

16. The Manager, Member-Secretary
Local Office,
ESI Corporation,
Malerkotla.

No. 12.V.34/13/2/'85-Adm.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Chairman, Regional Board, Punjab has re-constituted the Local Committee consisting of the following members for Phagwara area (where Chapter IV and V of the E.S.I. Act, 1948 are already in force) with effect from the date of notification.

CHAIRMAN

Under Regulation 10-*A* (1) (*a*)

1. Senior Medical Officer,
Civil Hospital,
Phagwara.

MEMBERS

Under Regulation 10-*A* (1) (*b*)

2. Distt. Labour Re-Conciliation Officer,
Kapurthala.

Under Regulation 10-*A* (1) (*c*)

3. Medical Officer Incharge,
E.S.I. Dispensary,
Phagwara.

Under Regulation 10-*A* (1) (*d*)

4. Shri T. C. Ohri,
Factory Manager,
M/S. J.C.T. Mills,
Phagwara.

5. Shri J. C. Sodhi,
Associate Factory Manager,
M/S. J.C.T. Mills,
Phagwara.

6. Shri S. S. Jindal,
General Manager,
M/S. Sukhjit Starch & Chemical Mills,
Phagwara.

7. Shri J. K. Sardana,
Commercial Manager,
M/S. Sukhjit Starch & Chemical Mills,
Phagwara.

8. Shri O. P. Uppal,
Occupier,
M/S. Bhartiya Engg. Corporation,
Phagwara.

9. Shri Rajiv Sharma,
Labour Officer,
M/S. J.C.T. Mills,
Phagwara.

Under Regulation 10-*A* (1) (*e*)

10. Shri Ramji Dubey,
C/O M/S. J.C.T. Mills,
Phagwara.

11. Shri Nand Lal Rai,
C/O M/S. J.C.T. Mills,
Phagwara.

12. Shri Ram Sahai,
General Secretary,
Metal Mazdoor Union,
Phagwara.

13. Shri Bikram Singh,
Mechanical Operator,
C/O M/S. Sukhjit Starch & Chemicals,
Phagwara.

14. Shri Makhan Singh,
Supervisor,
M/S. Sukhjit Starch & Chemicals,
Phagwara.

15. Shri Lal Bihari,
Supervisor,
C/O M/S. Bhartiya Engg. Corporation,
Phagwara.

Under Regulation 10-*A* (1) (*f*)

16. The Manager, Member-Secretary
Local Office,
ESI Corporation,
Phagwara.

No. 12.V.34/13/2/'85-Adm.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Chairman, Regional Board, Punjab has constituted the Local Committee consisting of the following members for Dhariwal area (where Chapter IV and V of the E.S.I. Act, 1948 are already in force) with effect from the date of notification.

CHAIRMAN

Under Regulation 10-*A* (1) (*a*)

1. Civil Surgeon,
Civil Hospital,
Gurdaspur.

MEMBERS

Under Regulation 10-*A* (1) (*b*)

2. Distt. Labour Re-Conciliation Officer,
Gurdaspur.

Under Regulation 10-*A* (1) (*c*)

3. Medical Officer Incharge,
E.S.I. Dispensary,
Dhariwal.

Under Regulation 10-A (1) (d)

4. Shri K. P. Mishra,
General Manager,
M/S. New Egerton Woollen Mills,
Dhariwal.

5. Shri J. K. Pandit,
Administrative Officer,
M/S. New Egerton Woollen Mills,
Dhariwal.

6. Shri Manmohan Singh Gill,
Labour Welfare Officer,
M/S. New Egerton Woollen Mills,
Dhariwal.

7. Shri B. N. Shakal,
Asstt. Industrial Relation Officer,
M/S. New Egerton Woollen Mills,
Dhariwal.

8. Shri J. P. Sharma,
Labour Welfare Officer,
M/S. New Egerton Woollen Mills,
Dhariwal.

Under Regulation 10-A (1) (e)

9. Shri Kundan Singh,
General Secretary,
Dhariwal Karkhana Workers Union,
Dhariwal (AITUC).

10. Shri Megh Raj Sharma,
President,
Dhariwal Mill Mazdoor Union,
Dhariwal (INTUC).

11. Shri Radha Kishan Puri,
Member,
Dhariwal Mill Mazdoor Union,
Dhariwal (INTUC).

12. Shri Kashmir Singh Kang,
President,
Dhariwal Mill Mazdoor Dal,
Dhariwal (Punjab Mazdoor Dal).

13. Shri Jawahar Lal,
President,
Bhartia Textile Mazdoor Sangh,
Dhariwal (B.M.S.).

14. Shri Natha Singh,
President,
Hind Mazdoor Sabha,
Dhariwal (B.M.S.).

Under Regulation 10-A (1) (f)

15. The Manager, Member-Secretary
Local Office,
ESI Corporation,
Dhariwal.

No. 12.V.34/13/2/85-Adm.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Chairman, Regional Board, Punjab has re-constituted the Local Committee consisting of the following members for Gobindgarh area (where Chapter IV and V of the E.S.I. Act, 1948 are already in force) with effect from the date of notification.

CHAIRMAN

Under Regulation 10-A (1) (a)

1. Civil Surgeon,
Rajindra Hospital,
Patiala.

MEMBERS

Under Regulation 10-A (1) (b)

2. Distt. Labour Re-Conciliation Officer,
Patiala.

Under Regulation 10-A (1) (c)

3. Medical Officer Incharge,
E.S.I. Dispensary,
Gobindgarh.

Under Regulation 10-A (1) (d)

4. Shri Balram Suraj,
M/S. Guru Nanak Steel Works,
Mandi Gobindgarh.

5. Shri Swarjit Singh,
M/S. Krishna Iron & Steel Rolling Mills,
Mandi Gobindgarh.

6. Shri Amarjit Singh,
M/S. Karam Steel Corporation,
Mandi Gobindgarh.

7. Shri Amarjit Goyal,
Managing Director,
M/S. Modern Steel,
Mandi Gobindgarh.

8. Shri Hukam Chand,
M/S. J. Industries,
G.T. Road,
Mandi Gobindgarh.

9. Shri Pawan Sharda,
M/S. The Iron Factory,
Mandi Gobindgarh.

Under Regulation 10-A (1) (e)

10. Shri Lachhman Singh,
General Secretary,
Labour Union Regd.,
Mandi Gobindgarh.

11. Shri Satish Walia,
General Secretary,
Labour Union Regd.,
Mandi Gobindgarh.

12. Shri Som Pal Singh,
General Secretary,
Bhartiya Mazdoor Sangh Regd.,
Mandi Gobindgarh.

13. Shri Charanjit Singh,
General Secretary,
Steel Industries Trade Union Regd.,
Mandi Gobindgarh.

14. Shri G. S. Kataria,
General Secretary,
Steel Labour Union Regd.,
Mandi Gobindgarh.

15. Shri Karnail Singh,
General Secretary,
Punjab Mazdoor,
Mandi Gobindgarh.

Under Regulation 10-A (1) (f)

16. The Manager, Member-Secretary
Local Office,
ESI Corporation,
Mandi Gobindgarh.

By order,
S. S. ARROL
Regional Director

GUJARAT REGIONAL OFFICE
EMPLOYEES, STATE INSURANCE CORPORATION

Ahmedabad-14, the 13th November 1987

No. 37 V/237 (Consti)/87-Estt=It is hereby notified that Local Committee set up vide this office Notification of even no. dated 8-5-1984 for Baroda area Zone-I under Regulation 10-A of ESI (General) Regulation. 1950 is re-constituted with following members with effect from the date of this Notification :—

1. Collector, Baroda District Baroda	Chairman [Under Regulation 10-A 1 (a)].
2. Senior Inspector of Factories Vadodara	Respresentative nominated by the State Govt. of Gujarat. [Under Regulation 10-A 1 (b)].
3. Assistant Director of Medical Servcies (Baroda Region) ESI Scheme, Baroda	Representative nominated by the Director of Medical services, ESI scheme, Ahmedabzd 14,]Under (Regualtion 10-A 1(c)]
4. Shri R. R. Trivedi. Dy. Works Manager, C/o Chandan Metal Products Pvt. Ltd. Gorwa, Vadodara	Employers' Representative [Under Regulation 10-A 1 (d)]
5. Kum,. Mahalaxmi Popat Industrial Relation Officer, C/o Alembic Chemical works Co. Ltd. Alembic Road, Vadodara	Do.
6. Shri Bachubhai Gadhavi, Secretary, C/o Gujarat Engineering & General Kamdar Union Vadodara.	Employeew' Representative [Under Regulation 10-A 1 (e)]
7. Shir Jitendra R. Sukhadia, General Secretary, C/o Alembic Karmachari Union, Vadodara	Do.
8. The Manager, ESI Corporation Local Office, Gorwa, Baroda	Member-Secretary [Under Regulation10-A 1 (f)].

No. 37. V/251 (Consti)/87-Estt.—It is hereby notified that Local Committee constituted vide this office Notification of even no. dated 8-5-1984 for Baroda area Zone-II under Regulation 10-A of E.S.I. (General) Regulations, 1950 is reconstituted with following members with effect from the date of this Notification :—

1. Collector, Baroda District, Baroda.	Chairman [Under Regulation 10-A 1(a)].
2. Senior Inspector of Factories, Badodara.	Representative nominated by the State Govt. [Under Regulation 10-A 1(b)].
3. Assistant Director of Medical Services (Baroda (Region), E.S.I. Scheme, Baroda.	Representative nominated by the Director of Medical Servicos, ESI Scheme, Ahmedabad 14. [Under Rugolation 10-A 1(c)].
4. Shri Bipinbhai P. Patel, President, C/o Vadodara Chamber of Commerce, Vadodara.	Empoyers' Representative [Under Regulation 10-A 1(d)]
5. Shri P. J. Sathe, Secretary, C/o Federation of Gujarat Mills and Industries, Akapuri, Vadodara.	Do.
6. Shri Bhalchandra Trivedi, General Secretary, C/o Gujarat Engineering & General Kamdar Union, Vadodara.	Employees' Representative. [Under Regulation 10-A 1(e)].
7. Shri Jy tibhai Prajapati, Secretary, C/o Vadodara Jilla General Kamdar Union, Jahangirpura, Vadodara.	Do.
8. The Manager, ESI Corporation, Local Office Panigate, Baroda.	Member-Secretary [Under Regulation 10-A 1(f)].

No. 37.V/241 (Consti.)/87-Estt.—It is hereby notified that Local Committee constituted vide this office Notification of even no. dated 30-8-1982 for Ahmedabad Zone-I, under Regulation 10-A of ESI (General) Regulations, 1950 is re-constituted with following members with effect from the date of this Notification :—

1. The Commissioner of Labour Gujarat State, Ahmedabad.	Chairman [Under Regulation 10-A 1(a)].
2. Senior Inspector of Factories, Ahmedabad.	Representative nominated by the State Government. [Under Regulation 10-A 1(b)].
3. The Assistant Director of Medical Services, ESI Scheme, Ahmedabad Region, 3rd Floor, ESIC Bhavan, Ashram Road Ahmedabad-14	Representative nominated by Director of Medical Services, ESI Scheme, Ahmedabad-14. [Under Regulagion 10-A 1 (c)].
4. Shri Dilip R. Parikh, Gujarat Chamber of Commerce & Industries, Ranchhodlal Marg, Ahmedabad.	Employers' Representative [Under Regulation 10-A 1(d)].
5. To be nominated later. C/o Gujarat Chamber of Commerce & Industries, Ranchhodlal Marg, Ahmedabad.	Do.
6. Shri Harish U. Shah, C/o Ahmedabad Textile Mills Association, Navrangpura, Ahmedabad.	Do.
7. Shri K. C. Shah, C/o Ahmedabad Textile Mills Association, Navrangpura, Ahmedabad.	Do.
8. Shri Maheshbhai Bhatt, C/o Indian National Trade Union Congress, Ahmedabad.	Employees' Representative [Under Regulation 10-A 1(e)].
9. Shri J. M. Rathod, C/o Hind Mazdoor Sabha, Ahmedabad.	Do.
10. Shri Bhailalbhai Patel, National Labour Organisation, Ahmedabad.	Do.
11. Shri Ramsagarsinh Balwant Singh Parihar, All India Trade Union Congress, Ahmedabad.	Do.
12. The Dy./Asstt. Regional Director, Regional Office, ESI Corporation, "ESIC Bhavan", Asram Road, Ahmedabad-14.	Member-Secretary [Under Regulation 10-A 1(f)].

No. 37. V/242 (Constl.)/87-Estt.—It is hereby notified that Local Committee set up vide this office notification of even no. dated 30-8-1982 for Ahmedabad area Zone-II, under Regulation 10-A of ESI (General) Regulations, 1950 is reconstituted with following members, with effect from the date of this Notification :—

1. The Commissioner of Labour, Gujarat State, Ahmedabad.	Chairman [Under Regulation 10-A 1(a)].
2. Senior Inspector of Factories, Ahmedabad.	Representative nominated by the State Government. [Under Regulation 10-A 1(b)].
3. The Assistant Director of Medical Services, ESI Scheme, Ahmedabad Region, 3rd Floor, ESIC Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad.	Representative nominated by the Director of Medical Services, ESI Scheme, Ahmedabad-14. [Under Regulatin 10-A 1 (c)].
4. Shri Ramesh Chandra Nand lal Parikh, C/o Gujarat Chamber of Commerce & Industries, Ranchhodlal Marg, Ahmedabad.	Employers' Representative [Under Regulation 10-A 1(d)].
5. Shri Chandrakant P. Mehta, C/o Gujarat Chamber of Commerce & Industries, Ranchhodlal Marg, Ahmedabad.	Do.
6. Shri Rajiv Chinubhai, C/o Ahmedabad Textile Mills Association, Ahmedabad.	Do.
7. Shri Deviprasad Tibrewala, C/o Ahmedabad Textile Mills Association, Ahmedabad.	Do.
8. Shri Bhikhubhai L. Hadial, C/o Indian National Trade Union Congress, Ahmedabad.	Employees' Representative. [Under Regulation 10-A 1(e)].
9. Shri Shyamurao, C/o Hind Mazdoor Sabha, Ahmedabad.	Do.
10. Shri Amthabhai Desai, C/o National Labour Organisation, Ahmedabad.	Do.
11. Shri Ramamurthy Jairam Tiwari, C/o All India Trade Union Congress, Ahmedabad.	Do.
12. The Dy./Asstt. Regional Directhr, Regional Office, ESI Corporation, ESIC Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad.	Member-Secretary [Under Regulation 10-A 1(f)].

No. 37 V/243 (Consti.)/87-Estt.—It is hereby notified that Local Committee set up vide this office notification of even no. dated 30-8-1982 for Ahmedabad Zone-III under Regulation 10-A of ESI (General) Regulations, 1950, is reconstituted with following members with effect from the date of this Notification :—

1. The Commissioner of Labour, Gujarat State, Ahmedabad.	Chairman [Under Regulation 10-A 1(a)].
2. Senior Inspector of Factories, Ahmedabad.	Representative nominated by the State Government of Gujarat. [Under Regulation 10-A 1 (b)].
3. The Assistant Director of Medical Services, ESI Scheme, Ahmedabad Region, 3rd Floor, ESIC Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad.	Representative nominated by the Director of Medical Services, ESI Scheme, Ahmedabad-14. [Under Regulation 10-A 1 (c)].
4. Shri Chandrakant T. Parikh, C/o Gujarat Chamber of Commerce & Industries, Ahmedabad.	Employers' Representative. [Under Regulation 10-A 1(d)].
5. Shri Gaurang Thakore, C/o Gujarat Chamber of Commerce & Industries, Ahmedabad	Do.
6. Shri Ramanlal R. Suthar, C/o Ahmedabad Textile Mills Association, Ahmedabad.	Do.
7. Shri Mohanlal C. Agrawal, C/o Ahmedabad Textile, Mills Association, Ahmedabad.	Do.
8. Shri Kodarbhai Patel, C/o Indian National Trade Union Congress, Ahmedabad.	Employees' Representative. [Under Regulation 10-A 1 (e)].
9. Shri Khushalbhai Khristi, C/o Hind Mazdoor Sabha, Ahmedabad.	Do.
10. Shri Pankajbhai Patel, C/o. National Labour Association, Ahmedabad.	Do.
11. Shri T.R. Mishra, C/o Gujarat Mazdoor Panchayat, Ahmedabad.	Do.
12. The Dy./Asstt. Regional Director; Regional Office, ESI Corporation, ESIC Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad.	Member-Secretary [Under Regulation 10-A 1(f)].

No. 37.V/244 (Consti.)/87-Estt.—It is hereby notified that Local Committee set up vide this office notification of even no. dated 30-8-1982 for Ahmedabad Zone-IV under Regulation 10-A of ESI (General) Regulations 1950, is reconstituted with following members with effect from the date of this notification :—

1. The Commissioner of Labour, Gujarat State, Ahmedabad.	Chairman [Under Regulation 10-A 1 (a)].
2. Senior Inspector of Factories, Ahmedabad.	Representative nominated by the State Government of Gujarat. [Under Regulation 10-A 1 (b)].
3. The Asstt. Director of Medical Services, ESI Scheme, Ahmedabad Region, 3rd floor, ESIC Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad.	Representative nominated by the Director of Medical Services, ESI Scheme, Ahmedabad-14. [Under Regulation 10-A 1 (c)].
4. To be notified later. C/o Gujarat Chamber of Commerce & Industries, Ahmedabad.	Employees' Representative [Under Regulation 10-A 1(d)].
5. Shri Dipak R. Babaria, C/o Gujarat Chamber of Commerce & Industries, Ahmedabad.	Do.

6. Shri Lavkumar Kantilal, C/o. Ahmedabad Textile Mills Association, Ahmedabad.	Employees' Representative [Under Regulation 10-A 1(c)].
7. Shri Kirtikumar V. Patel, C/o Ahmedabad Textile Mills Association, Ahmedabad.	Do.
8. Shri Bharatbhai Shah, C/o Indian National Trade Union Congress, Ahmedabad.	Employees' Representative [Under Regulation 10-A 1(c)].
9. Shri A. M. Ramnani, C/o Hind Mazdoor Sabha, Ahmedabad.	Do.
10. Shri Harjivanbhai Patel, C/o National Labour Organisation, Ahmedabad.	Do.
11 Shri Raghunandan Sitaram Sharma, C/o All India Trade Union Congress, Ahmedabad.	Do.
12. The Asstt. Regional Director Regional Office, ESIC Bhavan, ESI Corporation, Ashram Road, Ahmedabad-14.	Member-Secretary [Under Regulation 10-A (f)]

No. 37.V/231 (Consti.)/87-Estt.—It is hereby notified that Local Committee set up vide this office notification of even no. dated 26-11-1982 for *Nadiad area*, under Regulation 10-A of ESI (General) Regulations, 1950, is reconstituted with following members with effect from the date of this notification :—

1. Dy. Collector, Nadiad.	Chairman [Under Regulation 10-A 1 (a)].
2. Senior Inspector of Factories, Nadiad.	Representative nominated by the State Government of Gujarat. [Under Regulation 10-A 1 (b)].
3. Insurance Medical Officer Incharge, ESI Scheme, D-1 Dispensary, Nadiad.	Representative nominated by the Director of Medical Services, ESI Scheme, Ahmedabad-14. (Under Regulation 10-A 1(c)].
4. Shri Arvindbhai Patel, General Manager, New Shorrock Mills Ltd. Nadiad.	Employers' Representative. [Under Regulation 10-A 1 (d)].
5. Shri Bipinbhai R. Patel, General Secretary, C/o Gujarat Industrial and Multi Owners Association, Nadiad.	Do.
6. Shri Mangaldas Patel, General Secretary, C/o Majoor Mahajan Sangh, Shramik Sewa Sadan, Sardarnagar Road, Nadiad.	Employees' Representative [Under Regulation 10-A. 1 (c)].
7. Shri Bhaskarbhai Patel, General Secretary, C/o Kheda Zilla General Mazdoor Mandal, Mill Road, Nadiad.	Employees' Representative [Under Regulation 10-A 1(c)].
8. The Manager, Local Office Nadiad, ESI Corporation, Nadiad.	Member-Secretary [Under Regulation 10-A 1 (f)].

No. 37.V/249 (Consti.)/87-Estt.—It is hereby notified that the Local Committee set up vide this office notification of even no. dated 10-4-1984 for *Vapi area* under Regulation 10-A of ESI (General) Regulations, 1950 is reconstituted with following members with effect from the date of this notification :—

1. The Collector, District Valsad.	Chairman [Under Regulation 10-A 1(a)].
2. Senior Inspector of Factories, Valsad.	Representative nominated by the State Govt. of Gujarat. (Under Regulation 10-A 1 (b)].
3. The Assistant Director of Medical Services, (Baroda Region), ESI Scheme, D-1 ESIS Dispensary, Kashiviswanath, Baroda.	Representative nominated by the Director of Medical Services, ESI Scheme, Ahmedabad-14. [Under Regulation 10-A 1 (c)].
4. Shri Harshadbhai J. Mehta, Opp. Riya Bunglow, GIDC, Vapi, C/o Gujarat Plastic Industries, C-1, B-45, GIDC Vapi.	Employers' Representative (Under Regulation 10 A 1 (d)).
5. Shri Mukesh S. Nagar Seth, Anandnagar Nirmal Apartment, Room No. 3/4, Vapi. C/o Satyam Chlorine Industries, Plot No. 789/3, GIDC, Vapi.	Do.
6. Shri Ramjibhai Jivabhai Patel, Secretary, Ved Road, Vijaynagar, Plot No. 46, Surat 4.	Employees' Representative [Under Regulation 10-A 1 (c)].
7. Shri Dhansukhbhai N. Opp. Wood Paper Mills, Antalia, Vapi (Bilimora).	Do.
8. The Manager, Local Office, Vapi, ESI Corporation, Vapi.	Member Secretary [Under Regulation 10 A 1 (f)].

No. 37.V/227 (Consti.)/87 Estt.—It is hereby notified that Local Committee set up vide this office notification of even no dated 28-2-1983 for *Petlad area* under Regulation 10 A of ESI (General) Regulations, 1950, is reconstituted with following members with effect from the date of this notification :—

1. The Collector, District Kaira.	Chairman [Under Regulation 10-A 1(a)].

2. Senior Inspector of Factories, Nadiad.	Representative nominated by the State Govt. of Gujarat, [Under Regulation 10 A 1 (b)].
3. Insurance Medical Officer I/C, ESI Scheme, D-1 Dispensary, Petlad.	Representative nominated by the Director of Medical Services, ESI Scheme, Ahmedabad-14. [Under Regulation 10-A 1 (c)].
4. Shri Mahendrabhai M. Patel, C/o Indian Hume Pipe Factory, Petlad.	Employers' Representative [Under Regulation 10-A 1(d)].
5. Shri Ashvinbhai Shah, C/o. Vrajesh Textile Mills, Petlad.	Do.
6. Shri Kantibhai A. Patel, Secretary, Agricultural & Rural Association, Petlad.	Employees' Representative [Under Regulation 10-A 1(e)].
7. Shri Pujabhai Parmar. Secretary, Gujarat General Kamdar Union, Petlad.	Do.
8. The Manager, Local Office Petlad, ESI Corporation, Petlad.	Member-Secretary [Under Regulation 10-A 1 (f)].

By order,

(S. P. PANDEY)
Regional Director &
Member-Secretary
Gujarat Regional Board,
E.S.I. Corporation,
Ahmedabad-14.

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110 001, the 20th November 1987

CORRIGENDUM

No. P.IV/1(14)/84/A.—In the notification No. IV/1(14)/84/A published in the Gazette of India Part-III, Section-4 on 30th May, 1987;

1. For the words and the figures "No. "IV/1(14)/94/A", in the first line of the notification read No. "P. IV/1(14)/84/A".
2. Read "or" for 'of' appearing in eleventh line of Part B of the notification.
3. Read 'or' for 'of' appearing in 5th line of the proviso under Part B.

B. K. BHATTACHARYA
Central Provident Fund Commissioner
And
Secretary, Central Board of Trustees,
Employees' Provident Fund.

PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH

No. 2-87/G.R.—The Central Government (Ministry of Human Resource Development (Department of Education) have accorded approval vide their letter No. F. 15-1/87-Desk (U), dated 17-6-1987 to the following Regulations :

1. Amendment of Title and Regulations of the Chapter VII(E) 'Youth Welfare' at page 175 of the Calendar, Volume I, 1984, shall read as under :—

DEPARTMENT OF YOUTH WELFARE ACTIVITIES

1. There shall be a Department of Youth Welfare Activities.

2. All students on the rolls of the colleges affiliated to the University and of University Teaching Departments shall pay by the end of October every year to the University an annual subscription as Youth Welfare Fee prescribed by the University from time to time and shall thereby be eligible to participate in the activities of the Department.

3. The Department shall aim at :

(i) Spotting and developing the creative talent of the students by involving them in various activities;

(ii) Harnessing youthful vigour and energy of the students for creative and purposeful activities;

(iii) Inculcating in them a spirit of adventure and positive thinking and respect for higher values, human goodness and noble behaviour; and

(iv) Creating in them a sense of belonging and commitment to the country and providing them with a meaningful direction for the realisation of national goals.

4. Youth Welfare Committee

There shall be a Youth Welfare Committee consisting of the following members :

(i) Vice-Chancellor (Chairman).
(ii) Dean of University Instruction—Ex-officio.
(iii) Dean of Student Welfare—Ex-officio.
(iv) Registrar—Ex-officio.
(v) Dean, College Development Council—Ex-officio.
(vi) Finance & Development Officer—Ex-officio.
(vii) Two members of the Senate, one of whom shall be be a member of the Syndicate.
(viii) Four Principals of affiliated colleges, one of whom shall be the Principal of Women's College.
(xi) Two Lecturers—one from affiliated colleges and one from the Punjab University Teaching Departments.
(x) President, Punjab University Student Council—Ex-officio.
(xi) Two students from affiliated colleges.
(xii) Director, Youth Welfare—(Member-Secretary).

The Committee shall be constituted for a period of two years by the Syndicate on the recommendations of the Vice-Chancellor.

5. Functions of the Committee :

(i) The Committee shall consider all matters, other than administrative relating to the programmes of the Department.

(ii) The Committee shall meet at least twice a year. One of these meetings shall be to prepare the annual budget besides considering other matters.

(iii) The Committee may constitute Sub Committees as and when deemed necessary for the realisation of above aims.

6. There shall be a whole-time Director Youth Welfare who will carry out the duties as assigned to him by the Vice-Chancellor from time to time.

2. Addition of Regulation 27.3 in Chapter III "Moderation of question papers and results of examinations" at page 26 of the Calendar, Volume II, 1984 :

27.1(a) A candidate who appears in all subjects of an examination and who fails in one or more subjects (Written, practical, sessional or viva voce) and/or the aggregate (if

there is a separate requirement of passing on the aggregate) shall be given grace marks up to maximum of 1 per cent of the total aggregate marks (excluding marks for internal assessment) to make up the deficiency, if by such addition the candidate can pass the examination. While awarding grace marks, fraction working to ½ or more will be rounded to a whole.

Provided that grace marks be also awarded to a candidate if by awarding such marks he can earn exemption or compartment in subject/s and part/s.

(b) to (c) xxx xxx xxx

27.2 Grace marks up to one per cent of the total marks of an examination including its part/s, if any, shall be added to the total marks secured by a candidate for the award of higher class (and not for earning distinction/honours); provided that no grace marks have already been availed of for passing the examination.

*27.3 A candidate who appears in M.A./M.Sc./M.Com./M.Lib.Sc./M.Ed./M.P.Ed. examination, may be given grace marks up to 1% of the total marks of the examination to enable him to secure 55% of the total marks.

Provided that the grace marks have not already been availed of by the candidate for passing the examination.

27.4 A candidate who reappears in M.A., M.Com., M.A. (Physical Education) or M. Lib. Sc. examination for purposes of improving the division may be given grace marks up to 1 per cent of the total marks as follows :—

(i) A candidate who reappears in one parts only.	1 percent of the marks in the Part in which he reappears.
(ii) A candidate who reappears in both the parts.	1 percent of the marks of both the parts taken together

Provided that no candidate shall be given more marks than the minimum that may be required for securing the higher division.

*To take effect from the examinations of 1986.

3. Regulation 8.3 for B.A. (Pass and Honours) and B. Sc. (Pass and Honours) examinations at pages 70-71 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

8.3 A candidate for B. A. Part II examination shall also offer, in addition to the subjects as in 8.1, one of the following as an additional subject, viz.—

(i) to (xix) xxx xxx xxx

(xx) music xxx xxx xxx

4. Deletion of the following Regulation 16.4 for B. A. (Pass and Honours) and B. Sc. (Pass and Honours) examinations at pages 75 on the Calendar, Volume II, 1984.—

*16.4 A candidate who seeks re-evaluation of answer-book/s at the Part III examination shall not be eligible to appear in Part II or Part III examination separately or simultaneously with a view to improving his performance.

xxx xxx xxx

*To take effect from the examinations of 1985.

5. Regulation 6.2 for B. Sc. (Honours School) examination at pages 93-94 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

6.2 The following is the list of subsidiary courses for different Honours School which may be offered by a student with the approval of the concerned Board of Control.

Each Board of Control may decide the number and type of subsidiary courses subject to the approval of Academic Council.

Honour school		Subsidiary course in
xxx	xxx	xxx
Mathematics		Physics, Chemistry, geology, geography, Economics, statistics, philosophy, Computational Techniques and *life sciences*.
xxx	xxx	xxx

6. Regulations 2.1 and 8.1 for Master of Arts Examination at pages 109 and 110 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

2.1 The examination for the degree of Master of Arts shall be held in the following subjects and a candidates shall offer any one of them :

(i) A language, i.e. English, Sanskrit, Persian, Arabic, Hindi, Punjabi, Urdu French, Bengali, Tamil;

(ii) to (xviii) xxx xxx xxx

8.1 The medium of examination shall be as under :

For sanskrit	Sanskrit, Hindi, Punjabi or English at the option of the candidate. A candidate shall have the option to answer any paper in any of the above medium.
For persian	Persian, Urdu or English at the option of the candidate.
For Araibc	Urdu or English at the option of the candidate
For Hindi	Hindi
For Punjabi	Punjabi
For Urdu	Urdu
For Music	Englsih or Hindi or Punjabi or Urdu.
For Tamil	*Tamil*
For other subjects	English
XXX XXX	XXX

7. Regulation 3.1 and deletion of Regulation 3.1 (f) for Master of Arts examination at pages 110-112 of the Calendar, Volume II, 1984 :

(To take effect from the admissions of 1986).

3.1 A person who has passed one of the following examinations from this University, or from the Punjab University at Lahore before 1948, or from any other University whose examination has been recognised as equivalent to the corresponding examination of this University shall be eligible to join the first year (Part-I) class of the M.A. Course—

(i) to (viii) xxx xxx xxx

(ix) For History of Art, a person who has passed one of the following shall be eligible :—

1. B. A. (Pass) examination with 45 per cent marks in any of the following subjects :—

(a) Art
(b) Music
(c) Psychology
(d) Philosophy
(e) Sociology
(f) Sanskrit
(g) History
(h) English
(i) Ancient Indian History & Culture
(j) Home Science
(k) any one of the Modern Indian Languages/Classical Languages;

(2) B. A. (Pass)/B. Sc. (Home Science) examination in second division with at least 50 per cent marks in the aggregate.

(3) B. F. A./Bachelor of Architecture examination with at least 45 per cent marks in the aggregate;

(4) Master's examination in any subject.

Provided he qualifies in an aptitude test conducted by the Department of Fine Arts as per guidelines laid down by the concerned Board of Control.

8. Regulation 2 for Post-graduate Diploma in Dress Designing at page 145 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

2. A person who possesses one of the following qualifications shall be eligible to join the course :—

(i) B. Sc. Home Science from Panjab University with at least 50% of the aggregate marks.

(ii) any other examination recognised by the Syndicate, as equivalent to (i) *with Clothing & Textiles (Practical) as one of the subjects.*

(iii) B.A. Home Science, *with Clothing & Textiles (Practical) as one of the subjects.*

9. Addition of Regulation 2.5 for Bachelor of Commerce examination at page 291 of the Calendar, Volume II, 1984.

2.3 A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join second year class of the Bachelor of Commerce course :—

(a) Bachelor of Commerce Part I examination of this University.

(b) Bachelor of Commerce Part I examination of the Kurukshetra University or Punjabi University or Guru Nanak Dev University or Himachal Pradesh University or Maharshi Dayanand University if subjects/courses offered were the same as prescribed by this University. In case there is some deficiency in subjects/courses, he/she shall have to clear the deficient subjects/courses, if any, at the next two consecutive examinations. If he/she fails to clear the deficient subjects/courses, his/her result of B.Com. Part II shall stand cancelled.

(c) Any other examination recognised (by the Syndicate) as equivalent to B.Com. Part I of this University, if subjects/courses offered were the same as prescribed by this University. In case there is some deficiency in subjects/courses, he/she shall have to clear the deficient subjects/courses, if any, at the next two consecutive examinations. If he/she fails to clear the deficient subjects/ courses, his/her result of B.Com. Part II shall stand cancelled.

2.4 A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join third year class of the Bachelor of Commerce course :

(a) Bachelor of Commerce Part II examination of this University.

(b) Bachelor of Commerce Part II examination of the Kurukshetra University or Punjabi University or Guru Nanak Dev University or Himachal Pradesh University or Maharshi Dayanand University, if the subjects/courses offered were the same as prescribed by this University. In case there is some deficiency in subjects/courses (of B.Com. Parts I & II), he/she shall have to clear the deficient subjects/courses, if any, at the next two consecutive examinations. If he/she fails to clear the deficient subjects/courses, his/her result of B.Com. Part III shall stand cancelled.

*2.5 *A candidate who is placed in compartment/re-appear in one subject in B. Com. Part I/II from Kurukshetra University, or Maharshi Dayanand University or Punjabi University, or Guru Nanak Dev University, or Himachal Pradesh University, may be allowed to join the higher class provisionally as the case may be, in a college affiliated to this University on the condition that if he fails to clear the compartment/re-appear subject from the parent University in two consecutive chances immediately following the examination in which he was placed in compartment/re-appear his provisional admission to the higher class as also his result of the higher examination shall be cancelled.*

Provided that such a student should have offered the same subjects as are available at the University. In case there is some deficiency in subjects/courses, he shall have to clear the deficient subjects/courses, if any, at the next two consecutive examinations of the University. If he fails to clear the deficient subjects/courses, his result of higher examination shall be cancelled.

*To take effect from the admissions of 1985.

10. Regulation 3.3 for Master of Engineering examination at pages 386-387 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :—

*3.3 A candidate who has *passed A & B sections of Institution of Engineers (India), Calcutta, examination or I.E.T.E. Graduate* examination (conducted by the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, New Delhi) with atleast 50% marks after having passed the Diploma examination and has atleast 5 years' research or professional experience may be admitted to Master of Engineering Course provided he has passed the written and oral test as prescribed by the Head of the Department concerned.

OR

A candidate who has passed A & B sections of Institution of Engineers (India), Calcutta, examination with atleast 50% marks after having passed B.Arch. examination with atleast 60% marks and has atleast 5 years' research or teaching professional experience may be admitted to Master of Engineering (Civil/Structure) course provided he has passed the written and oral test as prescribed by the Head of the Department concerned.

*To take effect from the admissions of 1986.

11. Change of nomenclature of the four theory papers for M.D. (Physiology) examination in group 'B' (Basic subjects) under Regulation 4.2 at page 416 of the Calendar, Volume II, 1984.

Paper 1 : *Subjects Allied to Physiology and History of Physiology.*

Paper II :*Systemic Physiology I*

(i) *Nerve;*
(ii) *Muscle;*
(iii) *Neurophysiology;*
(iv) *Special senses;*
(v) *Endocrinology; and*
(vi) *Reproduction.*

Paper III : *Systemic Physiology II*

(i) *Blood including Immunology;*
(ii) *Cardiovascular system;*
(iii) *Respiratory system;*
(iv) *Renal system;*
(v) *Gastrointestinal system;*
(vi) *Metabolism;*
(vii) *Nutrition; and*
(viii) *Environmental Physiology.*

Paper IV : *Applied physiology or Clinical physiology.*

12. Regulations for Bachelor of Pharmacy examination at pages 493-95 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

(To take effect from the admissions of 1986).

1.1 The duration of the course of instruction for the Degree of Bachelor of Pharmacy shall be *four years.*

1.2 There shall be four examinations namely, *First (Part I), Second (Part II), Third (Part III) and Final (Part IV) which shall be held at the end of first, second, third and fourth academic session (year) respectively. All these examinations shall be held twice a year, ordinarily in the months of April (annual) and September (supplementary) on such dates as may be fixed by the Syndicate.*

2. The dates of commencement of the examinations and the last dates for receipt of examination admission forms and fees, without and with late fees of Rs. 5, as fixed by the Syndicate, shall be notified by the Registrar.

3.1 A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join the first year class of the course :—

(a) Pre-medical examination of Panjab University

(b) An examination of another University/Board recognised by the Syndicate as equivalent to (a).

3.2 A student who has passed the First B. Pharm examination shall be eligible to join the second year class

3.3 A person who has passed Second B.Pharm. examination shall be eligible to join Third Year Class.

3.4 A person who has passed Third B.Pharm. examination shall be eligible to join Fourth (Final) Year Class.

4.1 A student who possesses qualifications laid down in Regulations 3.1/3.2/3.3/3.4, has been on the rolls of the University Department of Pharmaceutical Sciences/a College Affiliated for this examination and submits to the Registrar, the following certificates signed by the Chairman of the Department/Principal of the College, shall be eligible to appear in the First/Second/Third/Final examination as the case may be :—

(a) of good character;

(b) of having attended not less than 75 percent of the full course of the lectures and practicals in each of the course.

4.2 A deficiency in the required number of lectures and practicals may be condoned by the Head of the Department College as the case may be up to 10 per cent in lectures and up to 5 per cent in practicals.

4.3 A candidate having attended the prescribed number of lectures and practicals, does not appear in all or any of the courses or having appeared fails in all or any of the course(s) in the examination held in April of the year may appear in such courses in the next three consecutive examinations.

4.4 A candidate who is short of the required attendance at lectures and practicals for the examination to be held in April of the year may, after making up the deficiency appear in the next examination and avail of chances stipulated under Regulation 4.3.

4.5 A candidate who has failed or does not appear in a course/courses carrying not more than 200 marks in total at the First/Second/Third B.Pharm. examination, shall be eligible to appear in such course/courses as also in the Second/Third/Final examination, as the case may be, subject to fulfilling the requirements as laid down in Regulation 4.1. The result of the higher examination shall not be declared till he has cleared all the courses of the lower examination.

4.6 A candidate who does not appear or fails in all or any of the courses in first examination held in April of the relevant year and three consecutive examinations held thereafter shall be debarred from countinuing his studies for the Degree of Bachelor of Pharmacy.

4.7 A candidate who does not appear or fails in all or any of the courses in Second/Third/Final B. Pharm. examination held in April of the relevant year and three consecutive examinations held thereafter shall be required to attend the course of instructions and appear in all courses of the relevant examination afresh.

5. The amount of examination fee to be paid by a candidate shall be Rs. 45 for each examination.

A candidate on reappearing shall pay admission fee of Rs. 25 per subject for each examination subject to a maximum of Rs. 45 prescribed for the examination concerned and admission fee for reappear would be in addition to admission fee charged for other examination, if any, in which he was appearing.

6.1 The medium of examination shall be English.

6.2 The examination shall be held in accordance with the syllabus prescribed by the Senate.

6.3 Ten percent of the marks in each paper of First Second/Third and Final examinations shall be reserved for internal assessment, both written and practical, separately. The marks awarded shall be certified by the Chairman of the Department/Principal of the College as the case may be and counted towards the marks reserved for the respective paper for April September examination, as the case may be.

7. The minimum marks required to pass an examination shall be 50% of the marks of each course

8.1 A candidate who fails in any of the course(s), may be allowed to join next higher class provisionally.

Provided that a candidate shall be allowed to join 3rd/4th year class if he has cleared all the course(s) of 1st/2nd year examination respectively.

8.2 A candidate who passes the First/Second/Third supplementary examination shall be eligible to appear in the Second/Third/Final examination, as the case may be, in April of the following year. A candidate who passes the First/Second/Third annual examination may appear in the Second/Third Final examination, as the case may be in September of the same year if he fulfils the conditions laid down in Regulation 4.1.

9.1 A successful candidate who obtains 80 percent of the marks in any *course*(s) shall be declared to have passed with 'distinction' in that *course, those courses.*

9.2 The Registrar shall declare the result as soon as possible after the examination.

9.3 A successful candidate of the First Second/*Third* examination shall be granted a certificate.

9.4 A successful candidate of the Final examination for the degree of B.Pharm. shall be granted a Diploma.

13. Regulation 6.1 for Correspondence Courses at page 529 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :—

6.1 The Management of the Directorate of Correspondence Courses shall be vested in a Standing Committee, subject to the supervision of the Syndicate and general control of the Senate.

The Standing Committee appointed by the Syndicate shall consist of :—

1. Vice-Chancellor (Chairman) (Ex-officio)

2. D.U.I. (Ex-officio)

3. Two nominees of the Syndicate one of whom shall be Dean of a Faculty dealing with subjects of study at the Directorate.

4. *One Professor*, one Reader and one Lecturer of the Directorate of Correspondence Courses, to be nominated by rotation, according to seniority, by the Vice-Chancellor.

5. Two experts in the field of distance education, from outside the University, to be nominated by the Vice-Chancellor.

6. Director of Correspondence Courses (Ex-officio-Member-Secretary).

The members of the Standing Committee, other than Ex-officio members, shall hold office for a term of two years. Four members shall form quorum for a meeting of the Standing Committee.

14. Regulations for award of Ph.D. degree in the Faculty of Pharmaceutical Sciences, of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

1.1 A candidate for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of pharmaceutical Sciences shall have obtained from this University, the degree of—

Master of Pharmacy in Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy or Pharmacology.

1.2 The Faculty may however, allow a person to supplicate for Ph.D. degree, if he has—

(a) Graduated in Pharmacy; and

(b) Obtained Master's degree in a subject related to the disciplines stated in Regulation 2.1 from another University/Institution.

2.1 A person who wishes to be accepted as a candidate for Ph.D. research shall, before starting research work apply through the Chairman, on the prescribed form of enrolment with a fee of Rs. 50 which is non refundable.

2.2 The candidate on enrolment shall pay a fee of Rs. 25 per month.

Provided that awardees of scholarships/fellowships by the Panjab University, University Grants Commission and other similar bodies and teachers shall be exempted from payment of fees.

2.3 The candidate shall pursue research in the University Department of Pharmaceutical Sciences or at a centre approved for the purpose by the Faculty.

3.1 Within one year from the date of enrolment, the candidate shall apply for registration on prescribed form through the Chairman, and furnish :—

(a) title of the thesis; and

(b) design of research project.

Provided that the Board may condone the delay in submission of application for registration.

3.2 While forwarding the applications, the Chairman shall also recommend a supervisor/joint supervisors to guide the applicant in his research work.

3.3 The applications for registration and approval of the title, etc. (Regulation 4.1) after scrutiny by the Registrar's Office, shall be forwarded for consideration of the Board.

3.4 The Board shall consider each application and recommend whether,

(a) the subject proposed for research; and

(b) the supervisor/s recommended;

are suitable and, if so recommend approval of the same.

If, however, the Board considers that the subject and/or supervisor/s are not suitable, it may either reject the application or suggest suitable changes for reasons to be recorded.

3.5 The title of thesis and the supervisor 's recommended by the Board shall be considered by the Faculty which shall have power to co-opt an expert for the purpose for a particular meeting.

3.6 The Faculty shall decide whether or not the applicant be registered.

3.7 The candidate may apply through his supervisor and the Chairman for permission to modify the title of his thesis. The applications shall be considered by the Board in the first instance and then by the Faculty.

4.1 The candidate shall pursue his research work for three years. In case he is unable to complete his research work and thesis within this period, he may apply through his supervisor and the Chairman for grant of extension.

Extension may be granted by the Faculty up to a maximum of two years.

Provided that—

(1) extension shall not be granted for more than one year at a time; and

(2) every application for the grant of extension shall be accompanied by a fee of Rs. 25.

4.2 After the completion of one year's research work, a candidate may be allowed by the Chairman to continue his research work at some other approved centre if—

(a) facilities for further work do not exist at the Department

OR

(b) the Chairman is satisfied that it would be in the interest of the candidate to do further research work at such a centre. Provided that the supervisor may, on scrutiny of the six-monthly reports received from the candidate, send for the candidate, if necessary, to assess the progress made by him in his research work.

4.3 The candidate and his supervisor/s shall report on the progress of research work from time to time to the Chairman for consideration of the Board. Such reports may be submitted at least once in a year.

4.4 If a supervisor gives unsatisfactory report on the work of the candidate, the position will be considered by the Board in order to decide whether the candidate should be allowed to continue his research for the Ph.D. degree.

4.5 In the case of a difference/dispute arising between the candidate and his supervisor/s, the matter shall be referred to the Board for adjudication. The Board may co-opt/take advice of an expert if it deems necessary.

5.1 The candidate shall submit thesis within 30 days aft the expiry of the period allowed under Regulation 5.1.

Provided that the Faculty may, on the recommendation of the Board, for reasons to be recorded, grant exemption for a period not exceeding one year to a candidate of good standing who has already carried out useful recognised work and allow him to submit his thesis after two years of enrolment and research.

Provided further that the candidate shall submit his thesis not earlier than one year from date of registration.

The Faculty may, however, relax this condition, to the extent, it deems fit.

5.2 In case the candidate submits the thesis after the expiry of the period allowed under Regulation 5.1 read with Regulation 6.1, the Dean of the Faculty may condone delay, up to three months. The Vice-Chancellor may, on the individual merits of each case and on the recommendation of the Faculty, condone the delay to the extent he may deem necessary.

5.3 On completion of the research work and in accordance with the period allowed in these Regulations, the candidate shall submit four printed, typewritten or reprographed copies of his thesis and shall comply with the following conditions :

(i) The thesis shall be accompanied by—

(a) a fee of Rs. 300;

(b) a certificate from his supervisor (as may be prescribed by the Syndicate) indicating the period for which the candidate has done research and that the thesis is worthy of consideration for the award of Ph.D. degree.

(ii) The thesis must be a piece of original research work characterised either by the discovery of new facts or a fresh interpretation of the known facts or theories; in either case it shall give evidence of the candidate's capacity for original research, critical examination and judgement;

(iii) The thesis shall be satisfactory in its literary presentation;

(iv) The thesis shall indicate how it embodies the results of the candidate's own research or observations and the respects in which the candidate's investigations appear to him to have advanced study of the subject;

Provided that :

(a) A candidate may incorporate in his thesis contents of any work which he may have published on the subject, but he shall not submit, as his thesis, any work for which a degree has been conferred by this or any other University/Institution.

(b) No conjoint Research with the Supervisor shall be permitted in regard to the subject matter of the

thesis. The thesis must consist of the candidate's own work, which must be his personal achievement. Provided further that a candidate may submit as subsidiary matter in support of his thesis, any printed contribution for the advancement of his subject which may have been published independently or conjointly. Where such subsidiary matter is submitted the candidate shall indicate specifically his personal contribution to such conjoint work duly attested by the supervisor.

(c) The candidate shall declare in writing, duly countersigned by his Supervisor and the Chairman, that the thesis is not substantially the same as the one he may have already submitted to another University/Institution.

(d) The greater portion of the work included in the thesis must have been done subsequent to his obtaining the basic qualification prescribed in Regulation 2.1/2.2.

6.1 The thesis shall be referred to two examiners appointed by the Syndicate/Vice-Chancellor from amongst a panel approved by the Faculty. The Examiners may recommend—

That the thesis be accepted for the award of the Ph.D. degree;

OR

That the thesis be rejected;

OR

That the thesis be allowed to be resubmitted with improvement and for this purpose may make such suggestions as they may deem fit. Provided that the candidate shall ordinarily resubmit the revised these within one year of the date of supply of comments of the Examiner/s to him by the University. Special extension may be given by the Dean of the Faculty up to a maximum of one year.

6.2 The thesis shall be resubmitted, if so recommended by the examiners only once, and it shall be examined by the examiners who assessed the original thesis unless both or any of them are unable or unwilling to do so.

6.3 A candidate who is required to resubmit his thesis must do so accompanied by half the amount of fee prescribed in Regulation 6.3.

6.4 In case there is a difference of opinion between the two examiners in regard to the acceptance of thesis, the Vice-Chancellor may refer the thesis to another examiner who shall ordinarily be out of the approved panel.

6.5 Except in the case of a thesis which is rejected, viva voce shall be held. The examiners of the thesis may send if they so desire, along with their reports, questions for use by a Board constituted for conducting the oral examination. This Board shall consist of three examiners appointed by the Vice-Chancellor of which the Chairman and the Supervisor of the candidate shall be members. If two out of three members of the Board are present, the *viva voce* shall be conducted provided that one of them is the external examiner.

6.6 The reports of the examiners of the thesis as well as of the Board conducting oral examination shall be considered by the Syndicate. The Syndicate may decide—

(i) Whether the degree of Doctor of philosophy be awarded;

(ii) Whether the candidate be required to revise the thesis and resubmit it for re-examination;

(iii) Whether the thesis be rejected.

6.7 The Registrar shall notify the result in accordance with the decision of the Syndicate.

7.1 If a candidate fails to submit his thesis within the period allowed under these regulations, his enrolment/registration shall be cancelled, but he may be allowed to register himself again with some other subject or in exceptional circumstances such as prolonged illness extending over several years or exigencies of military service, on the same subject.

7.2 If the Supervisor of a candidate who has been guiding research work for Ph.D. degree of another University, is employed on the staff of the Department, the candidate may be allowed to enrol himself for the Ph.D. degree of this University under the same supervisor, subject to fulfilment of these regulations. Such a candidate shall not submit his thesis until after one year of his enrolment in this University.

7.3 A person already registered for the Ph.D. degree, before these regulations come into force, shall, if he so desires, continue to be governed by the old regulations.

15. New Regulations for Certificate Course in Persian, of the Calendar, Volumt II, 1984, shall read as under :

(To take effect from examinations of 1986)

1.1 The duration for the Certificate Course in Persian shall be one academic year.

1.2 The examination shall be held once a year ordinarily in the month of May, on such dates as may be fixed by Syndicate.

1.3 The date of examination and the last date for receipt of admission forms without and with late fee of Rs. 5/- as fixed by Syndicate, shall be notified by the Registrar.

2. A person who has passed one of the following examination shall be eligible to join this course.

(a) The Higher Secondary examination of the Panjab University before 1970, or the Board of School Education of Punjab/Haryana or of the Central Board of Secondary Education, Delhi (students of Union Territory of Chandigarh only);

(b) The Pre-university examination of the Panjab University;

(c) An examination of another Universtiy/Board recognised by the Syndicate as equivalent to (a) or (b).

3.1 A person who possesses the qualifications laid down in Regulation 2, and produces the following certificates signed by the Head of the Department, Panjab Uuiversity, Department of Urdu/Persian shall be eligible to appear in the examination :—

(a) of good character;

(b) of having been on the rolls of the Deptt. during the academic year preceding the examination; and

(c) of having attended not less than 75% of the lectures delivered to the class.

3. A deficiency in the required number of lectures may be condoned :—

(a) up to 15 lectures by the Head of the Department;

(b) up to 25 lectures by the Dean of Universitv Instruction on the recommendation of the Head of the Department.

3.3 A student who, having attended the prescribed number of lectures, does not appear at the examination, or having appeared has failed may be permitted on the recommendation of the head of the Department to appear at the examination as a late department student, within a period of three years of completing the course.

4. The examination fee to be paid by a candidate shall be Rs. 30/-.

5.1 The examination shall be held in accordance with syllabus prescribed by the Senate.

5.2 The medium of examination shall be Persian. The question papers shall be set in Persian.

6. The minimum number of marks required to pass the examination shall be :

(a) 33% in each paper
(b) 40% in the aggregate
(c) 50% in the oral test;

7.1 Successful candidates shall be classified as under :—

(a) Those who obtain 60% or more of the aggregate number of marks — First Division

(b) Those who obtain 50% or more but less than 60% — Second Division

(c) Those who obtain less than 50% — Third Division

7.2 The Registrar shall publish the result of the examination four weeks after the termination of the examination or as soon as possible.

7.3 Each successful candidate shall be granted a certificate showing the marks and the division in which he has passed.

16. New Regulations for Post-graduate Diploma Course in Bio-Chemistry, of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

1.1 The duration of the Course for Diploma in Biochemistry shall be one academic year.

1.2 The examination for the course shall be held twice a year, ordinarily in the month of December and May or on such dates as may be fixed by the Syndicate.

1.3 The date of examination and the last date for receipt of admission form with requisite fee, as fixed by the Syndicate, shall be notified by the Registrar.

1.4 The examination fee to be paid by a candidate shall be Rs. 100 or as fixed by the Syndicate.

2. The minimum qualifications for admission to the Course shall be :

(a) Second class (50%) in any one of the following subjects in M.Sc. : Chemistry, Physics, Biophysics, Botany, Zoology, Microbiology, Anthropology (B.Sc. with Science subjects), Genetics, Biology and related subjects.

(b) M.Sc. Honours School degree in the above subjects of Panjab University or any other University recognised by the Syndicate as equivalent to (a).

3. A person who possesses the qualifications laid down in Regulation 2 shall be eligible to appear in the examination provided he produces the following certificates signed by the Head/Chairperson of the Department of Biochemistry.

(a) of good character;

(b) of having been on the rolls of the Department of Biochemistry during the academic year preceding the examination; and

(c) of having attended not less than 66% of the lectures delivered to the class in theory and practicals and training programmes, respectively.

4.1 A deficiency in the required number of lectures may be condoned :—

(a) up to 10% by the Board of Control in Biochemistry.

(b) up to 15% by the Dean of University Instruction on the recommendation to the effect by the Board of Control in Biochemistry.

4.2 Subject to the approval of the Dean of University Instruction, the Board of Control in Biochemistry shall be the authority to admit students, on the number of seats to be decided by it (Board) and it shall have the authority to remove students from the Course or class in accordance with the rules laid down by the Academic Council.

4.3 Each student shall be under the control and discipline of the Board of Control. The Board of Control shall, in case of misconduct, have the power to remove a student from the Course.

4.4 Subject to the approval of the Dean of University Instruction, the Board of Control shall have the authority to take a decision on any matter not covered in these regulations.

5. The examination shall be held in accordance with the prescribed syllabus.

6. The medium of examination shall be English.

7. The internal assessment will be based on the record of day-to-day performance of the candidate in the practical classes.

8. The number of theory papers and practicals as well as the distribution of marks among theory papers, practicals and viva voce shall be given as in the syllabus.

8.1 The minimum of marks required to pass the examination shall be 50% in (a) each theory paper (b) each practical.

8.2 The papers wil be set jointly by the external and internal examinations (internal examiner is one who has actually taught the course). The examination in praticals will be held as decided by the Board of Control who will appoint the respective external and internal examiners in the concerned practical papers which shall also include the viva-voce test in the paper(s) concerned.

8.3 The answer books would be examined independently by the internal and external examiners. The average of the two awards would be taken as long as the difference between the two awards is not more than 15% of the maximum marks. In case where the difference between the two awards is more than 15% the scripts would be sent to the third examiner for marking and the average of the two highest scores would be taken as the final score.

8.4 A candidate who fails in the first examination may be allowed to reappear in the subsequent year with the maximum of two chances.

8.5 A candidate who has failed in one or more theory papers or one or more practicals may be allowed to re-appear at the subsequent examination in the respective theory and/or practical paper(s).

8.6 The candidate shall pay the tuition fee for the whole period till he gets through in this paper.

9. Successful candidates who secure 70% and more of the aggregate marks shall be placed in "Merit Grade" and the position in order of merit as also percentage of marks obtained by the candidate shall be mentioned in the Diploma. Those who secure 60% or more but less than 70% of the aggregate marks shall be placed in "Very Good Grade" which shall be mentioned in the Diploma together with the percentage of marks obtained by the candidate. Those who secure 50% or more but less than 60% of the aggregate marks shall be placed in "Good Grade" which shall be mentioned in the Diploma together with the percentage of marks obtained by the candidate.

10. Each successful candidate shall receive a diploma showing the percentage of marks and grade secured by the candidate as well as the topic/theme of the dissertation. The Diploma shall be awarded to the candidate at the Annual Convocation of the University.

11. The total number of marks and credits for each semester Examination shall be as follows :

Semester I—Semester II

Marks 500—Marks 500

Credits 20—Credits 20

The exact marks and credits (a paper of 100 marks will be assigned four credits) allotted for each paper will be decided by the Board of Control, keeping in view the number of lectures/practicals delivered for each paper.

17. New Regulations for Bachelor of Physical Education Examination (Semester System) of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

Bachelor of Physical Education

(Semester System)

1.1 The duration of the course for the degree of Bachelor of Physical Education shall be *one academic year comprising two semesters. Each semester shall be of 17 weeks as follows* :

First Semester : From July——— to November———.

Second Semester : From January——— to May ———.

1.2 The examination *for the first semester* shall be held in the month of *December and for the second semester in the month of May or on such other dates as may be fixed by the Syndicate from time to time.*

1.3 The date by which the prescribed admission forms and fees must reach the Registrar shall be—

Without late fee	With late fee of Rs. 5/-
For December Exam. : To be fixed by the Registrar.	
For May Exam. : To be fixed by the Registrar.	

Three days of grace shall be allowed for receipt of admission forms and fee after the last date without late fee.

2.1 A person who *possesses* any of the following *qualifications* shall be eligible to join the course :

(a) A Bachelor's/Postgraduate degree in any discipline of the Panjab University obtaining not less than 45% marks.

(b) A Bachelor's/Postgraduate degree in any discipline of another University, recognised by the Syndicate as equivalent to (a) obtaining not less than 45% marks.

Provided that a candidate admitted either under clause (a) or (b) qualified in the Standard Physical Efficiency Test, as defined by the Syndicate, at the time of admission to this course.

2.2 *The examination in each semester shall be open to a candidate who fulfils the requirements laid down in Regulations* 2.1 *and produces the following certificates from the Chairman/Head of the University Department.*

(a) of good character;

(b) of having attended at least 66 *per cent of the lectures in each course during the semester;*

(c) *of having been on the rolls of the Department for the semester preceding the examination.*

2.3 A deficiency in the prescribed number of lectures in theory/practical/ seminars/tutorials etc. up to *10* per cent may be condoned by the Chairman/Head of the University Department.

3.1 The amount of *admission* fee to be paid by a candidate shall be Rs. 50/- *for each semester.*

3.2 *For every semester examination, a candidate shall submit his admission application on the prescribed form duly countersigned by the Head of the Department and supported by the requisite certificates alongwith the prescribed examination fee.*

3.3 *Separate admission forms for different semesters shall be submitted by the candidate indicating course/courses offered for each semester examination.*

3.4 *A candidate on reappearing shall pay admission fee of Rs. 23/- per course in each semester examination subject to a maximum of Rs. 50/- and the examination fee for reappearing would be in addition to the examination fee charged for other semester examinations, if any in which he was appearing.*

4.1 *The syllabi and courses of reading for each semester shall be prescribed by the Syndicate from time to time.*

4.2 A candidate who does not fulfil the attendance requirement in course/courses will have to repeat the course of instruction in that course/courses when it is offered next.

5. The medium of examination shall be English.

6. *The examination for the various courses of each semester shall consist of written examination or such other test or tests as may be decided from time to time by the Syndicate.*

7.1 The minimum number of marks required to pass the examination in each *semester shall be* 35 *per cent in each theory course,* 40 per cent in each practical, and 40 per cent in the aggregate of each *semester.*

7.2 *A student who qualifies to appear in the examination but fails to appear, or having appeared in the examination fails to qualify in any course/courses shall be eligible to attend the classes of the next semester and appear in the examination of the said semester.*

7.3 *A candidate who fails in the first semester examination but obtains pass marks in some course/courses shall be exempted from reappearing in that course/courses. Such a candidate shall be allowed to appear in the course/courses that he could not pass in the 1st semester simultaneously with the second semester examination in May of the following year.*

7.4 *If a candidate fails to qualify in any course/courses of the first or second semester, he may be allowed to appear for two years subsequently as a late college student in the course/courses in which he has failed. The period of two years shall be counted from the time he becomes eligible to appear in the second semester. If he still fails to qualify in these papers within this period his result in the first and second semesters shall stand cancelled. Such a candidate shall not be allowed to appear in the Bachelor of Physical Education examination, without repeating as a regular student, the whole course for each semester.*

7.5 *There shall be twelve courses; Six courses will be offered in the 1st semester and the remaining six courses will be offered in the 2nd semester. Each course shall consist of 50 marks. The total marks in the theory subjects will be 300 in the first semester and 300 in the second semester. There will be practical examination in each semester consisting of 175 marks in semester I and 125 marks in semester II. The practical lessons and the division of marks in semester I and semester II will be as follows :*

Ist Semester

(a) General lesson	65 + 10	= 75 marks
(b) Lessons on Games	45+5	= 50 marks
(c) Lessons on Athletics	45 + 5	= 50 marks

IInd Semester

(a) Lesson on Games & Officiating	45+5	= 50 marks
(b) Lesson on Athletics & Officiating	45+5	= 50 marks
(c) Lesson on yoga or Movement Education		= 25 marks

7.6 *Every paper shall be set by an external examiner. There will be no internal assessment both in Theory and Practical.*

8.1 The Registrar shall publish result four weeks after the termination of the examination, or as soon thereafter as is possible.

8.2 Successful candidates who have cleared all the prescribed papers of the two semesters shall be awarded the Degree of Bachelor of Physical Education. Such candidates shall be classified as under :—

(i) Those who obtain 75 per cent of marks of the aggregate marks,

...First Division with Distinction.

(ii) Those who obtain 60 per cent or more but less than 75 per cent of the aggregate marks.

...First Division.

(iii) Those who obtain 50 per cent or more but less than 60 per cent of the aggregate marks.

...Second Division.

(iv) Those who obtain less than 50 per cent of the aggregate marks.

....Third Division.

8.3 Every successful candidate shall be granted a Degree mentioning the division in Part I (Theory) and Part II (Practice of Teaching.)

18. Regulation 3.7 for B.A. (Pass and Honours) and B.Sc. (Pass and Honours) examinations at page 66 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

"3.7 A student who has completed the prescribed course of instruction in an affiliated college for Part I/II/III examination, but does not appear in it, or having appeared fails may be allowed *to appear in the examination on the* recommendation of the Principal of the college concerned, as a late college student, without attending a fresh course of instruction, as follows :

(a) Part I—within next two consecutive years.

(b) Part II—within next two consecutive years.

(c) Part III—within next three consecutive years.

"To take effect from examinations of 1986.

19. Regulation 8.3 for B.A. (Pass and Honours) and B.Sc. (Pass and Honours) examinations at pages 70-71 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

8.3 A candidate for B.A. Part II examination shall also offer, in addition to the subjects as in 8.1, one of the following as an additional subject, viz.—

(i) to (xix) xxx xxx

Provided that —

1. No one shall offer an additional subject which he has offered as *an* elective subject *except that a student taking up Defence Studies as an elective subject may take up Military Training as an additional subject.*

2. Military Training can be offered by members of the National Cadet Corps or N.C.C. Rifles; a regular student who has already completed N.C.C. Training for at least wo years can also offer Military Training even if he is no longer enrolled in the N.C.C.

20. Change of Title and Regulations 1.1, 7.3 and 9.2 for Bachelor of Library Science at pages 105-108 and also Regulations 1, 3.1, 3.1(i), 3.2, 3.2(b), 3.3, 3.3(a) and 11 for Master of Library Science at pages 172-174 of the Cal. Vol. II, 1984, shall read as under :

Bachelor of Library and Information Science (Semester System)

1.1 The duration of the course for the Degree of *Bachelor of Library and Information Science* shall be one academic year comprising two semesters. Each semester shall be of 17 weeks as follows :

First Semester : From July 21 to November 30.

Second Semester : From January 5 to May 15.

7.3 If a candidate fails to qualify in any paper/papers of the first or second semester, he may be allowed to appear for two years subsequently as a late college student in the paper/papers in which he has fails to qualify. The period of two years shall be counted from the time he becomes eligible to appear in the second semester. If he still fails to qualify in these papers within this period his result in the first and second semesters shall stand cancelled. Such a candidate shall not be allowed to appear in the *Bachelor of Library and Information Science* examination without repeating, as a regular student, the whole course each semester.

9.2 Successful candidates who have cleared all the prescribed papers of the two semesters shall be awarded the *Degree of Bachelor of Library and Information Science.* Such candidates shall be classified as under :

xxx xxx xxx xxx

Master of Library and Information Science

1. The duration of the course for the degree of *Master of Library and Information Science* shall be one academic year and the examination shall be divided into two parts viz., Part I at the end of the First Semester, and Part II at the end of Second Semester. The examination in Part I will be held in November/December and again in April/May of the following year along with Part II. A supplementary Examination will be held in November of the same year for candidates who fail in Part II examination held in April/May.

3.1 The minimum qualifications for admission to the course for the degree of *Master of Library and Information Science* shall be—

(i) the Panjab University Postgraduate diploma in Library Science (one year course) or the Panjab University Bachelor of Library Science/*Bachelor of Library and Information Science* degree, with at least 50 per cent marks in the aggregate of either of these :

(ii) xxx xxx xxx

3.2 The examination for first semester shall be open to a regular student who is certified by the Head of the *Department of Library and Information Science*—

(a) to possess good character;

(b) to have been on the rolls of the University *Department of Library and Information Science* during one semester preceding the examination;

(c) xxx xxx xxx

3.3 The examination for second semester shall be open to a regular student of the University *Department of Library and Information Science* who has passed the first semester examination or is eligible under Regulation 8 and is certified by the Head of the *Department of Library and Information Science* —

(a) to have been on the rolls of the University *Department of Library and Information Science* during the semester preceding the examination.

11. Each successful candidate shall receive a diploma showing the division in which he has passed the examination for the *Degree of Master of Library and Information Science.*

21. Transitory Regulation at page 10 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

21. Pre-University examination shall not be held after the annual examination of 1986 except for failed/compartment candidates and for those who had already completed the prescribed course of instruction in the affiliated college, but did not appear in the examination, for such period as is provided under the relevant regulations for this examination.

No. 3-87/G.R.—The Central Government [Ministry of Human Resource Development (Department of Education)] have accorded approval vide their letter No. F. 15-1/87-Desk(U), dated 17-6-1987 to the following Regulations :

1. Regulation 17.9 of Chapter VI 'Conditions of Service of University Employees' at page 164 of the Calendar, Volume I, 1984, shall read as under :

"17.9. An employee who retires voluntarily, shall be entitled to gratuity, furlough and *benefit of encashment of earned leave, as in the case of employees who retire on superannuation, as may be* admissible under the rules and regulations.

*To take effect from 30-9-1977.

2. Regulation 3.1(h) relating to 'Private Candidates' at pages 2-6 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under :

3.1 Subject to Regulations 2 and 8, the following classes of persons may be permitted to appear ni the Pre-University (Humanities or Fine Arts Group), B.A. and M.A. examinations, without having completed the prescribed course of instruction in a College affiliated to the University or in a Teaching Department of the University, if they possess the minimum qualifications and fulfil other requirements laid down in the Regulations for the examination concerned.

xxx xxx xxx

(h) A member of—

(a) Regular Land, Air or Naval Forces;

(b) Merchant Navy; or

(c) Territorial Army (only permanent staff).

If he is either serving in the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh or Union Territory of Chandigarh or is a bonafide resident of the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh or Union Territory of Chandigarh provided he continues to do so till the *date of receipt of admission form and fee for the examination.* If such a person resigns his post or is released by Army authorities he may also be permitted within three years of his release if he is a bonafide resident of any of the above States.

xxx xxx xxx

3. Addition of Regulation 8.2 relating to 'Conduct of Examinations' at pages 40-41, of the Calendar, Volume II, 1984.

8.1. Notwithstanding anything contained in any other regulation, the Syndicate shall have power, in the case of a permanently physically disabled person, to—

(i) admit him to Pre-University (Humanities or Fine Arts Group), B.A. or M.A. examination as a private candidate i.e. without being a regular student of an affiliated college/University;

(ii) (a) provide services of a competent amanuesis, free of cost, for writing out the answers at the examination; and (b) allow extra time up to an hour for a paper of three hours' duration;

(iii) permit the answers to be typewritten by himself, if the examinee so desires;

(iv) allow oral examination wherever prescribed in the syllabus to be conducted in writing, if a candidate is suffering from speech impediment and he is unable to make himself understand coherently by the examiner;

(v) lay down any other method for assessing the examinee's academic ability and declare his result;

(vi) give a credit of five per cent marks over and above the marks actually obtained by him in the examination for the purpose of determination of merit for admission to a course, provided that the candidate is otherwise fit according to the norms laid down for the course concerned and he is duly certified by the Civil Surgeon of a District/Director/Principal or a Professor of a Medical College affiliated to the University or an institution of national importance, as a permanently physically disabled person;

(vii) condone a shortage of ten per cent in attendances over and above the normal condonable limit allowed by the regulations.

Provided that in each case, the examinee shall produce such evidence, to the satisfaction of the Registrar, as he may consider necessary in proof of the statement that his permanent disability is such that he deserves to be considered for the facilities.

Explanation :

For purposes of this Regulation, permanently physically disabled person shall mean :

(a) a person whose dominent hand, right or left, as the case may be, is not in a position to write;

(b) a person suffering from a disease such as hemiplegia, other disabling paralysis deformity of spine or other orthopaedic disorder, congenital heart disease or any other conditions due to which he is unable to perform the normal movement of body; and

(c) a person who is blind.

*8.2 *The blind candidates shall be exempted from payment of tuition fee and admission fee in respect of all examinations.*

*To take effect from the session 1986-87.

4. Regulation 2.1 for B.A. and B.Sc. (Pass & Honours) examinations at pages 61-62 of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under;

2.1 A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join the first year (Part I) class of the B.A./B.Sc course :—

(a) Pre-University examination of the Punjab University;

(b) Higher Secondary examination of the Punjab University in any Group with Higher English as one of the subjects.

Provided that a student who passed the Higher Secondary examination of the Punjab University in 1961 or 1962 without Higher English may be permitted to join provisionally subject to his passing in English at the supplementary Higher Secondary/Pre-Uunversity examination, and if he fails to appear or quality in this examination may be allowed to appear in English at the next Higher Secondary/Pre-University annual examination. Provided further that the result of such a candidate for the B.A./B.Sc. Part I examination, if he fails to qualify in English of the Higher Secondary/Pre-University course, at either of the supplementary or annual examination shall stand cancelled.

(c) Any other examination recognised by the Syndicate as equivalent to (a) or (b).

5. Regulations for Post-M.A. Diploma Course in Counselling and Guidance at pages 265-66, of the Calendar, Volume II, 1984 deleted, as the nomenclature of the Diploma had been changed to Post-Graduate Diploma in Educational Technology and the Regulations for the same were available in the Calendar, Volume II, 1984, separately :

6. Deletion of the following Regulation 11.7 for B.Com. examination at page 295 of the Calendar Volume II, 1984 :—

*"11.7 A candidate who seeks re-evaluation of answer-books at the Part III examination shall not be eligible to appear in Part II or Part III examination separately or simultaneously with a view to improving his performance."

*To take effect from the examinations of 1985.

7. Regulation 5.3 for Master of Dental Surgery examination at pages 436-437, of the Calendar, Volume II, 1984, shall read as under —

*5.3(a)(i) Every candidate for the degree of Master of Dental *Surgery* shall submit to the Registrar, his application for approval of the subject of thesis by the Board of Studies in Dentistry through the Supervisor and the Head of the Department, in the teaching institution within six months of the date of his admission.

(ii) The thesis shall be on a subject connected with the Science and Practice of Dentistry.

(iii) The Supervisor and the Head of the Department shall certify that they will provide necessary facilities for

*To take effect from the examinations of 1985.

proper investigation and will supervise the work of the candidate.

(iv) Every candidate shall forward his thesis in triplicate to the Registrar through the Principal of the Dental Institution alongwith a fee of Rs. 115 supported by a certificate from the Supervisor/Head of the Department, under whose supervision the research had been carried out, certifying that the technique and statistics mentioned in the thesis were undertaken by the candidate himself.

(v) The thesis shall be submitted four months before the date of commencement of Part II examination. This period may be extended in exceptional circumstances by—

The Registrar	..	*Up to one month*
The Vice-Chancellor	..	*beyond one month, but not exceeding 2 months.*

The thesis shall be typewritten and must attain a high standard and shall be satisfactory as regards literary presentation as well as in other respects. It shall terminate with a summary embodying conclusions arrived at by the candidate.

(b) In case a candidate desires to change the subject of his thesis at a later stage, he shall apply to the Board of Studies in Dentistry, for permission to do so.

(c) The thesis shall embody the result of the candidate's own experience of research, and shall be accompanied by precise reference to the publications quoted. In his thesis, the candidate shall indicate in what respects his contribution appears to him to advance the knowledge of practice of dentistry.

---

*To take effect from 27-9-1986.

Chandigarh-160014 S. P. DHAWAN
Dated Nov. 17, 1987 Dy. Registrar (General)

Sealed in my presence with the Common Seal of Punjab University, this day November 17, 1987.

H. L. SHARMA
Registrar

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987